रहमत

ही

रहमत

अश-शैख़ अताउल्लाह कूरेजा

विषय-सूची

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

(अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करनेवाला है)

भूमिका

इस्लाम एक कामिल दीन (पूर्णधर्म) है, जिसने सारे इनसानों को आपस में मिलकर रहने, सामाजिक और सामूहिक रूप से ज़िन्दगी गुज़ारने का एक मुकम्मल निज़ाम दिया है। इस्लाम के इस निज़ाम और दायरे में आनेवाले सामाजिक काम, व्यक्तिगत कामों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। एक अन्दाज़े के मुताबिक़ इस्लाम में सामाजिक काम और आदेश तीन चौथाई और व्यक्तिगत काम लगभग एक चौथाई हैं।

वास्तविक जनसेवा यह है कि इनसान अल्लाह के बन्दों के साथ अच्छे अख़लाक़ से पेश आए और ख़ुदा के बन्दों के मामले में अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करे।

इस्लाम का मक़सद हर लिहाज़ से इनसानों की भलाई चाहना, उनका हक़ अदा करना और दीन-दुनिया की बेहतरी का बन्दोबस्त करना है। इसे क़ुरआन और हदीस में मख़लूक़ (सृष्टि) से मुहब्बत और मेहरबानी के नाम से बयान किया गया है।

इस्लाम की बुनियादी इबादतें भी इनसानों की ख़िदमत, भलाई और हुक़ूक़ (अधिकारों) की अदायगी की तालीम देती हैं। इस्लाम ने जहाँ ज़कात को ज़रूरतमन्दों और मुहताजों का हक़ और हिस्सा बताया, वहीं हज को जिस्मानी इबादत के साथ-साथ माली इबादत कहा है। नमाज़ के बहुत से पहलू अल्लाह के हुक़ूक़ के साथ बन्दों के हुक़ूक़, अख़लाक, आचरण, सामाजिक रहन-सहन माली निज़ाम से सम्बन्धित हैं।

नबियों और पैग़म्बरों की ज़िन्दगी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उनकी पूरी ज़िन्दगी एक तरफ़ इनसानों को कुफ़्र और शिर्क से नजात दिलाने में गुज़री तो दूसरी तरफ़ इनसानों की ख़ुलूस के साथ

ख़िदमत करने और उन्हें शोषण और ग़ुलामी से नजात दिलाने में गुज़री है।

आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मत (सल्ल0) पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। हमें नबी (सल्ल0) की सीरत और हदीसों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि आप (सल्ल0) की रहमत का प्रभाव न सिर्फ़ इनसानों पर पड़ा बल्कि जीव-जन्तु और वनस्पतियों ने भी आपकी रहमत से लाभ उठाया। नबी (सल्ल0) की रहमत और मेहरबानी ख़ास तौर पर उस दौर के ग़ुलामों, लौंडियों, बेबस और मज़लूम तबकों पर ज़्यादा नुमायाँ दिखाई देती है। यही वजह है कि प्यारे नबी (सल्ल0) की आवाज़ पर दौड़े चले आनेवालों में सरदारों, रईसों के अलावा बहुत बड़ी तादाद ग़ुलामों की भी थी।

आज पूरी दुनिया में शान्ति क़ायम करने के लिए मानवाधिकारों की बात कही जा रही है। जबकि रहमते-आलम (सल्ल0) ने लगभग साढ़े चौदाह सौ साल पहले मानवाधिकरों के आला उसूल पेश कर दिए थे, जिसके अमली नमूने पूरी दुनिया ने सहाबा किराम (रज़ि०) की शक्ल में देखे।

इस्लाम विरोधियों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ बेअमल मुसलमानों के किरदार को पेश करके दुनिया को यह यक़ीन दिलाने की कोशिश की है कि यही इस्लामी तालीमात हैं जो इनसानों को ऐसा बनाती हैं।

अल्लाह शैख़ अताउल्लाह साहब को बेहतरीन बदला दे कि जिन्होंने प्रमाणित हदीसों और नबी (सल्ल0) की सीरत के सच्चे क़िस्सों को अरबी भाषा में किताबी शक्ल देकर इस्लाम के रहमत ही रहमत होने का प्रमाण दिया है जिसका उर्दू अनुवाद अमीरुदीन महर साहब ने "रहमत ही रहमत" के नाम से किया है। हिन्दी भाषा में जो पुस्तक आप के हाथों में है, यह उसी उर्दू किताब का संक्षिप्त रूप है। आशा है कि इस कोशिश को पसन्द किया जाएगा।

—प्रकाशक

भाग-1

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शफ़क़त कमज़ोरों, ग़रीबों, बच्चों और यतीमों पर

1. प्यारे नबी (सल्ल॰) की असहाबे-सुफ़्फ़ा (चबूतरेवालों) पर शफ़क़त

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) कहा करते थे :- अल्लाह की क़सम, जिसके सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, मैं भूख की सख़्ती से अपना पेट ज़मीन से चिमटा लेता था और इसकी वजह से पत्थर तक पेट से बाँध लेता था।

एक दिन मैं उस रास्ते पर जा बैठा जहाँ से आम लोगों का गुज़र होता था। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) वहाँ से गुज़रे तो मैंने उनसे क़ुरआन मजीद की एक आयत के बारे में सवाल पूछा, मेरे सवाल का मक़सद सिर्फ़ अपनी भूख मिटाना था, लेकिन वे जवाब देकर चले गए और (मेरे मक़सद की) कोई बात न की, इसके बाद मेरे पास से हज़रत उमर (रज़ि॰) गुज़रे तो उनसे भी मैंने क़ुरआन मजीद की एक आयत के बारे में सवाल पूछा और मेरे सवाल का मक़सद यही था कि वे कुछ दें ताकि मेरी भूख मिटे, लेकिन वे भी चले गए और मेरे मतलब की बात तक न की। फिर अबुल-क़ासिम, प्यारे नबी (सल्ल॰), मेरे पास से गुज़रे, मुझे देखकर मुसकुराए और मेरे दिल की बात और चेहरे का (उतार-चढ़ाव) पहचान कर फ़रमाया—

ऐ अबू-हुरैरा! मैंने कहा, मैं हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल! नबी

(सल्ल॰) ने फ़रमाया कि मेरे साथ आ जाओ और यह कहकर नबी (सल्ल॰) चलने लगे तो मैं उनके पीछे हो लिया। इसके बाद नबी (सल्ल॰) घर के अन्दर चले गए और मेरे अन्दर आने की इजाज़त माँगी, चुनांचे घर में दाख़िल होने की इजाज़त दी गई। नबी (सल्ल॰) ने घर में एक प्याले में दूध मौजूद पाया। पूछा कि यह दूध कहाँ से आया है? घरवालों ने बताया कि फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत ने आपकी तरफ़ हदिया (उपहार) भेजा है। नबी (सल्ल॰) ने मुझसे मुख़ातिब होकर फ़रमाया : ऐ अबू-हुरैरा! मैंने कहा, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि असहाबे-सुफ़्फ़ा के पास जाओ और उनको मेरी तरफ़ बुला लाओ। (रिवायत करने वाले कहते हैं कि) असहाबे-सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान थे। उनको रहने-बसने के लिए न कोई घर था और न ही माल और न ही किसी पर उनकी ज़िम्मेदारी थी, जब नबी (सल्ल॰) के पास कोई सदक़ा (दान) आता था तो वह चीज़ उनके लिए भेज देते थे और आप (सल्ल॰) उसमें से कुछ भी न लेते और जब कोई हदिया (उपहार) नबी (सल्ल॰) की ख़िदमत में आता तो आप (सल्ल॰) उसको भी उन्हें भेज देते और खुद भी उसमें से कुछ ले लेते, इस तरह से उन लोगों को उस उपहार में शामिल कर लेते। मुझे यह बात नागवार-सी लगी, मैंने (दिल में) कहा इतना-सा दूध असहाबे-सुफ़्फ़ा के बीच कहाँ काम आएगा? इसका ज़्यादा हक़दार तो मैं हूँ कि मुझे यह दूध पीने के लिए दिया जाता तो मुझे इससे कुछ ताक़त मिल जाती। जब वे लोग आएँगे तो नबी (सल्ल॰) (ज़रूर) मुझे हुक्म देंगे कि मैं यह दूध उनको देता जाऊँ और यह बात बहुत मुश्किल है कि मुझे भी इस दूध में से कुछ हिस्सा मिले, लेकिन मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की इताअत (आज्ञापालन) लाज़िम थी, इसलिए मैं उनके पास आया और उनको अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की दावत दी, चुनाँचे वे आ गए

और इजाज़त माँगी, और उनको इजाज़त दी गई और घर में अपनी-अपनी जगहों पर बैठने लगे।

नबी (सल्ल०) ने (मुझसे) मुख़ातिब होते हुए फ़रमाया : ऐ अबू-हुरैरा! मैंने कहा, मैं हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप (सल्ल०) ने कहा, दूध उठाओ और उनके दरमियान तक़सीम करो। मैंने प्याला लिया और एक-एक आदमी को देने लगा, जब वह अच्छी तरह पी कर सैर हो जाता तो मुझे प्याला वापस कर देता, फिर मैं दूसरे आदमी को देता वह भी अच्छी तरह पीकर सैर होता तो मुझे प्याला लौटा देता, फिर मैं तीसरे आदमी को देता वह भी अच्छी तरह पी चुका होता तो प्याला मुझे वापस कर देता। यहाँ तक कि आख़िर में मैं प्यारे नबी (सल्ल०) के पास पहुँचा और सारे लोग सैर हो चुके थे। नबी (सल्ल०) ने प्याला पकड़कर अपने एक हाथ में रखा और मेरी तरफ़ देखकर मुस्कुराते हुए फ़रमाया : ऐ अबू-हुरैरा! मैंने कहा, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया : अब सिर्फ़ मैं और तुम बचे हैं, मैंने कहा, आपने सही फ़रमाया है ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप (सल्ल०) ने कहा, बैठ जाओ और पिओ। मैं बैठ गया और दूध पिया, आप (सल्ल०) ने (दोबारा) कहा कि और पिओ। मैंने फिर पिया। इसके बाद नबी (सल्ल०) बराबर इसरार करते रहे कि पिओ। यहाँ तक कि मैंने कहा, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अब मेरे लिए इसकी और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, तो फिर मुझे दे दो। मैंने प्याला नबी (सल्ल०) को पकड़ा दिया। नबी (सल्ल०) अल्लाह का नाम लेकर और तारीफ़ करके बाक़ी बचा हुआ दूध पी गए।

(हदीस : सहीह बुख़ारी)

इब्ने-हिब्बान में अबी-हाज़िम की रिवायत में अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करतें हैं—

"मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं हज़रत उमर-बिन-अल-ख़त्ताब (रज़ि॰) से मिला और उनसे अल्लाह की किताब में से एक आयत पढ़ाने की गुज़ारिश की, लेकिन वे अपने घर में दाख़िल हो गए और मेरे लिए उसे खोल दिया। ये कहते हैं कि मैं थोड़ी दूर चला कि अपने मुँह के बल भूख की तकलीफ़ की वजह से (ग़श खाकर) गिर गया। अचानक क्या देखता हूँ कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) मेरे सिरहाने खड़े हैं। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : अबू-हुरैरा! मैंने कहा हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल और मेरी ख़ुशक़िस्मती है। फिर आप (सल्ल॰) ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया और मेरी हालत से मेरी भूख पहचान गए और मुझे अपने घर ले गए। मेरे लिए दूध का एक बड़ा प्याला लाने का हुक्म किया। मैंने उसमें से दूध पिया। फिर फ़रमाया : अबू-हुरैरा दोबारा पिओ, तो मैंने दोबारा पिया यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया और प्याला पहले की तरह (भरा हुआ) था।"

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) एक दूसरी रिवायत में बयान करते हैं कि "मैंने हज़रत उमर (रज़ि॰) को देखा तो अपनी इस हालत (भूख) का ज़िक्र किया और उनसे कहा कि ऐ उमर (रज़ि॰) आपसे ज़्यादा इसका कौन हक़दार है, अल्लाह की क़सम, मैंने आप से एक आयत पढ़ने की गुज़ारिश की, हाँलाकि मैं उसे आपसे ज़्यादा जाननेवाला हूँ। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा कि मैं आपको अपने घर ले जाता यह बात मुझे सुर्ख़ (लाल) ऊँटों से ज़्यादा प्यारी है।"

(अल-एहसान फ़ी तरतीब इब्ने-हिब्बान 9/141)

एक रिवायत (हदीस) में है कि अबू-हुरैरा (रज़ि॰) कहते हैं कि

हममें से जब कोई शख़्स मदीना शहर आता और उसका कोई जाननेवाला मदीने में होता तो वह उसके पास ठहरता। चुनाँचे मैं सुफ़्फ़ा (चबूतरे) में आकर ठहरा। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की तरफ़ से रोज़ाना एक क़िद खजूरें (लगभग एक किलो या कुछ कम) हर दो आदमियों को दी जाती थीं और हमें टाट पहनने के लिए दिया जाता था।

एक रोज़ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने दिन की कोई नमाज़ पढ़ाई और जब आप (सल्ल॰) ने सलाम फेरा तो असहाबे-सुफ़्फ़ा दाएँ और बाएँ से पुकारने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! खजूरों ने हमारे पेट जला दिए और हमारे टाट फट गए हैं। इसपर नबी (सल्ल॰) अपने मिम्बर की तरफ़ बढ़े और उसपर चढ़कर अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान की। फिर आप (सल्ल॰) ने उस सख़्ती का बयान किया जो नबी (सल्ल॰) को अपनी क़ौम से पहुँची थी। यहाँ तक कि आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : अल्लाह की क़सम मुझपर और मेरे साथियों पर कुछ दिन ऐसे भी आए कि हमारे पास सिवाय बरीद (पीलू का फल) के कोई चीज़ खाने को नहीं थी। रावी (रिवायत करनेवाला) कहता है कि मैंने अबी-हरब से पूछा कि बरीद क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी (सल्ल॰) का खाना, यानी पीलू के पेड़ के दाने। फिर हम उन अनसारी भाइयों के पास आए तो उनका अक़सर खाना खजूरें थीं। उन्होंने उनसे हमारी दिलजोई की। अल्लाह की क़सम, अगर मुझे तुम्हारे लिए रोटी और गोश्त मिले तो मैं वह तुम्हें पेट भर कर खिलाऊँ, लेकिन बहुत जल्द ही एक ऐसा ज़माना पाओगे कि उसमें सुबह को इसका एक तबाक़ (बड़ा बरतन) भर कर दिया जाएगा और शाम को दूसरा दिया जाएगा।

रिवायत करनेवाला कहता है कि उन्होंने पूछा कि हम इन दिनों में

अच्छे हैं या उन दिनों में बेहतर होंगे। नबी (सल्ल॰) ने कहा कि बल्कि तुम आज अच्छे हो, आज तुम एक-दूसरे से मुहब्बत करते हो, लेकिन उन दिनों में तुम एक-दूसरे की गर्दनें मारोगे। रिवायत करनेवाले का ख़याल है कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया उन दिनों में लोग एक-दूसरे से बुग़्ज़ और कीना रखनेवाले होंगे। (हदीस : हाकिम, बैहिक़ी, अहमद)

व्याख्या— इन हदीसों के अध्ययन से नीचे लिखी बातें सामने आती हैं—

1. असहाबे-सुफ़्फ़ा का शुरू का इतिहास उसके क़ायम होने और उसमें रहने-बसनेवालों की हालत और दशा, उनके काम और उनकी व्यस्तताएँ, उनकी ग़रीबी और बेबसी, भूख की शिद्दतों और उनके लिबास वग़ैरा का अन्दाज़ा होता है।

2. चबूतरेवालों की ख़ुद्दारी (स्वाभिमान), शर्म-हया और उनके नफ़्स की बेनियाज़ी सामने आती है।

3. उनकी ख़ुराक, ग़िज़ा और दूसरी खाने की चीज़ों का पता चलता है। इस मुबारक हदीस से नबी (सल्ल॰) की एक पेशगोई मालूम होती है, जिसमें बताया गया है कि एक वक़्त आएगा कि मुसलमान ख़ुशहाल होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो जाएगी और खाने की चीज़ों की फ़रावनी (बहुतायत) होगी, लेकिन रूहानी, अख़लाक़ी और सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियाँ ख़राब होंगी।

4. इससे नबी (सल्ल॰) का एक बहुत बड़ा चमत्कार सामने आता है कि एक प्याला दूध दर्जनों लोगों ने पिया और सब तृप्त हो गए। कोई भूखा नहीं रहा। आख़िर में आप (सल्ल॰) ने इस चमत्कार को ख़त्म करते हुए ख़ुद दूध पीकर उसका समापन किया।

5. हिजरत के वक़्त अनसारी सहाबा मुहाजिरों के मुक़ाबले में ज़्यादा ख़ुशहाल थे क्योंकि उनके अपने मकान, बाग़ और कारोबार थे, इसलिए उनकी ख़ुराक भी अच्छी थी। इसके बरख़िलाफ़ हिजरत करके आए लोग सब कुछ छोड़कर ख़ाली हाथ आए थे इसलिए उनके पास कुछ नहीं था। उनकी इस बेबसी को देखते हुए नबी (सल्ल॰) ने अनसार से उनका भाईचारा कराया, जिसकी वजह से वे अकेलेपन, सफ़र और ग़ुर्बत की तकलीफ़ों से किसी क़द्र आज़ाद हुए।

6. नबी (सल्ल॰) की कुशादादिली (हृदयविशालता) है कि हर साथी का ख़याल और उसकी तकलीफ़ और भूख का एहसास करना और अबू-हुरैरा (रज़ि॰) को कहना कि सबको बुलाकर लाओ ताकि सब यह दूध पिएँ।

7. हदीस के इस हिस्से को दोबारा पढ़िए– "मुझे यह बात नागवार-सी लगी, मैंने (दिल में) कहा, इतना-सा दूध...... और उनको दावत दी।" इस हिस्से को ग़ौर से पढ़ते हुए इनसानी फ़ितरत, स्वभाव और मनोभाव को सामने रखिए कि इनसान बहरहाल इनसान है। उसमें कुछ ऐसी बुनयादी चीज़ें हैं कि उनको ख़त्म करना मुश्किल है, अलबत्ता उनको सामान्य और सन्तुलित किया जा सकता है। यह सन्तुलन शरीअत पैदा करती है। इसको अबू-हुरैरा (रज़ि॰) इस तरह बयान करते हैं – लेकिन मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की इताअत (फ़रमाँबरदारी) लाज़िमी थी, इसलिए मैं उनके पास आया।

8. हदीस शरीफ़ से हदिए और सदक़े का फ़र्ज़ और हुक्म मालूम होता है। नबी (सल्ल॰) हदिया क़बूल करते, उसे इस्तेमाल में लाते और ज़रूरत से ज़्यादा होता तो दूसरों को भी दे देते। अलबत्ता

सदक़ा (चाहे वाजिब हो या नफ़िल) नबी (सल्ल॰) इस्तेमाल नहीं करते थे।

9. घर में किसी ग़ैर मर्द को लाने के लिए इजाज़त (अनुमति) लेना और फिर परदे का बन्दोबस्त करना अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सुन्नत (तरीक़ा) है।

10. कोई चीज़ तक़सीम करते हुए सबको एक तरफ़ से बारी-बारी देना चाहिए और बैठाकर या क़तार बनाकर इस तरह दिया जाए कि अफ़रा-तफ़री न फैले। यह अमल नबी (सल्ल॰) की सुन्नत और सहाबा (रज़ि॰) का तरीक़ा है।

2. मुज़र क़बीले के मुहताजों के लिए ग़िज़ा और लिबास का बन्दोबस्त

हज़रत जरीर (रज़ि॰) ने बयान किया है कि एक दिन हम दोपहर के वक़्त अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास बैठे हुए थे। उस वक़्त आप (सल्ल॰) के पास कुछ लोग आए जो नंगे बदन और नंगे पाँव थे, उन्होंने फटी हुई धारीदार चादरें पहनी हुई थीं या बड़ी कमीज़े पहनी हुई थीं। उन्होंने तलवारें भी लटकाई हुई थीं। उनमें से ज़्यादातर मुज़र क़बीले के थे, बल्कि सब के सब मुज़र में से थे। अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने जब उनकी तंगी, ग़रीबी और फ़ाक़ा देखा तो आप (सल्ल॰) के रौशन चेहरे में बदलाव आ गया। नबी (सल्ल॰) घर में दाख़िल हुए फिर जल्दी ही बाहर आ गए और बिलाल (रज़ि॰) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान दी और इक़ामत (तकबीर) कही और नबी (सल्ल॰) ने नमाज़ पढ़ाई और फिर तक़रीर (भाषण) की। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया—

"ऐ लोगो! अपने रब (पालनहार) से डरो, जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया..... (यह आयत आप सल्ल॰ ने

आख़िर तक तिलावत की) बेशक अल्लाह तुम्हारा निगहबान है।" (क़ुरआन, 4:1)

और फिर सूरा हश्र की यह आयत भी तिलावत फ़रमाई–

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो..... अल्लाह तुम्हारे उन सब कामों से बाख़बर है, जो तुम करते हो।"

(क़ुरआन, 59:18)

आदमी को अपने दीनार, दिरहम (दौलत), कपड़े, गेहूँ और खजूर में से सदक़ा करना चाहिए। (रिवायत करनेवाला कहता है) नबी (सल्ल॰) ने यहाँ तक भी कहा कि अगरचे खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों न हो।

रावी (हदीस बयान करनेवाला) कहता है कि अनसार में से एक आदमी एक थैली लाया, जिससे उसके हाथ उसे उठाने से थक रहे थे, बल्कि उसके हाथ बोझ की वजह से सुन्न हो गए थे। बयान करनेवाला कहता है कि उसकी देखा-देखी सामान लानेवाले लोगों का ताँता बंध गया। यहाँ तक कि मैंने खाने और कपड़ों के दो ढेर देखे और प्यारे नबी (सल्ल॰) का चेहरा भी ख़ुशी और शादमानी से सोने की तरह दमकने लगा। (हदीस : मुस्लिम 1017)

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि इस्लाम में अगर किसी आदमी ने कोई अच्छा तरीक़ा अपनाया तो उसे उसका अच्छा बदला मिलेगा और जिसने उसपर अमल किया उसका भी उसको बदला मिलेगा और उसे अपनानेवालों के बदले में से कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिस आदमी ने इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा अपनाया तो इसका गुनाह उसपर आएगा और उन लोगों का गुनाह भी उसके सिर आएगा, जिसने उसके बाद इस बुरे तरीक़े पर अमल किया और उन लोगों के गुनाहों में से कुछ भी कम न किया जाएगा।

तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास अब्दुलक़ैस क़बीले का एक वफ़्द (दल) आया। ये लोग धारीदार चादर पहने हुए थे, उनपर माल की तंगदस्ती का असर साफ़ नुमायाँ था। यह हालत देख कर नबी (सल्ल॰) ने सदक़े का हुक्म दिया और उस पर उभारा और कहा कि इनसान अपने गेहूँ के साअ (पैमाने) से सदक़ा करे। (हदीस : तबरानी, मजूमउल-बहरैन 1/223-239)

व्याख्या

1. किसी ज़रूरतमन्द और मुसीबत के मारे हुए इनसान को देखकर उसकी हाजत पूरी करने की फ़िक्र करनी चाहिए और उसकी फ़रियाद (हाथ फैलाने) का इन्तिज़ार नहीं करना चाहिए।
2. नबी (सल्ल॰) के दौर की तंगी और ग़ुरबत की एक झलक इस वाक़िए से ज़ाहिर होती है।
3. ऐसे हाजतमन्दों के लिए मदद की अपील करना, उपदेश देना, दान देने और ख़र्च करने पर उभारना अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सुन्नत है।
4. इनसान जो नेकी या बुराई खुल्लम-खुल्ला करता है तो असर के लिहाज़ से वह उस नेकी या बुराई से ज़्यादा असरदार और दूरगामी नतीजे अपने अन्दर रखती है, जो वह ख़ुफ़िया (छिपे) तौर पर करता है।
5. नेकी पर उभारने के लिए खुले तौर पर नफ़्ली ख़ैरात (दान) करना और दूसरी नेकियाँ करना जाइज़ है।
6. यह हदीस सहाबा (रज़ि॰) के अल्लाह की राह में ख़र्च करने की एक सबसे बड़ी मिसाल है।
7. हर आदमी को उपने अमल का बदला मिलेगा और उसकी वजह

से किसी दूसरे का अमल कम-ज़्यादा नहीं होगा।

8. इस हदीस से यह इशारा मिलता है कि इनसान को अपनी निजी और सामाजिक ज़रूरतों के लिए ज़िम्मेदारों और हुक्मरानों की तरफ़ रुजू करना चाहिए और हर एक के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए।

9. हुक्मरानों और ज़िम्मेदारों के लिए नबी (सल्ल॰) का यह अमल एक बेहतरीन मिसाल है कि वे अपनी प्रजा, अपने क्षेत्र के लोगों की परेशानी और दुख को किस तरह महसूस करें और कितने बेचैन हो जाएँ।

10. एक सामूहिक और इस्लामी समाज के लिए यह हदीस एक अच्छा नमूना है, जिसे हर ख़ास व आम इनसान अपने सामने रखे।

3. नबी (सल्ल॰) की भूखों पर शफ़क़त

हज़रत राफ़े-बिन-अम्र अलग़िफ़ारी (रज़ि॰) बयान करते हैं कि जब मैं बच्चा था तो अनसार की खजूरों के पेड़ों को पत्थर मारता था। इसपर नबी (सल्ल॰) से शिकायत की गई कि यहाँ पर एक लड़का है जो हमारी खजूरों के पेड़ों को पत्थर मारता है। बाद में मुझे पकड़कर नबी (सल्ल॰) के पास लाया गया तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "ऐ लड़के! तुम इनकी खजूरों को पत्थर क्यों मारते हो?" मैंने कहा कि खजूरें खाने के लिए।

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : खजूरों के पेड़ों को पत्थर न मारो बल्कि नीचे गिरी हुई खजूरों में से खाओ। इसके बाद मेरे सिर पर हाथ फेरा और दुआ की, "ऐ अल्लाह इसकी भूख को ख़त्म कर।"

हज़रत राफ़े-बिन-अम्र (रज़ि॰) एक दूसरी हदीस बयान करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, "मैं अनसार के खजूरों के पेड़ों को पत्थर मारता

था, इसलिए वे पकड़कर मुझे नबी (सल्ल॰) के पास लेकर गए। नबी (सल्ल॰) ने पूछा कि तुम इनकी खजूरों को पत्थर क्यों मारते हो? मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! भूख की वजह से। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "पत्थर न मारो और जो कुछ गिर जाए वह खाओ, अल्लाह तुम्हें सैर करेगा और पिलाएगा।"

(हदीस : तिरमिज़ी-1288)

व्याख्या

1. मालिक की इजाज़त के बग़ैर किसी के बाग़ का फल तोड़ना, खाना और ले जाना मना है। इसलिए नबी (सल्ल॰) ने हज़रत राफ़े को इससे मना फ़रमाया।
2. खुद-बखुद ज़मीन पर गिरा हुआ फल ज़रूरत के वक्त और ज़रूरत भर उठाने की गुंजाइश है।
3. गिरे हुए फल जबकि ज़्यादा क़ीमती न हों तो मालिकों को चाहिए कि सदक़े की ग़रज़ से लोगों को खाने की इजाज़त दे दें। मुसलमानों के समाज में इतनी सख़ावत तो होनी चाहिए।
4. अच्छे अख़लाक़, शराफ़त और क़ानून की पासदारी का तरीक़ा यह है कि मुजरिम, मुल्ज़िम, या नुक़सान करनेवाले को सही अधिकारी या वक्त के हुक्मराँ के सामने पेश किया जाए और उससे फ़ैसला लिया जाए, न कि कोई आदमी खुद उसे सज़ा दे या अदालत से अलग फ़ैसला करे। ऐसा करना इनसाफ़ के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ है। शरीफ़ाना और मुस्लिम-समाज की क़द्रों और मूल्यों के ख़िलाफ़ भी है।

4. भूखे पर शफ़क़त का दूसरा पहलू

हज़रत अबाद-बिन-शरजील (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक बार

मैं सूखे (क़हत) से बुरी तरह प्रभावित हो गया तो मैं मदीना के एक बाग़ की दीवार फाँद कर अन्दर दाख़िल हो गया और खजूर का एक गुच्छा झाड़कर खाया और कुछ अपने कपड़े में समेट लिया। अचानक बाग़ के मालिक ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारा-पीटा और मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं नबी (सल्ल॰) के पास शिकायत लेकर पहुँचा तो नबी (सल्ल॰) ने उससे कहा, "जब यह बेख़बर (अनजान) था तो तूने बताया क्यों नहीं? और जब यह भूखा था तो तूने इसे खिलाया क्यों नहीं?" या नबी (सल्ल॰) ने कहा कि यह सूखे से पीड़ित भूखा था। फिर नबी (सल्ल॰) ने उसे मेरा कपड़ा लौटाने का हुक्म दिया तो उसने मेरा कपड़ा लौटा दिया और मुझे एक वसक़ (लगभग तीस किलो की एक बोरी) या आधी वसक़ (यानी लगभग पन्द्रह किलो) खाने को दिया। (हदीस : अबू-दाऊद)

हज़रत अबी-बिश्र जाफ़र-बिन-अयास कहते हैं कि मैं अपने चचाओं के साथ मदीना शहर में आया, फिर एक बाग़ की चहारदीवारी के अन्दर चला गया और मैंने उसके खजूर का एक गुच्छा तोड़ा कि अचानक बाग़ का मालिक आ पहुँचा, जिसने मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा-पीटा। अतएव मैंने नबी (सल्ल॰) से आकर बताया। आप (सल्ल॰) ने उस आदमी को बुलवाया तो लोग उसे ले आए। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, तुझे किस चीज़ ने इसके मारने पर उभारा? उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! वह मेरे बाग़ में दाख़िल हुआ, उसने खजूर का एक गुच्छा तोड़ लिया और उसे झाड़ लिया। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, जब यह अनजान था तो तूने उसे क्यों नहीं बताया? और जब यह भूखा था तो इसे खाना क्यों नहीं खिलाया? इसका कपड़ा दो। फिर अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने मेरे लिए एक वसक़ या आधी वसक़ (30 किलो या 15 किलो के लगभग) की अदायगी का हुक्म दिया। (हदीस : नसई)

व्याख्या

1. बेख़बरी और अनजाने में जुर्म करने से जुर्म में सख़्ती बाक़ी नहीं रहती।
2. मुसाफ़िर या भूखे ने कोई खाने की चीज़ खा ली तो उस पर न तो सज़ा है और न ही वह सख़्ती बाक़ी रहेगी।
3. मालदार लोगों को छीना हुआ माल वापस करना होगा।
4. उस वक़्त का हुक्मराँ ऐसे लोगों के खाने का बन्दोबस्त करेगा।
5. इस हदीस में बाग़ों, खाने-पीने की चीज़ों और खेतों के मालिकों के लिए रहनुमाई है कि वे इतने कंजूस और बख़ील न बनें कि किसी को पेट में खाने के लिए भी न दें, बल्कि भूखों का उनके खाने-पीने के माल में इतना हक़ है कि वे अपनी भूख मिटाएँ।

5. ग़ुलामों और अधीनों के लिए रहमत ही रहमत

हज़रत अबू-मसऊद बदरी (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक बार मैं अपने एक ग़ुलाम को कोड़े से मार रहा था कि पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जान ले अबू-मसऊद! लेकिन बड़े ग़ुस्से में होने की वजह से मुझे आवाज़ का मतलब समझ नहीं आया। फिर जब पुकारनेवाला मेरे क़रीब आया तो क्या देखता हूँ कि वह तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की पाक हस्ती है। आप (सल्ल॰) फ़रमा रहे थे कि जान ले अबू-मसऊद, जान ले अबू-मसऊद!

मैंने फ़ौरन अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया। नबी (सल्ल॰) ने कहा, ऐ अबू-मसऊद! जान ले कि अल्लाह तुम्हारे इस ग़ुलाम की बनिस्बत तुमपर ज़्यादा क़ुदरत रखता है।

अबू-मसऊद (रज़ि॰) ने कहा कि उसके बाद मैंने कभी भी किसी ग़ुलाम को नहीं मारा। (हदीस : मुस्लिम, 1280-1281)

अल-अदबुल-मुफ़रद में है कि अबू-मसऊद (रज़ि॰) ने कहा कि मैंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जान ले अबू-मसऊद अल्लाह तुझपर, तेरे इस ग़ुलाम पर तेरी क़ुदरत और ताक़त से ज़्यादा क़ादिर है। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! अब यह ग़ुलाम अल्लाह की ख़ुशी की ख़ातिर आज़ाद है, तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया अगर तुम ऐसा न करते तो आग तुम्हे झुलसा देती।

मसन्नफ़ अबदुर्रज़्ज़ाक़ में एक वाक़िआ इस तरह बयान हुआ है कि एक आदमी अपने ग़ुलाम को मार-पीट रहा था और वह ग़ुलाम अल्लाह की पनाह माँग रहा था कि अचानक उसे अल्लाह के नबी (सल्ल॰) आते हुए दिखाई दिए तो उसने नबी (सल्ल॰) की पनाह चाही। इसपर उसके मालिक ने अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया और ग़ुलाम को छोड़ दिया। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ख़बरदार अल्लाह की क़सम! अल्लाह ही एक हस्ती है जिसकी पनाह माँगी जाए, न कि मेरी पनाह चाही जाए। उसके मालिक ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) वह अल्लाह की ख़ातिर आज़ाद है। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, उस ज़ात की क़सम जिसकी क़ुदरत में मेरी जान है, अगर तुम ऐसा न करते तो तुम भड़कती हुई आग में जाते।

(अल-मसन्नफ़ 9/445 नं॰ 17957)

व्याख्या

1. इस रिवायत से मालूम होता है कि उस दौर में ग़ुलाम, कमज़ोर, बेबस और असहाय अपने मालिक के रहमो-करम पर होते थे। आक़ा को ग़ुलाम पर ज़ुल्म-ज़्यादती करने से कोई नहीं रोकता था और यह बरताव आम था। यह प्यारे नबी (सल्ल॰) की सब पर मेहरबान हस्ती है जिसने इस तबक़े को इनसानियत के सारे अधिकार दिलाए, उनकी सरपरस्ती की और उनपर रहमत व

शफ़क़त की। यह हदीस इसकी एक वाज़ेह मिसाल है।

2. आक़ाओं और मालिकों को नबी (सल्ल॰) ने इस मिसाल के ज़रिए ग़ुलामों को मारने-पीटने से न सिर्फ़ मना किया बल्कि अगर किसी ग़ुलाम पर ऐसी ज़्यादती हो जाए तो उसकी भरपाई करने का सबक़ भी दिया।

3. सहाबा (रज़ि॰) का अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की इताअत और फ़रमाँबरदारी करने का एक बड़ा नमूना इस हदीस से मिलता है कि हज़रत अबू-मसऊद (रज़ि॰) ने नबी (सल्ल॰) की रहमत भरी अदा देखकर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया।

4. हदीस के अरबी मतन में लफ़्ज़ 'तअव्वुज़' और 'औज़न' आया है। तअव्वुज़ और औज़न के माने हैं पनाह लेना, किसी का आश्रय (Shelter) हासिल करना। चूँकि फ़ितरत से ऊपर और रुहानी तौर पर पनाह देनेवाली सिर्फ़ अल्लाह ही की हस्ती है, इसलिए दुआ के जो बोल बोले जाएँ उनमें भी किसी को शरीक (साझी) तक न किया जाए।

5. इनसान को किसी पर इल्मी, अख़लाक़ी, माद्दी (भौतिक) और सियासी (राजनीतिक) बरतरी हासिल हो तो भी अपने उस अधीन के साथ, न्याय, इनसाफ़, एहसान, मुरव्वत, बराबरी और दोस्ताना बरताव करना चाहिए और किसी हालत में उसे कमतर और नीच न समझना चाहिए। यह इनसानियत की बुलन्दी और आदमीयत का तक़ाज़ा है। शेख़ सादी (रह॰) ने क्या ख़ूब कहा है—

   "आदम की औलाद एक-दूसरे के अंग हैं, क्योंकि पैदाइश के लिहाज़ से एक जौहर (तत्व) से पैदा हुए हैं। जब किसी अंग में दर्द होता है तो दूसरे अंगों में भी चैन और क़रार नहीं रहता है।"

6. ग़ुलामों पर शफ़क़त का दूसरा वाक़िआ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ि॰) बयान करते हैं कि ज़िम्बाअ अबू-रौह ने अपने एक ग़ुलाम को अपनी लौंडी के साथ (तन्हाई में मिलते हुए) देखा तो (ग़ुस्से से बेक़ाबू होकर) उसकी नाक और लिंग काट दिया। वह ग़ुलाम नबी (सल्ल॰) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, तो नबी (सल्ल॰) ने पूछा कि तुम्हें इस हालत तक किसने पहुँचाया? उसने कहा कि यह हालत ज़िम्बाअ ने बनाई है।

प्यारे नबी (सल्ल॰) ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम्हें ऐसा करने पर किस चीज़ ने उभारा है? तो उसने कहा कि इसकी फ़लाँ-फ़लाँ हरकतों की वजह से मैंने यह काम किया है।

प्यारे नबी (सल्ल॰) ने ग़ुलाम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज से तुम आज़ाद हो।

उसने नबी (सल्ल॰) से पूछा, "मैं फिर किसका मातहत (अधीन) हूँगा?" आप (सल्ल॰) ने कहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के ग़ुलाम हो। फिर प्यारे नबी (सल्ल॰) ने सारे मुसलमानों को उसके साथ अच्छे बरताव की वसीयत की।

रिवायत करने वाले का बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) इस दुनिया से चल बसे तो वह ग़ुलाम हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) के पास आया और कहा कि आपको अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की वसीयत याद है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। हम तुम्हारे और तुम्हारे बाल-बच्चों के लिए ख़र्च का बन्दोबस्त कर रहे हैं। फिर अबू-बक्र (रज़ि॰) ने उसके लिए वज़ीफ़ा जारी कर दिया। इसके बाद जब अबू-बक्र (रज़ि॰) भी वफ़ात पा चुके और हज़रत उमर (रज़ि॰) को ख़लीफ़ा बना दिया गया तो उनके पास आया और उनको भी अल्लाह

के नबी (सल्ल॰) की वसीयत की याददिहानी कराई। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उससे पूछा कि तुम और कहीं रहना चाहते हो? उसने कहा कि मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उसको मिस्र के गवर्नर के नाम एक ख़त लिखकर दिया कि इसको ज़िन्दगी बसर करने के लिए कुछ ज़मीन दी जाए। (हदीस : मुसनद अहमद-2/182)

इब्ने-माजा की रिवायत से मालूम होता है कि एक आदमी नबी (सल्ल॰) के पास रोते-पीटते हुए हाज़िर हुआ, आप (सल्ल॰) ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे आक़ा ने अपनी लौंडी का मुझे बोसा लेते हुए देखा तो उसने मेरा लिंग काट दिया, चुनाँचे आप (सल्ल॰) ने उसके मालिक को बुलाया, मगर वह आपके बुलाने के बावुजूद न मिला, तो नबी (सल्ल॰) ने उससे कहा कि जाओ तुम आज़ाद हो। उसने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मेरी मदद कौन करेगा? वह यह कहना चाहता था कि अगर मुझे मेरे आक़ा ने दोबारा ग़ुलाम बना लिया तो कौन मेरा मददगार होगा?

प्यारे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी हर मोमिन और मुस्लिम मर्द पर है। (हदीस : इब्ने-माजा-2/894)

फ़ुतूहुल मिस्र नाम की किताब की एक रिवायत में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि ज़िम्बाअ अल-जुज़ामी के ग़ुलाम का नाम सिन्दर था, जिसने उसकी लौंडी का मुँह चूमा था, जिसकी बिना पर उसने सज़ा के तौर पर उसके कान, नाक और लिंग काट दिए। सिन्दर नबी (सल्ल॰) के पास अपने मालिक की शिकायत लेकर हाज़िर हुआ। नबी (सल्ल॰) ने ज़िम्बाअ की तरफ़ यह पैग़ाम भेजा, "इन ग़ुलामों पर ऐसा बोझ न डालो जिसकी ये ताक़त नहीं रखते, इनको वही खिलाओ और पहनाओ जो तुम खाते और पहनते हो, अगर तुम इनसे ख़ुश हो तो अपने पास रखो, अगर तुम्हें पसन्द नहीं हैं तो फिर इनको बेच दो और अल्लाह की मख़लूक़ को अज़ाब न दो, और जिस ग़ुलाम की

शक्ल बिगाड़ दी गई या उसको आग से जला कर सजा दी गई तो वह आज़ाद होकर सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल का ग़ुलाम होगा।"

इसके बाद नबी (सल्ल॰) ने सिन्दर को आज़ाद कर दिया। तो उसने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मेरे लिए वसीयत कीजिए। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "मैं हर मुसलमान को तुम्हारे लिए वसीयत करता हूँ।"

प्यारे नबी (सल्ल॰) की वफ़ात के बाद सिन्दर हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) के पास आया और आप (सल्ल॰) की वसीयत की याददिहानी कराई तो अबू-बक्र (रज़ि॰) ने उसके लिए वज़ीफ़ा जारी कर दिया। जब हज़रत अबू-बक्र भी वफ़ात पा गए तो हज़रत उमर (रज़ि॰) के पास दोबारा आप (सल्ल॰) की वसीयत की याददिहानी कराने के लिए आया। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा कि मुझे नबी (सल्ल॰) की वसीयत अच्छी तरह याद है, अगर तुम हमारे पास ठहरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वही वज़ीफ़ा जारी रखूँगा, जो पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) ने जारी किया था और अगर तुम किसी और जगह पर रहना चाहते हो तो वहाँ के लिए भी तुम्हें परवाना (ख़त) लिखकर दूँगा।

सिन्दर ने जवाब दिया कि मैं मिस्र जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ और हरी-भरी है। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि॰) ने वहाँ के गवर्नर अम्र-बिन-अल-आस (रज़ि॰) को ख़त लिखा, "इस आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की वसीयत याद करना।"

जब वह अम्र-बिन-अल-आस (रज़ि॰) के पास पहुँचा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा और घर दे दिया। इसके बाद सिन्दर वहीं पर ज़िन्दगी बसर करने लगा।

(फ़ुतूहुल-मिस्र लिइब्निल-हकीम पृष्ठ 137-138)

एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने अपने आख़िरी ख़ुत्बे में फ़रमाया—

> "अपने ग़ुलामों का ख़याल रखो, जो तुम खाते हो वह उन्हें भी खिलाओ और जो तुम पहनते हो वही उनको पहनाओ। और अगर वे कोई ऐसा जुर्म करें, जिसे माफ़ नहीं करना चाहते तो अल्लाह के बन्दों को बेच दो और उन्हें अज़ाब न दो।" (अत्तबक़ातुल-कुबरा- 2/185)

7. ग़ुलामों पर रहमत व शफ़क़त का तीसरा वाक़िआ

हज़रत मारुर इब्ने-सुवैद ने रिवायत की है कि मैंने अबू-ज़र (रज़ि॰) को इस हालत में देखा कि उनपर एक चादर थी और उनके ग़ुलाम पर भी ऐसी ही चादर थी। तो मैंने कहा, अगर आप यह चादर (ग़ुलाम से) लेकर पहन लेते तो लिबास का एक जैसा जोड़ा हो जाता और उसे दूसरा कपड़ा दे देते। इसपर उन्होंने कहा कि मेरे और एक आदमी के बीच कोई बात (तू-तू मैं-मैं) हुई थी और उसकी माँ ग़ैर अरबी थी, इसलिए मैंने उसकी बेइज़्ज़ती करते हुए उसको माँ की गाली दी। चुनाँचे उसने इस बात का ज़िक्र नबी (सल्ल॰) से किया। इसपर आप (सल्ल॰) ने कहा, क्या तूने फ़लाँ को गाली दी है? मैंने कहा, "हाँ"। क्या तूने माँ की गाली दी है? मैंने कहा, "जी हाँ"। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, तू ऐसा आदमी है कि तेरे अन्दर जिहालत (अब भी) बाक़ी है। मैंने अर्ज़ किया, "बावुजूद बुढ़ापे के अभी भी।"

प्यारे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : हाँ, ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे अधीन किया है, इसलिए जिस भाई को अल्लाह उनके अधीन कर दे तो जो वह ख़ुद खाता है वही उसे (ग़ुलाम को) खिलाए और जो वह ख़ुद पहनता है वही लिबास उसे पहनाए और उसपर उस काम का बोझ न डाले, जो वह नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी

ताक़त से ऊपर है तो उसकी उसमें मदद करे।

(हदीस : सहीह बुख़ारी, फ़तहुलबारी 10/465)

हज़रत उबादा-बिन-वलीद से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद (बाप) अनसार के उस क़बीले के हलाक (तबाह) होने से पहले उनसे इल्म हासिल करने के लिए निकले। इसलिए सबसे पहले जिससे मिले वह अबू-युस्र (रज़ि॰), अल्लाह के रसूल के सहाबी, थे। उनके साथ उनका ग़ुलाम था। अबू-युस्र पर एक सफ़ेद चादर और मटियाले रंग की चादर थी और उनके ग़ुलाम पर भी एक सफ़ेद चादर और मटियाले रंग की चादर थी। मैंने उनसे कहा कि चचा अगर आप ग़ुलाम की सफ़ेद चादर ले लेते और उसे अपनी मटियाली चादर दे देते या उससे मटियाली चादर ले लेते और अपनी सफ़ेद चादर उसे दे देते तो आप पर लिबास का एक समान जोड़ा हो जाता और उसपर भी लिबास का एक जैसा जोड़ा हो जाता। इसपर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा! ऐ अल्लाह इसमें बरकत कर। मेरे भतीजे! मेरी इन दोनों आँखों ने देखा, मेरे इन दोनों कोनों ने सुना और मेरे दिल ने अपने अन्दर जगह दी, उन्होंने अपने दिल के बीचों-बीच इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के उस फ़रमान को बयान किया, जिसमें आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जो तुम खाते हो उसमें से उन्हें खिलाओ और जो तुम पहनते हो उसमें से उन्हें पहनाओ।" मैं उसे अपनी दुनिया का सब सामान दे दूँ यह मेरे लिए इससे कम है कि वह क़ियामत के दिन मेरी नेकियाँ ले जाए।

(हदीस : सहीह मुस्लिम)

मुआविया-बिन-सुवैद ने बयान किया कि मैंने अपने एक ग़ुलाम को थप्पड़ मारा और भाग गया। फिर मैं ज़ुहर (दोपहर की नमाज़) के वक़्त से थोड़ा पहले वापस आया और अपने वालिद के पीछे ज़ुहर की

नमाज़ पढ़ी। उन्होंने मुझे और उसे (ग़ुलाम को) बुलाया। फिर ग़ुलाम से कहा, इससे बदला लो। तो उसने माफ़ी दे दी। फिर (मेरे वालिद ने) फ़रमाया : हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के ज़माने में बनी-मुक़र्रिन (के नाम से मशहूर) थे। हमारे पास सिर्फ़ एक ख़ादिमा (नौकरानी) थी। हममें से एक ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब यह बात नबी (सल्ल॰) को मालूम हुई तो फ़रमाया, इस ख़ादिमा को आज़ाद कर दो। उन्होंने अर्ज़ किया कि उनके पास इसके सिवा कोई ख़ादिमा नहीं है। नबी (सल्ल॰) ने कहा, इससे उस वक़्त तक ख़िदमत लें जब तक कोई दूसरा बन्दोबस्त नहीं हो जाता और जब वे इससे बेपरवाह हो जाएँ तो इसे आज़ाद कर दें।

(हदीस : सहीह मुस्लिम- 3/1279)

हुमैद-बिन-सबाह मंसूर ख़लीफ़ा के ग़ुलाम ने घटना बयान की कि मंसूर ने एक बार कर्ख़ (बग़दाद के पूर्वी हिस्से का एक बाज़ार) की नाप करने का इरादा किया, इसलिए मुझसे कहा कि नापने का पैमाना अपने साथ ले लेना। चुनाँचे वह निकला और मैं भी उनके साथ निकला और शरक़िया के दरवाज़े पर पहुँचे तो मुझसे कहा कि पैमाना कहाँ है? इसपर मैं डर गया और अर्ज़ किया कि अमीरुल-मोमिनीन वह तो भूल गया। इसपर उन्होंने मुझे ढाल से मारा और जख़्मी कर दिया और मेरे चेहरे पर ख़ून बहने लगा। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो कहा कि तू अल्लाह के लिए आज़ाद है।

मुझसे मेरे वालिद ने और उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने अपने ग़ुलाम को दंडनीय अपराध के अलावा मारा, यहाँ तक कि उससे ख़ून बह निकला, तो इसका कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) उसे आज़ाद करना है।"

व्याख्या

1. हदीस नं॰ 6 में बयान किए गए ग़ुलाम का नाम सिन्दर था। यह ज़िम्बाअ अल-जुज़ामी का ग़ुलाम था, उसने उनकी लौंडी को चूमा-चाटा था। इसकी वजह से उसका मालिक नाराज़ हुआ और उसकी नाक और गुप्तांग काट दिया।
2. सिन्दर ने नबी (सल्ल॰) के पास ज़ख़्मी हालत में आकर शिकायत की और पूरा क़िस्सा बयान किया। चुनाँचे नबी (सल्ल॰) ने ज़िम्बाअ को बुलाया, लेकिन वह हाज़िर नहीं हुआ तो नबी (सल्ल॰) ने यकतरफ़ा फ़ैसला करके उसे आज़ाद कर दिया।
   (अत्तारीख़ुल-कबीर 2/78)
3. आक़ा पर क़िसास (बराबरी की सज़ा) तो नहीं है, अलबत्ता उस वक़्त का हाकिम (शासक) और जज ऐसी सूरत में दूसरी सज़ा दे सकता है। ताकि मालिक ग़ुलामों पर ज़ुल्म न करें। इसलिए उसे न सिर्फ़ आज़ाद किया बल्कि उसकी सरपरस्ती का बंदोबस्त भी किया और इस्लामी हुकूमत को उसका सरपरस्त बनाया।
4. नबी (सल्ल॰) ने ताज़ीर के तौर पर सिन्दर को आज़ाद कर दिया। क्योंकि उसके साथ ज़्यादती हुई थी।
5. मुद्दई और मुद्दआ अलैहि (वादी और प्रतिवादी) में से अगर मुद्दआ अलैहि बुलाने पर हाज़िर न हो तो क़ानूनी तक़ाज़े पूरे करने के बाद यकतरफ़ा फ़ैसला कर दिया जाएगा।
6. ख़लीफ़ा मंसूर (158 हि॰) ने शाही बाज़ार को बग़दाद के बीच से निकालकर पूर्वी दरवाज़े के पास 156 हि॰ में मुंतक़िल किया था। इस बात को बग़दाद की तारीख़, हाफ़िज़ अबू-बक्र अहमद-बिन-अली अल-ख़तीब बग़दादी, 463 हिजरी ने अपनी किताब की जिल्द नं॰ 1, पेज नं॰ 159 में बयान किया है)

8. नबी (सल्ल॰) का यतीम से इन्तिहाई रहमत का बरताव

बशीर-बिन-अक़रुबा अल-जुहनी (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैं उहुद की जंग के दिन अल्लाह के नबी (सल्ल॰) से मिला और पूछा कि मेरे वालिद का क्या हुआ? नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, उन पर अल्लाह की रहमत हो, वे शहीद हो चुके हैं। यह सुनकर मैं रोने लगा तो नबी (सल्ल॰) ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुझे अपने साथ सवारी पर बिठाया और कहा, "क्या तुम इस बात से ख़ुश नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप और आइशा (रज़ि॰) तुम्हारी माँ हों।"

(कशफ़ुल असतार, 2/385, नं॰ 191)

अत्तारीख़ुल-कबीर में बशीर के बजाए बिश्र-बिन-अक़रुबा है, वे कहते हैं कि मेरे बाप नबी (सल्ल॰) के साथ किसी लड़ाई में शहीद हो गए, मैं खड़ा रो रहा था कि मेरे क़रीब से नबी (सल्ल॰) का गुज़र हुआ तो मुझसे मुख़ातिब होकर कहा, "चुप हो जाओ! क्या तुम इस बात पर ख़ुश नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप और आइशा (रज़ि॰) तुम्हारी माँ हों?" मैंने कहा क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरे माँ-बाप आपपर क़ुरबान जाएँ।

व्याख्या

1. यतीम आमतौर पर समाज का मज़लूम तबक़ा रहा है। अरब के जाहिलियत भरे दौर में यतीमों के साथ बहुत ही ज़्यादती होती थी। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उस वक़्त यही हालत थी। इस्लाम ने इस तबक़े की मज़लूमियत दूर करने, इसे समाज में ऊँचा स्थान दिलाने, इसके हक़ अदा करने के लिए बहुत-सी बातें विस्तार से बयान कीं और इसकी बहुत ताकीद की है।
2. क़ुरआन मजीद में यतीम के बारे में 13 सूरतों में 32 बार ज़िक्र

आया है। फिर दौलत के मामले में इनका ख़याल रखने की बहुत ताकीद है। यतीम को खाना खिलाने, उसपर शफ़क़त व रहमत करने को उभारा है। मीरास में यतीम का न सिर्फ़ हक़ मुक़र्रर किया बल्कि उसे अदा करने की ताकीद की।

3. यतीम के हक़ मारने, उसको सताने और उसका माल खानेवाले के लिए दोज़ख़ के अज़ाब की धमकी दी गई है।

4. यतीम का मक़ाम नुमायाँ करने और उसकी बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए नबी (सल्ल॰) को यतीम पैदा किया गया।

5. यतीम की बड़ाई और अहमियत का लिहाज़ करते हुए नबी (सल्ल॰) ने किस तरह यतीमों पर शफ़क़त की इसका मंज़र इस हदीस से नुमायाँ होता है।

6. सहाबा (रज़ि॰) और बाद के ज़मानों में यतीमों के हक़ों का बहुत ख़याल रखा गया और दुनिया में यतीमख़ानों की शुरुआत भी नबी (सल्ल॰) के आने के बाद हुई है।

7. एक शहीद के यतीम बेटे को इस तरह प्यार करने, तसल्ली देने और उसे अपना और आइशा (रज़ि॰) का बेटा बना लेने का ऐलान करना वह महान और आदर्श नमूना है कि दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी मिसाल पेश की जा सके।

क्या ही अच्छा हो कि हम मुसलमान ऐसी मिसालों को अपनाएँ और दुनिया के सामने यह नमूना अपने अमल से पेश करें। आज दुनिया के मुसलमान देशों में जितने बच्चे यतीम बन रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ें और उनको अपनी गोद में लें तो वे फूल मुरझाने से बच जाएँ और महफ़ूज़ हो जाएँ।

भाग-2

नबी (सल्ल॰) की अपनी औलाद, रिश्तेदारों और छोटे बच्चों पर शफ़क़त

9. नबी (सल्ल॰) की अपने बेटे इबराहीम (रज़ि॰) से मुहब्बत

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से ज़्यादा किसी आदमी को भी अपने बाल-बच्चों पर रहमदिल नहीं देखा। हज़रत इबराहीम (रज़ि॰) मदीना के आस-पास के इलाक़े में दूध पीने के लिए छोड़े गए थे। जब नबी (सल्ल॰) उन्हें देखने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो हम भी आप (सल्ल॰) के साथ होते थे। नबी (सल्ल॰) ऐसे घर में दाख़िल होते जो धुएँ से भरा होता था। उनकी दाया का शौहर लोहार था। फिर नबी (सल्ल॰) इबराहीम (रज़ि॰) को उठाते, चूमते और फिर लौट-आते।

हज़रत अम्र (रज़ि॰) ने कहा कि जब इबराहीम (रज़ि॰) वफ़ात पा गए तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया,

> "इबराहीम मेरा बेटा था और वह दूध पीने की उम्र में वफ़ात पा गया। उसके लिए जन्नत में दो दाइयाँ हैं, जो उसकी रज़ाअत (दूध पीने की मुद्दत) पूरी करेंगी।"
>
> (हदीस : सहीह मुस्लिम, 4/1807)

हज़रत अनस (रज़ि॰) से दूसरी रिवायत है कि हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ अबू-सैफ़ लोहार के पास गए, जो इबराहीम

(रज़ि॰) की दाया के शौहर थे। फिर नबी (सल्ल॰) ने इबराहीम को उठाया, चूमा और उनके गालों को नाक से छुवा। फिर हम उनके पास दूसरे वक्त में गए तो इबराहीम अपनी जान ख़ुदा के हवाले कर रहे थे। फिर तो प्यारे नबी (सल्ल॰) की आँखों से आँसू जारी हो गए। इसपर नबी (सल्ल॰) से हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि॰) ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! आप भी रोते हैं।" नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, इब्ने-औफ़, यह रहमत है, फिर दूसरी बार आँसू बहे, उसपर आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "आँख आँसू बहाती है, दिल दुखी होता है, लेकिन हम वही बात कहते हैं जिससे हमारा रब (पालनहार) राज़ी होता है। ऐ इबराहीम, हम आपकी जुदाई पर बहुत दुखी हैं।"

(हदीस : बुख़ारी-3/182)

मकहूल की एक रिवायत में है कि अब्दुर्रहमान (रज़ि॰) ने नबी (सल्ल॰) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इससे तो आप (सल्ल॰) लोगों को रोकते हैं। जब आपको मुसलमान रोते देखेंगे तो वे भी रोएंगे। जब नबी (सल्ल॰) के आँसू थम गए तो फ़रमाया कि यह तो रहम है और जो रहम नहीं करता उसपर रहम नहीं किया जाएगा। हम लोगों को बैन करके रोने से रोकते हैं। और इससे रोकते हैं कि वे ऐसी बातें कहें जो उसमें नहीं थीं, और कहा, "अगर क़ियामत के दिन जमा करने का वादा न होता, मरनेवालों का यह रास्ता न होता और न बादवाले लोगों का पहलेवालों से मिलना होता, तो हमारा रवय्या कुछ और होता। बेशक हम इसपर दुखी हैं। आँख आँसू बहाती है, दिल ग़मगीन होता है। मगर हम वह बात नहीं कहते जो रब (पालनहार) को नाराज़ करे, इस (इबराहीम) की रज़ाअत (बच्चे के दूध पीने के ज़माने) की फ़ज़ीलत और दर्जा जन्नत है।"

हज़रत अनस (रज़ि॰) की हदीस सहीह बुख़ारी व मुस्लिम से है।

व्याख्या

1. प्यारे नबी (सल्ल॰) के बेटे हज़रत इबराहीम (रज़ि॰) की पैदाइश और ज़िन्दगी के हालात की कुछ कड़ियाँ इस मुबारक हदीस से साबित होती हैं। जैसे उनके दूध पीने का दौर, उनकी दाया, उसके शौहर का नाम, उसका पेशा, मुस्तक़िल रहने-बसने की जगह, घर की कैफ़ियत वग़ैरह।
2. नबी (सल्ल॰) की रहमत, शफ़क़त, औलाद से मुहब्बत और नर्म-दिली की कैफ़ियत इस हदीस से सामने आती है।
3. किसी रिश्तेदार की जुदाई और ग़म की बिना पर आँसू बहाना, रोना और दुख करना इनसानी स्वभाव के अनुकूल है और इस्लाम ने इसे बरक़रार रखा है।
4. कभी-कभी रोते हुए आवाज़ निकलना और ऐसे बोल बोलना, जो हक़ीक़त के मुताबिक़ और सही हों तो जाइज़ है। जैसे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : आँख आँसू बहाती है, दिल ग़मग़ीन होता है--------- ऐ इबराहीम, हम आप की जुदाई पर बहुत दुखी हैं।
5. हम भी अपने प्रियजनों की जुदाई पर इस हदीस को सामने रख कर ग़म व मलाल और दुःख का इज़हार करें तो यह तरीक़ा सही, न्यायसंगत और सुन्नत के मुताबिक़ होगा।
6. इस मुबारक हदीस से उन लोगों की बातों और रवैयों का ग़लत होना मालूम होता है, जो दुख और ग़म का इज़हार करने और रोने से मना करते हैं और इस तरह दुख ज़ाहिर करनेवालों को बेसब्री का ताना देते हैं। मनोवैज्ञानिक और मेडिकल के नज़रिए से इस तरह ग़म (दुख) को दबाने से कभी-कभी ज़ेहनी व जिस्मानी (शारीरिक) लिहाज़ से ख़तरनाक नतीजे निकलते हैं।

7. हज़रत इबराहीम (रज़ि॰) मारिया क़िबतिया (रज़ि॰) के पेट से मदीना में पैदा हुए और सतरह महीने की उम्र में वफ़ात पा गए। नबी (सल्ल॰) की दूसरी औलाद हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) से है।

10. नबी (सल्ल॰) की अपनी बेटी ज़ैनब (रज़ि॰) से मुहब्बत

हज़रत आइशा (रज़ि॰) बयान करती हैं कि (बद्र की लड़ाई के मौक़े पर) जब मक्कावालों ने अपने क़ैदियों के बदले में फ़िदया देने के लिए दूत भेजे तो ज़ैनब (रज़ि॰) ने अबुलआस के फ़िदये की रक़म में कुछ माल और अपना वह हार भेजा, जो हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) के पास होता था और ज़ैनब अबुलआस के घर अपने साथ लाई थीं।

हज़रत आइशा (रज़ि॰) बयान करती हैं कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की नज़र उस हार पर पड़ी तो नबी (सल्ल॰) का दिल भर आया और आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, तुम लोगों की क्या राय है अगर तुम उस हार के क़ैदी को छोड़ दो और उसका माल भी लौटा दो?

सहाबा (रज़ि॰) ने अर्ज़ किया, जी हाँ! हमें मंज़ूर है।

अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने उस (अबुलआस) से मुआहदा (सन्धि) किया या वादा किया कि वह ज़ैनब (रज़ि॰) के रास्ते से हट जाएगा और उसे छोड़ देगा। आप (सल्ल॰) ने ज़ैद-बिन-हारिसा (रज़ि॰) और अनसार में से एक आदमी को भेजा और कहा कि तुम दोनों याजिज वादी में ठहरे रहो यहाँ तक कि तुम्हारे पास ज़ैनब (रज़ि॰) आ जाए। फिर उसको अपने साथ लेकर आ जाओ।

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या

1. प्यारे नबी (सल्ल॰) का अपनी पहली बीवी हज़रत ख़दीजा (रज़ि॰) से सम्बन्ध, मुहब्बत और प्यार ज़ाहिर होता है कि आप (सल्ल॰)

सिर्फ़ उनके गले का हार देखकर बहुत दुखी हो गए।

2. हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) से मुहब्बत, शफ़क़त और लगाव वाज़ेह होता है।

3. हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) नबी (सल्ल॰) की बड़ी बेटी हैं, चूँकि मक्का में आप (सल्ल॰) को नबी बनाए जाने से पहले पैदा हुईं और जब बड़ी हुईं तो उनकी शादी अबुलआस-बिन-रबीआ-बिन-अब्द-शम्स से हुई। बद्र की लड़ाई के बाद मदीना आईं और यहाँ पर वफ़ात पा गईं।

4. याजिज एक वादी (घाटी) और जगह का नाम है, जो मक्का से लगभग आठ मील की दूरी पर स्थित है।

11. नबी (सल्ल॰) का अपनी नवासी से प्यार

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि॰) बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की छोटी बेटी (नवासी) पर दुनिया से जाने का वक्त आया तो नबी (सल्ल॰) ने उसको अपने सीने से चिमटा लिया और अपना प्यार-भरा हाथ उसपर रखा, उसके बाद वह इसी हालत में वफ़ात पा गई, जबकि वह नबी (सल्ल॰) के हाथों में थी। यह मंज़र देख कर उम्मे-ऐमन रोने लगीं। तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, उम्मे-ऐमन! अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की मौजूदगी में रोती हो? तो वे कहने लगीं, जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) रो रहे हों तो मैं क्यों न रोऊँ। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, मैं रो नहीं रहा, यह तो रहमत का इज़हार हो रहा है। फिर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, मोमिन हर हाल में भलाई में होता है, उस हाल में भी जब उसकी जान दोनों पहलुओं से निकाली जाती है तो वह अल्लाह तआला की हम्द (तारीफ़) बयान कर रहा होता है। (हदीस : नसई-4/11)

एक दूसरी हदीस में है जो इसराईल ने अता से बयान की है। यह बच्ची जब अपनी जान ख़ुदा के हवाले कर रही थी तो नबी (सल्ल॰) उसपर झुक गए और अपना सिर रूह (आत्मा) निकल जाने पर उठाया। रिवायत करनेवाले ने कहा है कि आप (सल्ल॰) ने सिर उठाया और कहा, "अलहम्दुलिल्लाह" (तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं), मोमिन हर हाल में भलाई में है। उसकी रूह उसके दोनों पहलुओं से निकल रही होती है और वह अल्लाह तआला की हम्द कर रहा होता है। (हदीस : मुसनद अहमद-1/297)

व्याख्या

1. यह क़िस्सा हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) की बेटी का है। ये अबुलआस से थीं। जब ज़ैनब (रज़ि॰) मदीना में आईं तो ये उनके साथ थीं और यहीं पर वफ़ात पाई।

2. नबी (सल्ल॰) की मुहब्बत, शफ़क़त और नर्म दिली का अन्दाज़ा इस हदीस से लगाएँ कि आप (सल्ल॰) उसकी वफ़ात पर इतना अधिक दुखी हो गए कि आप (सल्ल॰) की आँखों से आँसू जारी हो गए।

3. नबी (सल्ल॰) ने इस हदीस में फ़रमाया कि मोमिन हर हाल में भलाई में है। एक और हदीस में है कि मोमिन जब अच्छाई और भलाई मिलने पर शुक्र अदा करता है और ग़म व दुख पर सब्र करता है तो हर हाल में भलाई और नेकी में होता है।

4. किसी की मौत के वक़्त घरवालों के यहाँ जाकर तसल्ली और मातम-पुर्सी के बोल-बोलना नबी (सल्ल॰) की सुन्नत है।

12. नबी (सल्ल॰) का अपने नवासे से प्यार

हज़रत उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) की तरफ़ उनकी बेटी ने पैग़ाम भेजा कि मेरे बेटे पर जाँकनी का वक़्त (आख़िरी वक़्त) आ पहुँचा है। आप (सल्ल॰) यहाँ तशरीफ़ लाइए, तो प्यारे नबी (सल्ल॰) ने पैग़ाम भेजा कि वे आपको सलाम कहते हैं और फ़रमाते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की होती है, जो चाहे ले-ले और जो चाहे दे-दे और उसके पास हर चीज़ की अवधि तय है, इसलिए उसे सब्र करना चाहिए और सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। तो उनकी बेटी ने दोबारा नबी (सल्ल॰) को क़सम दिलाते हुए पैग़ाम भेजा कि आप (सल्ल॰) ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। नबी (सल्ल॰) यह पैग़ाम सुनकर उठ खड़े हुए। आप (सल्ल॰) के साथ सअद-बिन-उबादा, मुआज़-बिन-जबल, उबई-बिन-काब, ज़ैद-बिन-साबित दूसरे सहाबा (रज़ि॰) थे। बच्चा नबी (सल्ल॰) की ख़िदमत में पेश किया गया, उसका साँस उखड़ रहा था। रिवायत करनेवाला कहता है कि मेरा गुमान है कि उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि॰) ने कहा कि जैसे भरी हुई मशकीज़ा (हिल रही) हो। नबी (सल्ल॰) ने यह मंज़र देखा तो आप (सल्ल॰) की आँखें आँसुओं से छलक पड़ीं। इसपर सअ्द (रज़ि॰) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! यह क्या है? आप (सल्ल॰) ने कहा कि यह रहमत है, जिसको अल्लाह ने अपने बन्दों के दिलों में डाल दिया है और अल्लाह अपने रहमदिल बन्दों पर ही रहम फ़रमाता है।
(हदीस : सहीह-बुख़ारी, अल-फ़तह 3/151)

हज़रत आसिम बयान करते हैं कि सअ्द (रज़ि॰) ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! यह क्या है?" आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि यह रहमत है, जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों में से, जिसे चाहा उनके दिलों में रख दिया। अल्लाह तआला अपने रहमदिल बन्दों पर ही रहम करता है। (हदीस : बुख़ारी-अल-फ़तह 10/118)

नोट : (यह हदीस और हदीस नं॰ 11 दोनों को मिलाकर ग़ौर से पढ़ा जाए तो यह वही वाक़िआ है जो हदीस नं॰ 11 में बयान हुआ है, हदीस बयान करनेवाले से भूल हुई कि बेटी को बेटा कह दिया है)।

13. नबी (सल्ल॰) की हसन (रज़ि॰) और हुसैन (रज़ि॰) से मुहब्बत

हज़रत अबू-बुरैदा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) हमें ख़ुतबा दे रहे थे इसी दौरान हसन-हुसैन (रज़ि॰) आ गए। उन्होंने लाल रंग की क़मीस पहनी हुई थी और वे चलते हुए लड़खड़ा रहे थे तो नबी (सल्ल॰) (मुहब्बत के जोश) में मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाए और उन दोनों को उठा लिया और अपने सामने बैठा लिया। फिर फ़रमाया, अल्लाह ने सच फ़रमाया है: "तुम्हारे माल और औलाद फ़ितना (आज़माइश) हैं?" जब मैंने इन दोनों बच्चों को चलते और लड़खड़ाते हुए देखा तो मैं सब्र नहीं कर सका यहाँ तक कि मुझे अपनी बात ख़त्म करनी पड़ी और उन दोनों को उठा लिया।

(हदीस : तिरमिज़ी-5/658-रक़म 3774)

दुर्रुल-मंसूर में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि॰) एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के ख़ुतबे के दौरान हुसैन-बिन-अली (रज़ि॰) आए और वे अपने पहने हुए कपड़ों में लिपट कर गिर पड़े और रोने लगे तो अल्लाह के नबी (सल्ल॰) मारे मुहब्बत के मिम्बर से उतर आए और सारे लोग भी हुसैन (रज़ि॰) को उठाने की तरफ़ ध्यान देने लगे और उसे एक-दूसरे को पकड़ाने लगे। यहाँ तक कि वे नबी (सल्ल॰) के हाथों में पहुँच गए। उसके बाद नबी (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह शैतान को हलाक करे। यक़ीनन बेटा एक फ़ितना (अज़माईश) है। उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्ज़-ए-क़ुदरत में मेरी जान है कि मुझे कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि मैं अपने मिम्बर से उतर चुका हूँ।" (दुर्रुल-मंसूर-8/186)

व्याख्या

'फ़ितना' का मादूदा फ़-त-न है, जिसके माने हैं आज़माइश, इम्तिहान और कठिन परीक्षा। क़ुरआन मजीद में औलाद और माल को फ़ितना कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि यह इनसान की आज़माइश का सबब है।

बेशक इन दोनों से हर आदमी की आज़माइश होती है, बहुत-से लोग हैं, जो इनकी मुहब्बत और कशिश (आकर्षण) में लिप्त होकर अपना दीनी नुक़सान कर बैठते हैं और बहुत-से अल्लाह के बन्दे ऐसे हैं कि इनपर अपने दीन-ईमान को तरजीह देते हैं और इनको दूसरी हैसियत देते हैं। लेकिन उनके हक़ अदा करने में कोताही नहीं करते।

14. जन्नत के दो नौजवान सरदारों से नबी (सल्ल०) की शफ़क़त

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-शदूदाद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि ज़ुहूर या अस्र में से किसी नमाज़ के वक्त प्यारे नबी (सल्ल०) तशरीफ़ लाए और आप (सल्ल०) हसन (रज़ि०) या हुसैन (रज़ि०) को उठाए हुए थे। आप (सल्ल०) ने उसको आगे करके बिठा दिया और नमाज़ के लिए तकबीर (अल्लाहु-अकबर) कह कर नमाज़ शुरू की। फिर जब सजदा किया तो नबी (सल्ल०) ने अपनी नमाज़ के दौरान सजदे को लम्बा किया। मेरे बाप कहते हैं कि मैंने अपना सिर उठा कर देखा तो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) सजदे की हालत में हैं और बच्चा आप की पीठ पर बैठा हुआ है। यह देख कर मैं वापस सजदे में चला गया। फिर जब नबी (सल्ल०) ने नमाज़ पूरी की तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आपने अपनी नमाज़ के दौरान सजदा इतना लम्बा किया, यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि कोई मामला दरपेश आया है, या फिर आप (सल्ल०) की तरफ़ वह्य (प्रकाशना) की

जा रही है। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, इनमें से कोई बात न थी, मेरा बेटा मेरे ऊपर सवार था और मुझे यह बात अच्छी न लगी कि मैं उसके लिए उजलत से पेश आऊँ (जल्दी करूँ) यहाँ तक कि वह अपनी (खेलने की) ज़रूरत पूरी कर ले। (हदीस : नसई-2/182)

हज़रत अबू-बकरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) नमाज़ पढ़ा रहे थे और हसन-बिन-अली (रज़ि॰) आपकी पीठ पर कूद रहे थे। जब नबी (सल्ल॰) सजदा करते तो वे ऐसा बार-बार करते। इसपर लोगों ने कहा, अल्लाह की क़सम नबी (सल्ल॰) उनके साथ वह बात करते हैं कि किसी और के साथ आप को ऐसा करते हुए हमने नहीं देखा। इब्ने-मुबारक ने कहा कि नबी (सल्ल॰) ने कोई बात कही फिर फ़रमाया, "यह मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के दो गरोहों के बीच सुलह कराएगा।" चुनाँचे हसन (बसरी) ने कहा कि अल्लाह की क़सम, अल्लाह की क़सम! इनके वाली (गर्वनर) बनने के बाद उनकी ख़िलाफ़त के दौर में एक सींगी भर भी ख़ून नहीं बहाया गया।" (हदीस : मुसनद अहमद-5/44)

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने हसन-बिन-अली (रज़ि॰) को देखा कि वे नबी (सल्ल॰) के पास आते जबकि नबी (सल्ल॰) सजदे में होते तो नबी (सल्ल॰) की पीठ पर सवार हो जाते। आप (सल्ल॰) उसे उतारते नहीं थे जब तक ख़ुद नहीं उतर जाते, और वे आते और आप (सल्ल॰) रुकूअ कर रहे होते तो अपने दोनों पैरों को फैला देते और वे दूसरी तरफ़ निकल जाते।

(दमिश्क़ का इतिहास-4/896)

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) इशा (रात) की नमाज़ पढ़ रहे होते और हसन-हुसैन (रज़ि॰) आपकी पीठ पर खेलते-कूदते, जब आप नमाज़ पढ़ चुके होते तो अबू-हुरैरा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰)! मैं इनको इनकी माँ

के पास छोड़ आऊँ? तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, नहीं। फिर बिजली चमकी तो वे दोनों उसकी रौशनी में चल पड़े यहाँ तक कि अपनी माँ के पास पहुँच गए। (हदीस : मुसनद अहमद)

15. नबी (सल्ल॰) की हसन (रज़ि॰) और उसामा (रज़ि॰) पर शफ़क़त

हज़रत उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) मुझे लेकर अपनी एक रान पर बिठाते और हसन (रज़ि॰) को दूसरी रान पर बिठाते। फिर हम दोनों को आपस में मिलाकर फ़रमाते, "ऐ अल्लाह! इन दोनों पर रहम फ़रमा क्योंकि मैं भी इनके साथ रहमत और शफ़क़त (प्यार) से पेश आता हूँ।"

(हदीस : बुख़ारी, फ़तहुल-बारी- 10/434)

व्याख्या

नबी (सल्ल॰) की अपने ग़ुलाम के बेटे और अपने नवासे हसन (रज़ि॰) के बीच मुहब्बत और बराबरी का एक समान बरताव करने की मिसाल है। यह आज के दौर में इतनी हैरतअंगेज़ नहीं है लेकिन उस दौर के लिहाज़ से एक बहुत बड़ा कारनामा है, जिसका उस दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था।

- यही वजह है कि उसामा (रज़ि॰) बाद में एक लशकर के सरदार बने।
- इसमें बच्चों के साथ शफ़क़त और मुहब्बत की मुसलमानों को तालीम है।
- उसामा (रज़ि॰) के बाप हज़रत ज़ैद (रज़ि॰) की क़ुरबानियों का एतिराफ़ और क़द्र है।

16. नबी (सल्ल॰) की उमामा-बिन्ते-ज़ैनब (रज़ि॰) से मुहब्बत

हज़रत अबू-क़तादा अंसारी (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) अपनी बेटी ज़ैनब की बेटी (अपनी नवासी) उमामा को उठाए हुए नमाज़ पढ़ते थे, जो अबुल-आस-बिन-सबीआ-बिन-अब्दुश-शम्स की बेटी है। बयान करनेवाले ज़ैद कहते हैं कि जब नबी (सल्ल॰) सजदा करते तो उमामा को बिठा देते थे और क़ियाम (खड़े होते) करते तो उसको उठा लेते थे। (हदीस : मुवत्ता-1/170)

मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी (सल्ल॰) को लोगों की इमामत करते हुए देखा कि उमामा-बिन्ते-अबुल-आस जो हज़रत ज़ैनब-बिन्ते-नबी (सल्ल॰) की बेटी हैं, अपने कंधे पर उठाए हुए थे, जब नबी (सल्ल॰) रुकूअ करते तो उसे नीचे उतार देते और जब सजदे से उठते तो उसे दोबारा कन्धे पर बिठा लेते थे। (हदीस : मुस्लिम-1/385-386)

अम्र-बिन-सलीम बयान करते हैं कि एक बार हम ज़ुहर या अस्र की नमाज़ के लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का इन्तिज़ार कर रहे थे। हज़रत बिलाल (रज़ि॰) नबी (सल्ल॰) को नमाज़ के लिए बुलाने गए। जब नबी (सल्ल॰) हमारे पास आए तो उमामा बिन्ते-अबुल-आस, जो कि नबी (सल्ल॰) की नवासी थीं, आपकी गर्दन पर सवार थीं। नबी (सल्ल॰) अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह पर खड़े हो गए और हम उनके पीछे सफ़ बनाकर खड़े हो गए और वह बच्ची उसी जगह बैठी हुई थी जहाँ पर वह पहले थी। जब नबी (सल्ल॰) ने तकबीर (अल्लाहु अकबर) कही तो हमने भी तकबीर कही, फिर जब नबी (सल्ल॰) रुकूअ का इरादा करते तो उसको पकड़ कर नीचे बिठा देते। उसके बाद आप (सल्ल॰) रुकूअ और सजदा करते थे। फिर जब नबी (सल्ल॰) अपने सजदों से फ़ारिग होकर खड़े होते थे तो उस

बच्ची को पकड़ कर वापस अपनी जगह पर बिठा देते। इसके बाद नबी (सल्ल॰) हर रकअ़त में इसी तरह करते रहे, यहाँ तक कि आप (सल्ल॰) अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए।

(हदीस : अबू-दाऊद-1/563)

व्याख्या

नमाज़ में और वह भी फ़र्ज़ नमाज़ में इस तरह एक बच्ची को उठा कर अपने कन्धे पर बिठाना और रुकूअ-सजदे करते वक्त उतार कर नीचे बिठाना यक़ीनी तौर पर नमाज़ के अमल से अलग ज़्यादा अमल है। नमाज़ में अमले-कसीर (ज़्यादा काम) की जो तारीफ़ (परिभाषा) शरीअत के आलिमों ने की है वह इसपर सादिक़ (आइद) आती है। लिहाज़ा इस हदीस की दलील और तावील की गई है। उनमें से कुछ राएँ नीचे लिखी जा रही हैं–

1. मालिकी और हनफ़ी (कुछ लोग) इसे मंसूख़ (रद्द) क़रार देते हैं।
2. कुछ हनफ़ी आलिम इसे नबी (सल्ल॰) की ख़ास आदतें क़रार देते हैं।
3. कुछ ने इसे ज़रूरत और तालीम के लिए क़रार दिया है।
4. ज़वाहिरी और शाफ़ई लोग इसपर अमल करना सुन्नत समझते हैं।
5. इमाम अबू-मुहम्मद मुहीयुद्दीन ज़करिया अपनी शरह (व्याख्या) मुस्लिम में लिखते हैं–

ये सारे दावे झूठ और ग़लत हैं। इनकी कोई दलील नहीं हैं और न ही ज़रूरत की बिना पर यह अमल है। हदीस में कोई ऐसी बात नहीं है जो शरीअत के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि आदमी पाक है, इसी तरह बच्चों के कपड़े और जिस्म पर जब तक गन्दगी लगी न हो पाक-साफ़ माना जाएगा और नमाज़ में ये कभी उसे ख़राब नहीं करते जब कि कम हों या अलग-अलग हों। नबी (सल्ल॰) ने ऐसा इसलिए

किया ताकि इसका जाइज़ होना लोगों को मालूम हो जाए।

(सहीह-मुस्लिम की शरह-5/32)

6. अल-फ़ाकिहानी ने कहा कि नबी (सल्ल॰) का उमामा को नमाज़ में उठाने का राज़ (भेद) यह है कि आप (सल्ल॰) अरबवालों की बच्चियों से नफ़रत, ऐब और ना-पसन्दीदगी के ख़याल को ख़त्म करना चाहते थे। नमाज़ में इस तरह का ज़ाहिरी अमल करके सबको दिखाना चाहते थे कि एक अमल जब नमाज़ में जाइज़ है तो नमाज़ से बाहर तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीक़े से जाइज़ होगा। हाफ़िज़ इब्ने-हिज्र असक़लानी ने कहा है कि इसमें आप (सल्ल॰) की बच्चियों से ख़ातिरदारी करना, उनपर शफ़क़त व प्यार करना, उनकी इज़्ज़त करना साबित होता है।

(फ़तहुल-बारी-1/295)

17. नबी (सल्ल॰) की अपने चचा और ग़ैर-मुस्लिम क़ैदियों पर शफ़क़त

अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि॰) बयान करते हैं कि जब बद्र की लड़ाई के दिन शाम के वक्त क़ैदियों को बाँध दिया गया था तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने रात का पहला पहर जागकर गुज़ारा। सहाबा (रज़ि॰) ने अर्ज़ किया, "अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! क्या आपको नींद नहीं आ रही है?" आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "अब्बास को सख़्त बाँधने की वजह से कराहते हुए सुना है।" चुनाँचे कुछ लोग उठे और उनके बंधन खोल दिए। फिर आप (सल्ल॰) सो गए।

यज़ीद-बिन-असम ने हदीस इस तरह बयान की है कि बद्र के क़ैदियों में नबी (सल्ल॰) के चचा हज़रत अब्बास भी शामिल थे, चुनाँचे नबी (सल्ल॰) रात को जागते रहे। इसपर आप (सल्ल॰) के सहाबा (रज़ि॰) में से किसी ने कहा, अल्लाह के नबी (सल्ल॰) आप की नींद

क्यों उड़ गई है? तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, अब्बास के कराहने की वजह से।

इसपर एक आदमी खड़ा हुआ और जाकर अब्बास के बन्धन ढीले कर दिए। आप (सल्ल॰) ने पूछा, क्या बात है कि अब्बास का कराहना नहीं सुन रहा हूँ। इसपर लोगों में से एक ने कहा कि मैंने उनके बन्धन कुछ ढीले कर दिए हैं। इसपर आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया! जाओ और सारे बद्र के क़ैदियों के साथ इस तरह का बरताव करो। (तबक़ातुल-कुबरा-4/13)

इब्ने-अब्बास ने मग़ाज़ी में बयान किया है कि जब हज़रत उमर (रज़ि॰) को बद्र के क़ैदियों के बाँधने का ज़िम्मेदार बनाया गया तो उन्होंने दूसरे लोगों के साथ अब्बास को भी सख़्त बाँधा। चुनाँचे अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने उनके कराहने की अवाज़ सुनी, तो आप (सल्ल॰) को नींद नहीं आई। जब यह बात अनसार को पहुँची तो उन्होंने हज़रत अब्बास के बन्धन खोल दिए। (फ़तहुल-बारी-7/322)

व्याख्या

1. हदीस में उस दौर में क़ैदियों को सख़्त बाँधने का अन्दाज़ मालूम होता है।
2. सहाबा (रज़ि॰) के अच्छे ज़ौक़ और उनकी समानता व बराबरी का अन्दाज़ और बरताव भी सामने आता है कि उन्होंने सारे क़ैदियों के साथ बराबरी का बरताव किया। यह ख़याल नहीं किया कि हज़रत अब्बास नबी (सल्ल॰) के प्यारे चचा हैं इसलिए उनको छूट दें और न बाँधें।
3. नबी (सल्ल॰) की रहमत व शफ़क़त और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मालूम होता है कि चचा के कराहने से नींद नहीं आई

और बेचैनी महसूस करते हैं।

4. सहाबा (रज़ि॰) का नर्म दिली का ज़ौक़ कि आप (सल्ल॰) को तकलीफ़ से निकालने के लिए हज़रत अब्बास के बन्धन ढीले करते हैं या कुछ खोल देते हैं।

5. नबी (सल्ल॰) का समानता और बराबरी का बरताव और सुलूक देखिए, कहते हैं कि सारे क़ैदियों के बन्धन ढीले कर दें और सबके साथ बराबरी का सुलूक करें। क्या दुनिया इस तरह का बरताव नबियों (अलैहि॰) के सिवा किसी और आदमी का भी पेश कर सकती है और दुनिया में अगर कोई मिसाल मिलती भी है तो नबी (सल्ल॰) के साथियों (रज़ि॰) और उम्मत के लोगों की ही मिल सकती है।

6. नबी (सल्ल॰) के इस अमल से जहाँ शफ़क़त और रहमत की बातें मालूम होती हैं, वहीं क़ैदियों के हक़ और अधिकारों का लिहाज़ करने और उनके साथ अच्छा बरताव करना भी मालूम होता है। सहाबा (रज़ि॰) के अच्छे बरताव के इस तरह के कई दूसरे वाक़िए भी सामने आते हैं, जो सीरत (जीवनी) में मौजूद हैं।

7. जंगी क़ैदियों के सिलसिले में आजकल 'जिनेवा कनवेंशन' का बार-बार हवाला दिया जाता है और क़ैदियों के अधिकारों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और इस दौर के सुधारों और उपकारों में इसे गिना जाता है। हलाँकि प्यारे नबी (सल्ल॰) और आपके साथियों (रज़ि॰) ने क़ैदियों के हक़ और उनसे सुलूक और बरताव के अनगिनत नमूने छोड़े हैं, उन्हें एक जगह जमा किया जाए तो 'जिनेवा कनवेंशन' और मानवाधिकार के चार्टर से बेहतर दस्तावेज़ बन सकता है।

अफ़सोस कि मुसलमान बजाए सकारात्मक और उच्च आदर्श पेश

करने के कुछ उन वाक़िआत और घटनाओं की प्रतिरक्षा में और उनके बहाने पेश करने में लगे हुए हैं, जो एक ख़ास पसमंज़र में अंजाम दिए गए।

18. प्यारे नबी (सल्ल॰) का हज़रत जाफ़र (रज़ि॰) के घरवालों के दुख में शामिल होना

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-जाफ़र (रज़ि) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक लशकर भेजा और उसपर ज़ैद-बिन-हारिसा को आमिल (कमांडर) मुक़र्रर किया। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, अगर ज़ैद क़त्ल या शहीद कर दिए जाएँ तो तुम्हारे सरदार जाफ़र-बिन-अबू-तालिब हैं, फिर अगर जाफ़र क़त्ल हो जाएँ या शहीद हो जाएँ तो तुम्हारे कमांडर अब्दुल्लाह-बिन-रवाहा हैं। चुनाँचे ये लोग दुश्मन से जा टकराए और ज़ैद (रज़ि॰) ने झंडा उठाया और लड़े यहाँ तक कि क़त्ल कर दिए गए। फिर हज़रत जाफ़र ने झंडा उठाया और लड़ते रहे यहाँ तक कि क़त्ल कर दिए गए। फिर अब्दुल्लाह-बिन-रवाहा (रज़ि॰) ने झंडा उठाया और लड़े यहाँ तक कि वे भी क़त्ल कर दिए गए। उनके बाद हज़रत ख़ालिद-बिन-वलीद (रज़ि॰) ने झंडा लिया और अल्लाह ने उनके हाथ पर फ़तह (विजय) दी। यह ख़बर नबी (सल्ल॰) के पास पहुँची तो आप (सल्ल॰) लोगों की तरफ़ आए फिर अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान की और उसके बाद फ़रमाया—

आपके भाई दुश्मन से टकराए तो ज़ैद-बिन-हारिसा (रज़ि॰) ने झंडा थाम लिया और लड़े यहाँ तक कि क़त्ल कर दिए गए या शहीद कर दिए गए। फिर जाफ़र-बिन-अबू-तालिब ने झंडा पकड़ लिया और लड़े यहाँ तक कि क़त्ल कर दिए गए या शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्लाह-बिन-रवाहा ने झंडा पकड़ा और लड़े यहाँ तक कि क़त्ल कर दिए गए या शहीद कर दिए गए। उसके बाद उस (झंडे को)

अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ख़ालिद-बिन-वलीद ने थाम लिया तो अल्लाह तआला ने उनके हाथ पर फ़तह दे दी। फिर नबी (सल्ल॰) ने जाफ़र के घरवालों को तीन दिन मोहलत दी और कहलवाया कि नबी (सल्ल॰) उनके पास आएँगे। फिर नबी (सल्ल॰) उनके पास (तीन दिन के बाद) तशरीफ़ लाए फ़रमाया—

मेरे भाई पर आज के बाद मत रोओ। फिर कहा, मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ। चुनाँचे हमें लाया गया। हम मानो परिन्दों के बच्चे (बाल बढ़ने की वजह से) थे। नबी (सल्ल॰) ने कहा, हज्जाम (नाई) को मेरे पास बुलाओ। तो फिर उसे बुलाया गया। उसने हमारे सिर मूँड़े। इसके बाद कहा, मुहम्मद तो हमारे चचा अबू-तालिब के हम शक्ल हैं और अब्दुल्लाह (इब्ने-मारूफ़ की किताब में अब्दुल्लाह की जगह औनुल्लाह है) तुम शक्ल और अख़लाक़ में मेरे हमशक्ल हो। फिर नबी (सल्ल॰) ने उनका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उठाते हुए फ़रमाया, ऐ अल्लाह जाफ़र के घर परिवार में उत्तराधिकारी बना और अब्दुल्लाह के दाहिने हाथ के सौदे में बरकत डाल दे। यह दुआ तीन बार फ़रमाई। फिर आप हमारी माँ के पास आए तो उसने हमारी यतीमी का तज़किरा किया और उनके सामने ग़म ज़ाहिर करने लगीं। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा, क्या आप इनकी ग़रीबी और बेबसी से डर रही हैं? मैं इनका दुनिया और आख़िरत में वाली (सरपरस्त) हूँ।

(हदीस : तबक़ातुल-कुबरा-4/37)

यहया-बिन-वाइल ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह-बिन-जाफ़र से कहते हुए सुना : मुझे वह बात अच्छी तरह याद है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मेरी अम्मी के पास आए और उन्हें मेरे बाप की वफ़ात की ख़बर दी। मैं उस वक़्त नबी (सल्ल॰) की तरफ़ देख रहा था और आप (सल्ल॰) मेरे और मेरे भाई के सिरों पर हाथ फेर रहे थे और

आप (सल्ल॰) की दोनों आँखों से आँसू बह रहे थे यहाँ तक कि वे दाढ़ी मुबारक से टपक रहे थे। फिर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह! जाफ़र आप की तरफ़ बेहतरीन सवाब (नेकी, भलाई) लेकर आए हैं, इसलिए उनकी औलाद में उनके पीछे ऐसी बेहतरीन बातें, जो नेक बन्दों की औलाद में आपने पैदा की हैं, वह उनमें पीछे बाक़ी रख।

मुसनद अहमद में असमा-बिन्ते-उमैस (रज़ि॰) से रिवायत है, वे कहती हैं कि जब हज़रत जाफ़र और उनके साथियों की शहादत हुई तो मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास गई और उससे पहले मैंने चालीस खालें रंगी थीं और अपने बेटों को नहलाया, उनको तेल लगाया और उन्हें साफ़-सुथरा किया। तो फिर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि जाफ़र के बेटों को मेरे पास लाओ। चुनाँचे मैं उनको नबी (सल्ल॰) के पास ले गई तो आप (सल्ल॰) ने उनको चूमा और आप (सल्ल॰) की आँखों से आँसू बह रहे थे। तो मैंने कहा, आप पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान जाएँ। आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप को जाफ़र और उनके साथियों के बारे में कोई ख़बर पहुँची है? नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : जी हाँ, वे शहीद हो गए हैं। वे कहती हैं कि मैं चीख़ने लगी और दूसरी औरतों को जमा करने लगी और अल्लाह के नबी (सल्ल॰) अपने घरवालों की तरफ़ चले गए और उनसे कहा : जाफ़र के बाल-बच्चों का ख़याल रखो और उनके लिए खाना तैयार करो क्योंकि वे अपने घर के बड़े के ग़म में मुब्तला (ग्रस्त) हैं।

व्याख्या

1. हज़रत जाफ़र-बिन-अबू-तालिब (रज़ि॰) से नबी (सल्ल॰) के चचाज़ाद भाई होने और इस्लाम में क़ुरबानियाँ देने की वजह से गहरा ताल्लुक़ रहा है। इसका इज़हार इस हदीस से होता है।

2. वफ़ात पानेवाले पर आमतौर पर तीन दिन तक सोग करने की शरीअत ने इजाज़त दी है। जिसका सुबूत इस जुमले से भी मिलता है और इस बात से भी कि आप (सल्ल॰) उनके पास (तीन दिन के बाद) तशरीफ़ लाए।

3. तीन दिन के बाद उस सोग को ख़त्म करना चाहिए और उसकी एक सूरत यह है कि ग़मज़दा ख़ानदान नहा-धोकर कपड़े बदले और अपने काम-काज में लग जाए।

4. ग़म के मारे ख़ानदान के लिए तीन दिन तक उसके रिश्तेदार और दोस्त लोग खाने का बन्दोबस्त करें और मुनासिब शक्ल यह है कि खाना पकवाकर भिजवाया जाए या उनके घर में भी पकवाया जा सकता है।

5. इस हदीस की अलग-अलग रिवायतों से नबी (सल्ल॰) का रोना, आँसू बहाना और ग़म का इज़हार करना साबित होता है। इससे मालूम होता है कि शहीद पर भी आँसू बहाए जा सकते हैं। यह ग़लत है कि किसी प्यारे रिश्तेदार की शहादत पर ग़म का इज़हार न हो। यह इज़हार फ़ितरी और स्वाभाविक होगा न कि बनावटी और दिखावे का। अलबत्ता ज़बान से सब्र और शुक्र और शहीद के लिए ख़ुशनसीबी और शहादत के ही बोल कहे जाएँ।

6. शहीद की औलाद के सिरों पर शफ़क़त के हाथ फेरना, उनके लिए ज़िन्दगी गुज़ारने का बन्दोबस्त करना और दुआ करना नबी (सल्ल॰) की सुन्नत है।

7. इस्लामी हुकूमत को शहीदों की औलाद के लिए ख़ास तौर पर बन्दोबस्त करना चाहिए। यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी और कर्तव्य है। जैसा कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "मैं उनका दुनिया और आख़िरत में सरपरस्त हूँ।"

8. मौता की लड़ाई के शहीदों की ख़बर उसी दिन देना नबी (सल्ल०) का चमत्कार है कि सैकड़ों मील दूर की सूचना बिना किसी माद्दी और भौतिक माध्यम के आप (सल्ल०) ने उसी दिन दे दी।
9. बच्चों की हिम्मत बढ़ाने और रहनुमाई के लिए उनकी मिसाल किसी बड़ी हस्ती से देना एक मनोवैज्ञानिक अमल है, इससे बच्चे उस शख़्स को अपना आइडियल बनाएँगे और आगे बढ़ेंगे। माँ-बाप और शिक्षकों को यह बात अपने सामने रखनी चाहिए।
10. यहाँ जिस लड़ाई की बात चल रही है उसे मौता की लड़ाई कहते हैं। यह लड़ाई जुमादल-ऊला सन् 8 हिजरी में दो लाख रूमी लश्कर का मुक़ाबला करने के लिए मौता के मक़ाम पर लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों के लश्कर में तीन हज़ार मुजाहिद थे और तीन कमांडर एक के बाद एक शहीद होते चले गए और फिर ख़ालिद-बिन-वलीद (रज़ि०) ने सरदारी का झंडा उठाया और फ़तह हासिल की।

    इस लड़ाई के बाद इसके सिलसिले में रजब सन् 9 हिजरी में नबी (सल्ल०) खुद तीस हज़ार का लश्कर लेकर तबूक पहुँचे लेकिन लड़ाई नहीं हुई। इसे तबूक की लड़ाई कहा जाता है।

19. नबी (सल्ल०) का बच्चों से प्यार करना

हज़रत अब्दुल्लाह-इब्ने-जाफ़र (रज़ि०) ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जैसे ही सफ़र से आते थे तो (सबसे पहले) अपने ख़ानदान के बच्चों से मिलते थे। वे कहते हैं कि नबी (सल्ल०) एक मरतबा सफ़र से तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मुझे उनकी तरफ़ बढ़ाया गया, तो मुझे सवारी पर अपने आगे बिठा लिया, फिर हज़रत फ़ातिमा के बेटों में से एक को आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने पीछे बिठा लिया। रावी कहते हैं कि हम तीनों एक सवारी पर मदीना में दाख़िल हुए। (हदीस : मुस्लिम- 4/1885)

अबू-दाऊद की हदीस इससे मिलती-जुलती है। अलबत्ता उसमें है कि जो बच्चा नबी (सल्ल॰) का पहले स्वागत (सामना) करता उसे अपने आगे बिठा लेते। चुनाँचे मैं (अब्दुल्लाह) पहले सामने आया तो मुझे आगे बिठाया फिर हसन या हुसैन सामने आए तो उन्हें पीछे बिठाया। इस तरह हम मदीना में इसी हालत में दाख़िल हुए।

(हदीस : अबू-दाऊद- 3/59- रक्म-2566)

मुस्नद-अहमद में इससे मिलता-जुलता एक दूसरा वाक़िआ हज़रत अब्दुल्लाह से बयान हुआ है कि मैं और क़ुसम और उबैदुल्लाह (अब्बास के बेटे) खेल रहे थे कि नबी (सल्ल॰) सवारी पर हमारे पास से निकले तो आप (सल्ल॰) ने कहा कि इसे मेरी तरफ़ उठाओ। चुनाँचे मुझे अपने सामने बिठाया, और क़ुसम को ऊपर उठाने के लिए कहा तो आपने उसे अपने पीछे बिठाया। (और उबैदुल्लाह को छोड़ दिया) जबकि उबैदुल्लाह हज़रत अब्बास (रज़ि॰) को क़ुसम से ज़्यादा प्यारे थे। उबैदुल्लाह को छोड़ने और क़ुसम को उठाने में अपने चचा का ख़याल नहीं किया।

फिर नबी (सल्ल॰) ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और हर बार कहा, ऐ मेरे अल्लाह! जाफ़र के बेटे को उसका अच्छा नायब बना दे। रावी (आसिम) कहता है कि मैंने अब्दुल्लाह से पूछा, क़ुसम के साथ क्या मामला हुआ? तो उन्होंने बताया कि वे शहीद हो गए तो मैंने कहा कि अल्लाह हीं भलाई को ज़्यादा जानता है और उसका रसूल (सल्ल॰) ख़ैर और भलाई को ज़्यादा जानता है तो उन्होंने (अब्दुल्लाह ने) कहा, "जी हाँ"।

व्याख्या

1. प्यारे नबी (सल्ल॰) बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों को भी आप (सल्ल॰) की रहम-दिल तबीअत की वजह से मुहब्बत थी। आप (सल्ल॰) दुनिया के जनरलों, सरदारों और बादशाहों की

तरह नहीं थे कि आप (सल्ल॰) के सामने हटो-बच्चो की आवाज़ें लगाई जातीं और किसी को भी सामने न आने दिया जाता।

2. नबी (सल्ल॰) बच्चों के बीच भी बराबरी का लिहाज़ रखते थे, जो पहले आया उसे आप (सल्ल॰) ने आगे बिठाया और जो बाद में आया उसे अपने पीछे बिठा लिया ताकि बच्चों में फ़र्क़ और भेद-भाव का ख़याल न पैदा हो और समानता का सबक़ मिले।
3. नबी (सल्ल॰) का मामूल यही था कि मदीने में दाख़िल होते वक़्त बच्चों को सलाम करते और कुछ को अपनी सवारी पर बिठा लेते।
4. इसी शफ़क़त और रहमत की वजह से कभी-कभी बच्चे मदीना से बाहर निकल कर नबी (सल्ल॰) का स्वागत करने के लिए इन्तिज़ार करते थे।
5. इनसाफ़ और न्याय संगत बरताव करने में किसी की शख़्सियत (पद), बड़ाई और रिश्तेदारी का लिहाज़ नहीं करना चाहिए। जैसे नबी (सल्ल॰) ने हज़रत उबैदुल्लाह और क़ुसम के सिलसिले में किया कि क़ुसम पहले आए तो उसे अपनी सवारी पर बिठा लिया।

20. बच्चों पर शफ़क़त करने का दूसरा वाक़िआ

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि प्यारे नबी (सल्ल॰) ने हसन-बिन-अली (रज़ि॰) को चूमा, उस वक़्त नबी (सल्ल॰) के पास अक़रअ-बिन-हाबिस तमीमी बैठे हुए थे, तो अक़रअ ने कहा कि मेरे दस बेटे हैं लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी नहीं चूमा, इसपर नबी (सल्ल॰) ने उनकी तरफ़ देख कर फ़रमाया, "जो आदमी रहम नहीं करता उसपर रहम नहीं किया जाएगा।"

(हदीस : बुख़ारी-अल-फ़तह- 10/426)

हुशैम की रिवायत में आया है कि उयैना-बिन-हिस्न फ़ज़ारी

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास आया तो उसने देखा कि नबी (सल्ल॰) हसन या हुसैन को चूम रहे हैं, इसपर उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), आप इनको चूम रहे हैं, जबकि मेरे दस बेटे हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी एक को भी नहीं चूमा। रावी कहता है कि प्यारे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि "जो आदमी रहम नहीं करता उसपर रहम नहीं किया जाएगा।"

(हदीस : मुसनद अबी-याला-5/339, 368, 410)

हिशाम-बिन-उरवा बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने कहा कि एक देहाती नबी (सल्ल॰) के पास आया और उसने कहा, क्या आप बच्चों को चूमते हैं जबकि हम तो उनको बोसा नहीं देते हैं। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दे तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?

उरवा-बिन-ज़ुबैर (रज़ि॰) ने बयान किया कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने हज़रत हुसैन को चूमा, उनको अपने सीने से चिमटाया और उनके चेहरे से अपनी नाक मिलाई। उस वक़्त आप (सल्ल॰) के पास अनसार में से एक आदमी मौजूद था, उस अनसारी ने कहा कि मेरे एक बेटा है, जो बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने उसे कभी भी नहीं चूमा। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, तुम्हारा क्या ख़याल है कि अल्लाह तआला तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दे तो इसमें मेरा क्या क़ुसूर है? (फ़ज़ाइले-सहाबा- 2/769- रक़्म- 1356)

व्याख्या

1. इस हदीस से जाहिलियत के दौर की संगदिली, सख़्त मिज़ाजी और बेरहमी मालूम होती है और औलाद से बे-ताल्लुक़ी और तरबियत से ग़फ़लत ज़ाहिर होती है।

2. प्यारे नबी (सल्ल॰) की बच्चों के साथ रहमत व शफ़क़त और प्यार वाज़ेह होता है।
3. जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ लोग रहमत व शफ़क़त का बरताव करें तो वह दूसरों के साथ रहमत व शफ़क़त का बरताव करे। जो आदमी चाहता है कि बुढ़ापे में औलाद मुझसे मुहब्बत करे तो उसे चाहिए कि वह औलाद से मुहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आए।
4. मोमिन को अल्लाह से यह दुआ करनी चाहिए कि वह उसके लिए रहीम और शफ़ीक़ हो।
5. मासूम बच्चों को जन्नत का फूल और समाज की सुन्दरता और शोभा समझना चाहिए।

21. बच्चे के रोने की आवाज़ पर नमाज़ को कम करना

हज़रत अबू-क़तादा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "मैं नमाज़ में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि नमाज़ लम्बी करूँ, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज़ इस डर से कम करता हूँ कि उसकी माँ के लिए तकलीफ़ का कारण न बन जाए।" (हदीस : बुख़ारी, फ़तहुलबारी- 2/201, 202)

हज़रत अनस (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) नमाज़ में होते और किसी माँ के साथ आनेवाले बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो हल्की सूरा या छोटी सूरा पढ़ते थे।

(हदीस : मुस्लिम, बाब 38-1/342)

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) कहते हैं कि एक मर्तबा नबी (सल्ल॰) ने क़ुरआन मजीद की दो छोटी सूरतों के साथ हमें फ़ज्र (सुबह) की नमाज़ पढ़ाई। फिर जब नबी (सल्ल॰) ने अपनी नमाज़ पूरी की तो हमारी तरफ़ रुख़ करके फ़रमाया, "मैंने नमाज़ में जल्दी

की ताकि बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए फ़ारिग हो जाए।" यह वाक़िआ उस वक़्त पेश आया जब नबी (सल्ल॰) ने एक बच्चे की आवाज़ सुनी। (मजमउल-बहरैन- 2/73, रक़्म- 734)

व्याख्या

1. इस हदीस से भी नबी (सल्ल॰) की बच्चों के साथ रहमत व शफ़क़त का बरताव मालूम होता है।
2. नमाज़ जैसा अहम फ़र्ज़ जो इबादतों में सबसे अफ़ज़ल है, उसे भी किसी की तकलीफ़ की वजह से कम किया जा सकता है और बन्दों के हक़ को अल्लाह के हक़ पर तरजीह दी जा सकती है।
3. यह हदीस इमामों और ख़ुतबा (भाषण) देनेवालों के लिए अहम रहनुमाई है कि वे अपने मुक़तदियों (अनुयायियों) की तकलीफ़ व आराम का ख़याल रखें, उनके हक़ों का लिहाज़ करें और ज़रूरत पड़ने पर नमाज़ और ख़ुतबे को छोटा कर दें।
4. अल्लाह का हक़ (नमाज़) और बन्दों के हक़ (बन्दों की तकलीफ़ के लिहाज़) में सन्तुलन और एतिदाल की यह हदीस एक अच्छी मिसाल है।
5. जब इन दोनों (अल्लाह के हक़ और बन्दों के हक़) में टकराव हो तो बन्दों के हक़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर के पास सीरियस मरीज़ आए और नमाज़ का वक़्त हो तो उस मरीज़ को पहले देखे और नमाज़ बाद में अदा करनी चाहिए। इस तरह दोनों तरह के हक़ अच्छे तरीक़े से अदा होंगे।

22. औरतों और बच्चों के क़त्ल की मनाही

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) ने बताया कि नबी (सल्ल॰) की

लड़ाइयों में से एक लड़ाई में कोई औरत क़त्ल की हुई मिली तो अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने औरतों के क़त्ल को नापसन्द किया।

(हदीस : बुख़ारी, फ़तहुलबारी- 6/148)

हज़रत रियाह-बिन-रबीअ (रज़ि॰) बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक लड़ाई में थे तो लोगों को किसी चीज़ पर इकट्ठा पाया, चुनाँचे नबी (सल्ल॰) ने एक आदमी भेजा और उससे कहा कि देखो लोग किस चीज़ पर जमा हुए हैं। उस आदमी ने आकर बताया कि एक क़त्ल की हुई औरत की लाश पर जमा हुए हैं। तो फिर नबी (सल्ल॰) ने एक आदमी उनकी तरफ़ भेजा और उससे कहा कि ख़ालिद से जाकर कहो कि औरत और मज़दूर को हरगिज़ क़त्ल न किया जाए। (हदीस : अबू-दाऊद, बाब-121 और क़ुरआनः 3/121)

हज़रत असवद-इब्ने-सरीअ (रज़ि॰) बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ एक लड़ाई में निकले और मुशरिकों (बहुदेववादियों) पर हम ग़ालिब आ गए तब लोगों ने क़त्ल करने में जल्दी दिखाई। यहाँ तक कि बच्चों को भी क़त्ल कर डाला। जब नबी (सल्ल॰) को यह बात मालूम हुई तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, उन लोगों का क्या मामला है जिन्होंने क़त्ल करने में इतनी जल्दी की कि बच्चों तक को क़त्ल कर दिया। सुनो, बच्चों को क़त्ल न करो। नबी (सल्ल॰) ने यह बात तीन बार दोहराई। (हदीस : दारमी- 2/223)

हज़रत अली (रज़ि॰) इब्ने-अबू-तालिब कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) जब मुशरिकों (दुश्मनों) की तरफ़ मुसलमानों का कोई लश्कर भेजते तो फ़रमाते कि जाओ अल्लाह के नाम से .... (हदीस लम्बी है जिसके आख़िर में है) छोटे बच्चों को क़त्ल न करो और न औरत को और न बड़े-बूढ़ों को क़त्ल करो। (हदीस : बैहक़ी- 9/90)

हज़रत काब-बिन-मालिक ने कहा कि लोगों ने जब अबुल-हक़ीक़

के बेटे को क़त्ल किया तो नबी (सल्ल॰) ने औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना किया। वे कहते हैं कि हममें से एक आदमी ने कहा कि इब्ने-अबुल-हक़ीक़ की औरत ने चीख़ों से हमारा दिमाग़ ख़राब कर दिया तो मैंने उसपर तलवार खींची, फिर मैंने नबी (सल्ल॰) के मना करने को याद किया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। अगर यह न होता तो हम उससे अपनी जान छुड़ा लेते। (हदीस : मुवत्ता- 2/448)

व्याख्या

1. इस्लाम में औरतों, बूढ़ों, इबादत करनेवालों, लड़ाई में शरीक न होनेवालों और बच्चों का आम हालतों में सम्मान किया गया है और उन्हें क़त्ल करने और तकलीफ़ पहुँचाने से मना किया गया है और उन्हें जान की अमान दी है। नबी (सल्ल॰) का यही तरीक़ा था। इसी तरह सहाबा (रज़ि॰) ने भी उस उसूल का पूरा-पूरा ख़याल रखा। आज के दौर की तरह बम बरसा कर, रॉकेट मारकर, कलस्टर बम गिराकर, आतंक फैलाकर बे-क़ुसूरों का क़त्ल किया जाए, मस्जिदों, जनसभाओं, इबादतगाहों अमन की जगहों पर बम फेंककर बेक़ुसूर लोगों को क़त्ल कर दिया जाए, यह तरीक़ा इस्लाम का तरीक़ा हरगिज़ नहीं है।
2. इस्लाम लड़ाई की हालत में भी उन लोगों के क़त्ल से रोकता है, जो अगरचे लड़ाई करनेवाली क़ौम में से हैं, लेकिन लड़ाई में शामिल नहीं। ख़ास तौर पर औरतों, बच्चों और बूढ़ों के क़त्ल से मना करता है। अलबत्ता वे औरतें और बूढ़े जो किसी तरह लड़ाई में शरीक हो जाएँ तो उन्हें क़त्ल करने की इजाज़त देता है। चुनाँचे नबी (सल्ल॰) ख़न्दक़ के दिन एक क़त्ल की गई औरत के पास से गुज़रे और पूछा, इसको किसने क़त्ल किया, तो एक आदमी ने बताया कि मैंने क़त्ल किया है, तो पूछा क्यों क़त्ल

किया है? तो उस आदमी ने कहा कि इसने मेरी तलवार छीनने की कोशिश की थी। (अत-तलख़ीस अल-कबीर-4, 102-103)

3. नबी (सल्ल॰) हुनैन की लड़ाई के दिन एक क़त्ल की गई औरत के पास से गुज़रे तो आप (सल्ल॰) ने पूछा, इसको किसने क़त्ल किया है, तो एक आदमी ने कहा कि मैंने क़त्ल किया है। वे कहते हैं कि मैंने माले-ग़नीमत के लिए इसे लिया और अपने पीछे बिठाया, फिर जब उसने हमारी हार देखी तो इसने मुझे क़त्ल करने के लिए मेरी तलवार के दस्ते की तरफ़ हाथ बढ़ाया तो मैंने इसे क़त्ल कर दिया। इसपर नबी (सल्ल॰) ने नापसन्दीदगी का इज़हार न किया। (ऊपरवाला हवाला)

4. इसी तरह से बूढ़े को क़त्ल करना जाइज़ है, जब वह लड़ाई में शामिल हो जाए या जब इसके लिए बन्दोबस्त करे जैसे दरीद-बिन-सम्मा को हुनैन की लड़ाई के दिन क़त्ल किया गया, जब कि वह सौ साल का था। उसे लोग जंग की तदबीर (Planning) करने के लिए लेकर आए थे। इसपर नबी (सल्ल॰) ने नापसन्दीदगी ज़ाहिर नहीं की। (ऊपरवाला हवाला)

5. हदीस की अस्ल इबारत में एक लफ़्ज़ (शब्द) 'असीफ़' आया है। इसका मतलब यह निकलता है कि जिन लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर लड़ने के लिए लाया गया या बेख़बरी में लाया गया या ऐसे मज़दूर जो न चाहते हुए शामिल हुए हों और लड़े न हों उनको भी क़त्ल नहीं किया जाएगा।

भाग-3

नबी (सल्ल॰) की अपनी क़ौम, जाहिलों और नादानों पर शफ़क़त

23. नबी (सल्ल॰) का अपनी क़ौम पर मेहरबान होना

हज़रत आइशा (रज़ि॰), नबी (सल्ल॰) की प्यारी बीवी, कहती हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा, क्या आप (सल्ल॰) पर उहुद के दिन से भी सख़्त दिन आया है? इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : तुम्हारी क़ौम से मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुँची हैं, लेकिन ज़्यादा सख़्त तकलीफ़, जो अक़बा के दिन (ताइफ़ में) पहुँची जब मैं अब्दे-यालैल-बिन-अब्दे-कुलाल के सामने पेश हुआ। मैंने उससे जो बातें कीं उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं बहुत दुखी हालत में एक रुख़ पर चल पड़ा, फिर मैं अपनी बेख़ुदी की हालत से नहीं निकला था कि 'क़रनुस्सालिब' में पहुँच गया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि एक बादल ने मुझे ढक लिया है, फिर मैंने देखा उसमें जिबरील (अलैहि॰) हैं, ज़िन्होंने मुझे पुकारकर कहा, अल्लाह ने आप (सल्ल॰) की क़ौम की वह बात-चीत जो आप से हुई है, सुन ली है और वह जवाब भी सुन लिया जो उन्होंने आप को दिया था। अल्लाह ने आप (सल्ल॰) की तरफ़ पहाड़ों के फ़रिश्ते को भेजा है, उसे आप (सल्ल॰) उनके बारे में जो चाहे हुक्म दें, फिर मुझे पहाड़ों के फ़रिश्ते ने पुकारकर सलाम किया। फिर कहा, ऐ मुहम्मद (सल्ल॰)! जो चाहे

आप (सल्ल॰) को इख़्तियार है। अगर आप (सल्ल॰) चाहते हैं तो मैं दोनों (आमने-सामने वाले) सख़्त पहाड़ों को आपस में मिला दूँ। इसपर मैंने कहा कि नहीं बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग निकालेगा, जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराएँगे। (अलफ़तह- 6/312)

व्याख्या

1. यह ताइफ़ की तरफ़ नबी (सल्ल॰) की दावत और तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) के सफ़र का वाक़िआ है, जिसमें नबी (सल्ल॰) को क्रूर और ज़ालिम सरदारों से सिर्फ़ बेहूदा बातें ही न सुननी पड़ीं बल्कि उन्होंने अपने लफ़ंगे लड़के और ग़ुलाम नबी (सल्ल॰) के पीछे लगा दिए जिन्होंने नबी (सल्ल॰) को इस क़द्र पत्थर मारे कि नबी (सल्ल॰) के पैर लहूलुहान हो गए। मगर नबी (सल्ल॰) ने अपनी क़ौम पर शफ़क़त करते और रहम खाते हुए न सिर्फ़ माफ़ किया बल्कि दुआ भी की कि इनकी नस्ल से इस्लाम के सिपाही पैदा हों।

2. दीन की दावत और तबलीग़ करनेवालों को यह हदीस सामने रखनी चाहिए।

3. किसी के तकलीफ़ पहुँचाने पर कितना सब्र करें, इसके लिए यह हदीस पैमाना भी है और नमूना भी। और किसी पर बद्दुआ करने के लिए भी एक बेहतरीन नमूना और रहनुमाई है।

24. जाहिलों से नबी (सल्ल॰) की शफ़क़त व रहमत

हज़रत मुआविया-इब्ने-हकम सुलमी कहते हैं कि एक बार मैं नबी (सल्ल॰) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि लोगों में से एक आदमी को

छींक आई तो मैंने يرحمك الله 'अल्लाह तुझपर रहम करे' कहा तो लोग मुझे अपनी नज़रों से घूरने लगे। तो मैंने कहा तुम्हारा भला हो, क्या हो गया, क्या बात है कि तुम मुझे इस तरह घूर कर देख रहे हो? तो उन्होंने अपनी रानों पर हाथ मारने शुरू कर दिए तो मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे ख़ामोश करा रहे हैं। मैं ख़ामोश हो गया। जब नबी (सल्ल०) ने नमाज़ पूरी की (मेरे माँ-बाप नबी (सल्ल०) पर क़ुरबान हों) मैंने अच्छी तालीम देनेवाला नबी (सल्ल०) से बेहतर न पहले देखा और न ही बाद में देखा। अल्लाह की क़सम न तो आपने मुझपर नाराज़गी ज़ाहिर की और न ही मुझे मारा, न गाली दी। नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया—

> "नमाज़ में लोगों की बातों में से किसी बात की गुंजाइश नहीं है। यह तो तस्बीह, तकबीर और क़ुरआन का पढ़ना है। या इसी तरह के अलफ़ाज़ फ़रमाए।"

(हदीस : मुस्लिम- 1/381)

अबू-दाऊद में इस तरह बयान हुआ है। जब मैं नबी (सल्ल०) के पास आया तो इस्लाम की बातों में से कुछ बातें सीखीं। जो बातें मैंने सीखीं उनमें से एक यह है कि नबी (सल्ल०) ने मुझसे फ़रमाया : जब आप छींकें तो अल्लाह की तारीफ़ करें और जब छींकनेवाला छींके और वह अल्लाह की हम्द (तारीफ़) करे (अल-हम्दुलिल्लाह) तो तुम 'अल्लाह तुझ पर रहम करे' (यरहमुकल्लाह) कहो।

रावी (हदीस बयान करनेवाले) कहते हैं कि उस (सफ़र) के दौरान मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ नमाज़ में खड़ा था कि अचानक एक आदमी को छींकें आईं और उसने अल्लाह की तारीफ़ की (अल-हम्दुलिल्लाह कहा) तो मैंने बुलन्द आवाज़ में अल्लाह तुम पर

रहम करे (यरहमुकल्लाह कहा) तो लोगों ने मुझे नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यह बात मुझे नागवार गुज़री। चुनाँचे मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि मुझे तिरछी आँखों से घूर रहे हो। रिवायत करनेवाले ने कहा कि इसपर वे तस्बीह करने लगे ('सुबहानल्लाह' कहने लगे) जब नबी (सल्ल॰) ने नमाज़ पूरी की तो फिर फ़रमाया : बोलनेवाला कौन है? बताया गया यह देहाती है। फिर नबी (सल्ल॰) ने मुझे बुलाकर मुझसे कहा : नमाज़ सिर्फ़ क़ुरआन मजीद की क़िरअत (पढ़ना) और अल्लाह के ज़िक्र के लिए है। तो जब नमाज़ हो तो फिर तुम्हारी यही अदा हो, (तक्बीर, क़ुरआन की क़िरअत, तस्बीह, तमजीद और अल्लाह का ज़िक्र हो)। मैंने अल्लाह के रसूल से ज़्यादा नर्म दिल किसी को नहीं देखा। (हदीस : अबू-दाऊद)

25. जाहिलों के साथ शफ़क़त और रहमत का एक और वाक़िआ

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक देहाती उठा और मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दो या पानी का एक घड़ा बहा दो। तुम तो आसानी करने के लिए भेजे गए हो, मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो। (हदीस : बुख़ारी-अलफ़तह- 1/323, 10/525)

एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) ने कहा कि एक देहाती मस्जिद में दाख़िल हुआ, नबी (सल्ल॰) मस्जिद में बैठे हुए थे। देहाती ने कहा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुहम्मद (सल्ल॰) की भी मग़फ़िरत कर, और हम दोनों के साथ किसी एक की भी मग़फ़िरत न कर। इसपर नबी (सल्ल॰) हँसे और फ़रमाया, तूने

कुशादगी (वुसअत) रखनेवाले को महदूद (सीमित) कर दिया। फिर उसने पीठ फेरी और चल दिया यहाँ तक कि मस्जिद के किनारे पर जा पहुँचा तो टाँगें फैलाकर पेशाब करने लगा। यह देहाती दीन की समझ हासिल करने के बाद कहता है कि मेरी तरफ़ वह शख़्स खड़ा हुआ, जिसपर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों, न तो आप (सल्ल॰) ने मुझे झिड़का और न गाली दी। इसके बाद फ़रमाया कि यह मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पेशाब नहीं किया जाता। यह तो अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ के लिए बनाई गई है। फिर नबी (सल्ल॰) ने पानी का एक डोल लाने का हुक्म दिया जिसको उसके पेशाब पर बहा दिया गया।

(हदीस : इब्ने-माजा, बाब 78 (1/167 रक्म-529))

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) बयान करते हैं कि उस दौरान कि हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ बैठे थे कि एक देहाती आया जो मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करने लगा। इसपर सहाबा (रज़ि॰) ने कहा कि रुक जा, रुक जा तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि उसे न रोको, उसे छोड़ दो, यहाँ तक कि वह पेशाब से फ़ारिग हो गया, फिर नबी (सल्ल॰) ने उसे बुलाकर कहा : ये मस्जिदें पेशाब और गंदगी करने के लिए नहीं। ये तो अल्लाह तआला के ज़िक्र, नमाज़ और क़ुरआन की क़िरअत के लिए हैं, या उस तरह की बात नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाई। अनस (रज़ि॰) कहते हैं कि लोगों में से किसी एक को हुक्म दिया जो पानी का एक घड़ा लेकर आया, जिसको उस जगह बहा दिया गया। (हदीस : मुस्लिम- 1/236)

व्याख्या

1. देहाती मस्जिद में पेशाब करने बैठ गया और पेशाब बहना शुरू हुआ तो लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन नबी (सल्ल॰) ने

लोगों को रोक दिया और उसे पेशाब से फ़ारिग होने दिया। यह नबी (सल्ल०) की हिकमत और दानिशमन्दी और मेहरबानी थी कि उसका पेशाब बीच में रुकने नहीं दिया। इससे वह शारीरिक नुक़सान से बच गया।

2. नबी (सल्ल०) का एक महान प्रशिक्षक के रूप में उच्च किरदार इस हदीस से वाज़ेह हो रहा है, जिसका इक़रार वह देहाती सारी उम्र करता रहा और उसपर ज़िन्दगी भर के लिए अख़लाक़ी असर क़ायम हुआ।

3. नबी (सल्ल०) ने न तो उस देहाती को डाँटा और न भला-बुरा कहा बल्कि प्यार से समझाया, उससे वह अच्छी तरह समझ गया।

4. जाहिलों, गँवारों, अनपढ़ लोगों और बड़ी उम्रवालों को तालीम (शिक्षा) देने के लिए यह हदीस अच्छा नमूना है।

5. नबी (सल्ल०) और सहाबा (रज़ि०) का अख़लाक व किरदार और नफ़्सियात में फ़र्क़ वाज़ेह (स्पष्ट) हो रहा है। जबकि सहाबा (रज़ि०) ख़ुद बुलन्द किरदार और बेहतरीन इनसान हैं, मगर नबी (सल्ल०) नबी हैं और उम्मती उम्मती हैं।

6. दोनों हदीसों में तालीम देने के उसूलों की कई एक बातें निकलती हैं, जिन्हें ग़ौर करने से तलाश किया जा सकता है। उनमें शिक्षकों के करने की बातें और न करने की बातें दोनों पहलू हैं। उन सकारात्मक बातों में से एक यह है कि किसी बुरी या ग़लत बात पर फ़ौरन न टोकना चाहिए बल्कि उस आदमी को आमादा होने का मौक़ा देना चाहिए। दूसरी यह कि जिसे समझाना या तालीम देनी है उसे पास बुलाकर बात करनी चाहिए। तीसरी यह कि किसी काम के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हों

तो पहले सकारात्मक (मुस्बत) का तज़किरा करना चाहिए जैसे यह मस्जिद ज़िक्र, तिलावत, नमाज़ वग़ैरह के लिए बनाई गई है। चौथी बात यह कि पानी का डोल (घड़ा) पेशाब की जगहवाली ज़मीन पर बहाना इसलिए था कि या तो वह पक्की ज़मीन थी, इसलिए गन्दगी बह गई या ज़मीन के पाक करने में उसका सूख जाना और गन्दगी की बदबू ख़त्म हो जाना काफ़ी है, तो इस तरह उसकी पलीदी (गन्दापन) कम हो गई। फिर इसमें आसानी और सरलता का पहलू भी निकलता है।

भाग-4

प्यारे नबी (सल्ल॰) का अपनी सारी उम्मत पर शफ़क़त करना

26. नबी (सल्ल॰) की अपनी उम्मत पर शफ़क़त

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने अल्लाह तआला का इबराहीम (अलैहि॰) के बारे में यह क़ौल (बोल) तिलावत किया—

"ऐ मेरे रब (पालनहार)! इन (बुतों) ने बहुत-से लोगों को गुमराह किया, इसलिए जो मेरी पैरवी करे तो मुझसे है।"
(क़ुरआन, 14:36)

और ईसा (अलैहि॰) ने फ़रमाया,

"अगर आप उनको अज़ाब देंगे तो वे आपके बन्दे हैं और अगर उन्हें माफ़ करेंगे तो बेशक तू ज़बरदस्त हिक्मतवाला है।" (क़ुरआन, 5:118)

फिर नबी (सल्ल॰) ने अपने दोनों हाथ उठाए और फ़रमाया : ऐ मेरे अल्लाह! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत और नबी (सल्ल॰) रोने लगे।

फिर अल्लाह ने फ़रमाया : जिबरील मुहम्मद की तरफ़ जाओ (और तुम्हारा रब ख़ूब जानता है)। उनसे पूछो कि आप क्यों रोते हैं? जिबरील (अलैहि॰) नबी (सल्ल॰) के पास आए और आप (सल्ल॰) से मालूम किया, फिर नबी (सल्ल॰) ने उनको वह बात बताई हालाँकि

अल्लाह सब जानता है। फिर अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि ऐ जिबरील! मुहम्मद (सल्ल॰) की तरफ़ जाओ और उनसे कहो, हम आपको आप की उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, रंजीदा नहीं करेंगे।

(हदीस : मुस्लिम- 1/191)

व्याख्या

1. नबी (सल्ल॰) को अपनी उम्मत का कितना ख़याल और कितना दर्द था, हज़रत इबराहीम और हज़रत ईसा (अलैहि॰) की दुआओं में नाफ़रमानों के लिए कोई रिआयत (छूट) नहीं माँगी गई और साफ़ कह दिया गया कि जो मेरी पैरवी करे वह मेरा है और जो पैरवी न करे उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और हज़रत ईसा (अलैहि॰) ने कहा कि मेरी उम्मत को आप अज़ाब दें या बख़्श दें (आपकी मर्ज़ी)।
2. मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपने सारे उम्मतियों के लिए रो-रोकर और गिड़-गिड़ाकर माफ़ी और बख़्शिश की दुआ की।
3. अल्लाह की तरफ़ से यह कहना कि हम आपको खुश कर देंगे और नाराज़ न करेंगे, यह उम्मत के लिए बहुत बड़ी खुशख़बरी है।
4. नबी (सल्ल॰) सारे उम्मतियों की बख़्शिश (क्षमादान) के लिए कितने फ़िक्रमन्द और बेचैन थे, यह हदीस आप (सल्ल॰) की शफ़क़त और रहमत का महान प्रदर्शन है।

27. नबी (सल्ल॰) का अपनी उम्मत के लिए आसानी चाहना

हज़रत आइशा (रज़ि॰) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल॰) मेरे पास से इस हालत में निकले कि आँखे ठंडी थीं और खुश-दिल थे। फिर जब मेरे पास लौटे तो बहुत दुखी थे। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के

पैग़म्बर! आप जब मेरे पास से तशरीफ़ ले गए तो आप (सल्ल॰) ख़ुश थे और लौटे तो आप ग़मगीन थे। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, मैं अल्लाह के घर (काबा) में दाख़िल हुआ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा न करता क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मैंने अपनी उम्मत को अपने बाद तकलीफ़ में डाला है।

(हदीस : मुसनद अहमद- 6/137)

एक दूसरी हदीस में है कि नबी (सल्ल॰) उन (हज़रत आइशा रज़ि॰) के पास से आए तो ख़ुश थे, जब उनकी तरफ़ लौटे तो ग़मगीन थे। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह के घर में दाख़िल हुआ लेकिन अगर अपने इस फ़ेल (काम) का भविष्य में असरात का जाइज़ा लेता कि मैंने क्या (तरीक़ा) छोड़ा है तो उसमें दाख़िल न होता। मुझे डर है कि मैंने अपनी उम्मत पर तकलीफ़ डाल दी है।

(हदीस : अबू-दाऊद)

एक हदीस अरफ़जा की हज़रत आइशा (रज़ि॰) से इस तरह है, वे कहती हैं कि एक दिन नबी (सल्ल॰) मेरे पास आए तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "मैंने आज एक काम किया है, लेकिन चाहता हूँ कि वह न किया होता। मैं अल्लाह के घर में दाख़िल हुआ। मुझे डर इस बात का है कि (मेरे बाद) एक आदमी दुनिया के दूर-दराज़ इलाक़ों से आए और वह इसमें दाख़िल न हो सके और लौट जाए तो उसके दिल में इसकी वजह से कुछ बोझ रहेगा।"

व्याख्या

1. इस हदीस के शब्दों और मानी से अन्दाज़ा होता है कि नबी (सल्ल॰) को अपनी उम्मत का किस क़द्र ख़याल था और दीन के हर छोटे-छोटे अमल में उम्मत के लोगों का कितना ख़याल और लिहाज़ करते थे। आप (सल्ल॰) चाहते थे कि इनको दीन

पर अमल करने में कोई तकलीफ़ न हो। इसलिए अपने एक-एक अमल में इनकी सहूलत और आसानी का लिहाज़ करते थे।

2. आनेवाले करोड़ों, अरबों उम्मत के लोगों में से किसी एक की तकलीफ़ को अपने दिलो-जान पर कितना ज़्यादा महसूस करते थे। नबी (सल्ल०) के इस बारे में ये अलफ़ाज़ (शब्द) 'मैं चाहता हूँ कि ऐसा न करता' उम्मत से ताल्लुक़ को गहरी मुहब्बत से ज़ाहिर करते हैं।

3. दूसरी हदीस के अलफ़ाज़ 'अपने इस काम का भविष्य में असर का जाइज़ा लेता कि मैंने क्या (तरीक़ा) छोड़ा है तो उसमें दाख़िल न होता' की गहराई पर ग़ौर करें तो यह बात सामने आती है कि हर अमल करने में अपनी उम्मत पर भविष्य में पैदा होनेवाले असरात देखते थे।

4. अल्लाह के घर काबा के अन्दर दाख़िल होना फ़र्ज़, वाजिब या ज़रूरी सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत ग़ैर मुअक्किदा और पसन्दीदा काम है। यह दर्जा हतीम में दाख़िल होने और वहाँ पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ने से हासिल हो जाता है।

5. हमारे आलिमों, दावत का काम करनेवालों और दीन के रहनुमाओं को अपने पीछे चलनेवालों और मुसलमानों के लिए दीन में आसानी और सहूलत की बातें बतानी चाहिएँ और दीन को मुश्किल और नाक़ाबिले-अमल बनाकर पेश नहीं करना चाहिए।

28. उम्मत पर मेहरबान होने का एक और वाक़िआ

हज़रत आइशा (रज़ि०) ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) किसी रात के एक हिस्से में घर से बाहर निकले, फिर आप

(सल्ल॰) ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आप (सल्ल॰) के साथ वही नमाज़ पढ़ी। सुबह को लोग इस बात को एक-दूसरे से बयान करने लगे। फिर दूसरी रात इससे ज़्यादा लोग जमा होने लगे और जब नबी (सल्ल॰) ने नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने भी आप (सल्ल॰) के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह को लोग इसका एक-दूसरे से ज़िक्र (वर्णन) करने लगे, चुनाँचे तीसरी रात मस्जिद में लोग और ज़्यादा जमा हो गए, फिर नबी (सल्ल॰) बाहर आए और आप (सल्ल॰) ने नमाज़ पढ़ी। फिर जब चौथी रात आई तो मस्जिद लोगों से खचा-खच भर गई। (लेकिन नबी (सल्ल॰) बाहर नहीं आए) और फ़ज्र की नमाज़ के लिए ही बाहर आए। जब नबी (सल्ल॰) ने फ़ज्र की नमाज़ पूरी की तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए, फिर आप (सल्ल॰) ने शहादत का कलिमा पढ़ा और उसके बाद फ़रमाया : तुम्हारे यहाँ मौजूद होने से बे-ख़बरी नहीं थी, लेकिन मैं इस बात से डरा कि यह तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाएगी, फिर इसको अदा करने से तुम बे-बस हो जाओगे। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) वफ़ात पा गए और मामला इसी तरह चलता रहा। (हदीस : बुख़ारी-अल-फ़तहुल बारी- 3/250)

हज़रत आइशा (रज़ि॰) बयान करती हैं कि इस (रमज़ान) की किसी रात में मुझे नबी (सल्ल॰) ने हुक्म दिया कि अपने हुजरे के दरवाज़े पर उनके लिए एक चटाई बिछा दूँ, तो मैंने ऐसा ही किया, फिर उसकी तरफ़ इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नबी (सल्ल॰) निकले, वे कहती हैं कि उसके पास मस्जिद में लोग जमा हो गए। फिर नबी (सल्ल॰) ने रात के बड़े हिस्से तक उनको नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद नबी (सल्ल॰) लौटे और घर में दाख़िल हो गए और चटाई को उसी जगह छोड़ दिया। जब लोगों ने सुबह की तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की नमाज़ का एक-दूसरे से तज़किरा करने लगे।

हज़रत आइशा (रज़ि॰) कहती हैं कि मस्जिद लोगों से खचा-खच

भरने से गूँजने लगी, फिर नबी (सल्ल॰) ने उनको इशा की नमाज़ पढ़ाई। नबी (सल्ल॰) घर में दाख़िल हो गए और लोग अपनी जगह पर टिके रहे, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझसे पूछा, ऐ आइशा! लोगों का क्या मामला है, तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) लोगों ने आज की रात की नमाज़ के बारे में उन लोगों से सुना जो मस्जिद में (आपके साथ थे) इसलिए इकट्ठे हो गए हैं ताकि आप (सल्ल॰) उनको नमाज़ पढ़ाएँ। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि आइशा अपनी चटाई को हमारे सामने से लपेट लो। वे कहती हैं कि मैंने ऐसा ही किया, फिर नबी (सल्ल॰) ने बिना ग़फ़लत के रात गुज़ारी और लोग अपनी जगह टिके रहे, यहाँ तक कि नबी (सल्ल॰) सुबह के वक्त बाहर तशरीफ़ ले गए। वे कहती हैं कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, ऐ लोगो! अल्लाह की क़सम! अल्लाह का शुक्र और एहसान है, मैंने यह रात ग़ाफ़िल होकर नहीं गुज़ारी और तुम्हारा यहाँ मौजूद होना भी मुझसे छिपा न था, लेकिन मैं इस बात से डरा कि यह तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। इसलिए अमलों में से उतना ही अमल करो, जिसकी तुम्हें ताक़त हो, क्योंकि अल्लाह तआला नहीं उकताते, यहाँ तक कि तुम ख़ुद उकता जाओ। हज़रत आइशा (रज़ि॰) कहती हैं कि अल्लाह के नज़दीक अमलों में से ज़्यादा प्यारा वह अमल है जिसे हमेशा किया जाए, अगरचे वह कम ही हो।

(हदीस : मुसनद अहमद- 6/267, अबू-दाऊद- 2/104 और इब्ने-हिब्बान- 4/119- रक्म- 2562)

व्याख्या

1. प्यारे नबी (सल्ल॰) का यह अमल रमज़ान की रातों का है। इससे साबित होता है कि नबी (सल्ल॰) ने रमज़ान की तीन रातों में तरावीह की नमाज़ें जमाअत के साथ पढ़ाई हैं। इसके बाद

जमाअत नहीं कराई बल्कि नबी (सल्ल०) ने घर में अपने तौर पर नफ़्ल अदा किया।

2. तीन रात के बाद घर से बाहर आने और जमाअत से रात की नमाज़ न अदा करने की वजह नबी (सल्ल०) का उम्मत पर शफ़क़त व रहमत करना है। यह इसलिए किया कि उम्मत पर तरावीह फ़र्ज़ न हो जाए और फिर अदा न कर सकें। यह दीन में आसानी की एक बड़ी मिसाल है।

3. तरावीह की जमाअत से अदायगी इस हदीस से मालूम होती है। हज़रत आइशा (रज़ि०) कहती हैं, "लोग नबी (सल्ल०) की मस्जिद में रमज़ान की रातों में गरोहों में बँटकर नमाज़ पढ़ते थे। एक आदमी के पास क़ुरआन का कुछ हिस्सा (याद) होता था। फिर उसके साथ पाँच या छः लोग या इससे कम या ज़्यादा उसकी नमाज़ में शामिल होते थे।"

   इससे भी तरावीह जमाअत के साथ आम होना साबित होता है। फिर सहाबा (रज़ि०) का तरीक़ा, ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े से पूरा रमज़ान जमाअत के साथ तरावीह की नमाज़ साबित है।

4. तरावीह की नमाज़ में रकअतों की तादाद में इख़्तिलाफ़ बुनियादी है और शुरू ही से साबित है। इसलिए तरावीह में रकअतों की तादाद अलग-अलग है और रहेगी। इसलिए इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए।

5. नबी (सल्ल०) का उम्मत पर शफ़क़तवाला और रहमतवाला होना इस बात से नुमायाँ है कि हर एक अमल में इसे अपने सामने रखते थे। हमारे दावत का काम करनेवाले, नसीहत करनेवाले और आलिमों को भी यही जज़्बा अपने सामने रखना चाहिए— और दीन को आसान और अमल के क़ाबिल बनाकर पेश करना

चाहिए, ताकि लोग इससे घबराएँ नहीं और अपने लिए रहमत समझकर इसे अपनाएँ न कि इसे ज़हमत समझें और इससें दूर भागें।

29. क़ौम पर मेहरबान होने का दूसरा वाक़िआ

हज़रत अनस (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हज़रत हफ़्सा-बिन्ते-उमर (रज़ि॰) के हवाले एक आदमी उनकी हिफ़ाज़त के लिए किया। वे (रावी) कहते हैं कि हज़रत हफ़्सा (रज़ि॰) ने ग़फ़लत बरती और वह आदमी चला गया, फिर नबी (सल्ल॰) घर में दाख़िल हुए तो फ़रमायाः ऐ हफ़्सा उस आदमी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मैं उससे ग़ाफ़िल हुई तो वह निकलकर भाग गया। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा, अल्लाह तुम्हारे हाथ काट दे। तो हफ़्सा (रज़ि॰) ने अपने दोनों हाथ इस तरह उठा लिए। फिर नबी (सल्ल॰) (दोबारा) दाख़िल हुए तो कहा, हफ़्सा तुम्हारा क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), आप (सल्ल॰) ने इस-इस तरह कहा था, इस पर नबी (सल्ल॰) ने उनसे कहा, अपने दोनों हाथ नीचे रखो। क्योंकि मैंने अल्लाह से सवाल किया कि मेरी उम्मत के जिस इनसान के बारे में, मैं बद्दुआ करूँ, तो अल्लाह इसको उसके लिए मग़फ़िरत (क्षमायाचना) बना दे। (हदीस : मुसनद अहमद-6/153)

हज़रत आइशा (रज़ि॰) की हदीस है, वे कहती हैं कि नबी (सल्ल॰) मेरे पास एक क़ैदी लाए, मैंने उसके बारे में ग़फ़लत बरती तो वह भाग गया। नबी (सल्ल॰) आए तो फ़रमाया कि क़ैदी ने क्या किया? मैंने कहा, मैं उससे ग़ाफ़िल होकर औरतों के साथ बैठ गई, तो वह निकल गया। तो नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : मैं तुम्हारे लिए क्या कहूँ, अल्लाह तुम्हारा एक हाथ या तुम्हारे दोनों हाथ काट दे। फिर

नबी (सल्ल०) बाहर निकले और लोगों को उसके बारे में ख़बर दी। लोग उसको तलाश करके पकड़ कर ले आए।

इसके बाद नबी (सल्ल०) मेरे पास आए तो मैं अपने हाथ मल रही थी, इसपर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, तुम्हें क्या हुआ, क्या पागल हो गई हो! मैंने कहा कि आपने मेरे लिए बद्दुआ की है, इसलिए मैं अपने हाथ बदल रही हूँ कि इनमें से कौन-सा काटा जाता, इसपर नबी (सल्ल०) ने अल्लाह की हम्द और तारीफ़ की और अपने दोनों हाथ उठाए, ऐ अल्लाह! मैं इनसान हूँ, मुझे ऐसे-ही ग़ुस्सा आता है जैसे इनसान को ग़ुस्सा आता है। जिस ईमानवाले या ईमानवाली के लिए बद्दुआ करूँ तू उसे उसके लिए पाकीज़गी और तहारत (पाक-साफ़) होने का ज़रीआ बना दे।

हज़रत आइशा (रज़ि०) बयान करतीं हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास दो आदमी आए और उन्होंने कोई बात नबी (सल्ल०) से की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह क्या थी। उन्होंने नबी (सल्ल०) को बहुत ग़ुस्सा दिला दिया, इसपर नबी (सल्ल०) ने उनपर लानत की और उन्हें बुरा-भला कहा। फिर जब वे बाहर निकल आए तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! जो बुराई उन्होंने हासिल की ऐसी हरकत करनेवाले किसी ने भलाई हासिल नहीं की। नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया : वह क्या? वे कहतीं हैं कि मैंने कहा, आप (सल्ल०) ने उन पर लानत की और बुरा-भला कहा। नबी (सल्ल०) ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने अपने पालनहार रब से किस बात की शर्त तय की है। मैंने कहा : या अल्लाह, मैं तो एक इनसान हूँ, इसलिए जिस मुसलमान पर लानत करूँ या बुरा-भला कहूँ तू उसे उसके लिए पाकीज़गी और अच्छे बदल का सबब बना दे।

(हदीस : मुस्लिम- 3/2007, व अहमद- 6/45)

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) ने बयान किया है कि उम्मे-सुलैम के पास यतीम लड़की थी, जिसका नाम उम्मे-अनस था। उस यतीम लड़की को अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने देखा तो फ़रमायाः अरे तू वही है, तू बड़ी हो गई है, तेरे दाँत बड़े न हों। तो वह यतीम लड़की उम्मे-सुलैम की तरफ़ रोती हुई लौटी। उम्मे-सुलैम ने कहा कि क्या हुआ है बेटा? लड़की ने कहा कि मेरे लिए फिर नबी (सल्ल॰) ने बद्दुआ की है कि मेरे दाँत न बढ़ें। इसलिए मेरे दाँत कभी नहीं बढ़ेंगे। या उसने कहा कि मेरी चोटी बड़ी न होगी। इस पर उम्मे-सुलैम अपना दुपट्टा लपेटे हुए जल्दी से निकलीं और आकर नबी (सल्ल॰) से मिलीं, तो नबी (सल्ल॰) ने उससे कहा, क्या बात है? उसने कहा : अल्लाह के नबी (सल्ल॰)! क्या आपने मेरी यतीम बच्ची के लिए बद्दुआ की है? नबी (सल्ल॰) ने पूछा, वह क्या है उम्मे-सुलैम? उसने अर्ज़ किया कि उस (लड़की) ने गुमान किया है कि आपने उसके लिए बद्दुआ की है कि उसके दाँत न बढ़ें और उसकी चोटी न बड़ी हो।

अनस (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) इस पर हँसे, फिर फ़रमाया : ऐ उम्मे-सुलैम! क्या तुझे मेरी शर्त जो मैंने अपने रब से की है, मालूम नहीं। मैंने अपने पालनहार से शर्त की है कि मैं भी एक इनसान हूँ, खुश होता हूँ, जैसे दूसरे इनसान ख़ुश होते हैं। और नाराज़ भी होता हूँ, जैसे दूसरे इनसान नाराज़ होते हैं। इसलिए उम्मत में से किसी इनसान के लिए भी बद्दुआ करूँ जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो उसे वह उसके लिए पाकी-सफ़ाई, पाकीज़गी और क़रीब होने का ज़रिआ बना दे, जिसके ज़रिए क़ियामत के दिन अल्लाह से वह क़रीब हो जाए।

(हदीस : मुस्लिम इब्ने-हिब्बान-सहीह में- 7/518-रक्म- 5764)

उरवा-बिन-अबू-क़रह बयान करते है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि॰) मदाइन में (जिहाद के सिलसिले में) ठहरे थे। ये नबी (सल्ल॰) की बहुत-सी फ़रमाई हुई बातों को याद रखते थे। चुनाँचे हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि॰) हज़रत सलमान (रज़ि॰) के पास आए। सलमान (रज़ि॰) ने कहा कि एक मर्तबा नबी (सल्ल॰) ने ख़ुत्बा (भाषण) दिया जिसमें फ़रमाया : जिस आदमी को भी मैं ग़ुस्से की हालत में गाली दूँ, या लानत करूँ जबकि मैं आदम (अलैहि॰) की औलाद में से एक इनसान हूँ। ग़ुस्सा होता हूँ जैसे तुम ग़ुस्सा होते हो और अल्लाह ने तो मुझे दुनियावालों के लिए रहमत ही बना कर भेजा है। इसलिए (ऐ अल्लाह) तू उसे क़ियामत के दिन उसके लिए रहमत बना दे।

(हदीस : मुसनद अहमद 5/437- तफ़सीर इब्ने-कसीर- 3/202)

व्याख्या

1. लानत करना और गाली देना इसकी दो क़िस्में हैं। एक मुजरिमों के गरोह पर उसूली लानत जैसे झूठों पर लानत, इस्लाम दुश्मनों पर लानत और ज़ालिमों पर लानत। फिर बाग़ियों, इस्लाम के दुश्मनों और मुसलमानों के क़ातिलों को इसमें गिना जाता है। इसलिए उनपर लानत की जा सकती है। यह बात क़ुरआन मजीद, सहीह हदीसों और फ़क़ीहों (धर्मशास्त्रियों) के फ़तवों में मौजूद है।

   दूसरी क़िस्म की लानत यह है कि किसी इनसान का नाम लेकर या उसे सामने रखकर व्यक्तिगत लानत की जाए और गाली दी जाए। तो इस तरह की लानत अगर नबी (सल्ल॰) ने की है तो वह उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं, बल्कि नेक दुआ और आख़िरत में अच्छे बदले का सबाब है।

2. इस तरह हँसी-मज़ाक़ की नीयत से कोई बात कहना या दो माने

रखनेवाले बोल बोलना लानत और बद्दुआ नहीं बल्कि रहमत और दुआ है। जैसे उम्मे-सुलैम की उस बेटी का मामला है।

3. नबी (सल्ल॰) भी इनसान हैं, बस सबसे ऊँचे दर्जे के और कामिल इनसान हैं इसलिए कुछ तो इनसानी बातें नबी (सल्ल॰) में होंगी और यह होना फ़ितरी और स्वाभाविक बात है।

30. नबी (सल्ल॰) का अपनी उम्मत पर शफ़क़त की दुआ करना

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : हर नबी (अलैहि॰) की दुआ क़बूलशुदा होती है, इसलिए हर नबी ने अपनी यह दुआ करने में जल्दी की है और मैंने अपनी इस दुआ को क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत (नजात) के लिए छिपाए रखा है। मेरी उम्मत में से जो आदमी भी इस हालत में मौत पाए कि उसने अल्लाह के साथ कोई शिर्क (अल्लाह का साझीदार) नहीं किया तो उसे यह दुआ पहुँचेगी।

(हदीस : मुस्लिम-1/189)

मुहम्मद-बिन-ज़ियाद की एक हदीस में है, उन्होंने कहा कि मैंने अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से कहते हुए सुना कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : हर नबी के लिए एक ख़ास दुआ है जो उसने अपनी उम्मत के बारे में की है और उसकी दुआ क़बूल भी हो गई। मैं चाहता हूँ कि इनशा-अल्लाह अपनी इस दुआ को क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए रहने दूँ।

व्याख्या

1. इस मुबारक हदीस को पढ़ते हुए एक मुश्किल सामने आती है कि नबियों (अलैहि॰) और नबी (सल्ल॰) की बहुत-सी क़बूल-शुदा दुआएँ हैं जबकि इस हदीस से मालूम होता है कि सिर्फ़ एक

दुआ क़बूल-शुदा है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए कई जवाब दिए गए हैं—

(अ) क़बूल-शुदा दुआ से मुराद क़तई और आख़िरी तौर पर तो एक है अलबत्ता बाक़ी दुआएँ क़बूल हो जाने की उम्मीद पर की जाती हैं।

(ब) "हर नबी के लिए एक दुआ" से मुराद सबसे अफ़ज़ल और अहम दुआ है। अलबत्ता दूसरी बहुत-सी दुआएँ हैं।

(स) उम्मत की नमाज़ या हलाकत के बारे में एक दुआ होती है। बाक़ी दुआएँ क़बूल भी होती हैं और क़बूल नहीं भी होतीं।

(द) एक तौजीह (वजह बयान) यह की गई है कि उनकी दुनिया या उनकी ज़ात के लिए क़बूल-शुदा दुआ एक होती है।

2. इस हदीस की शरह (व्याख्या) में इब्ने-बुताल कहते हैं कि इस हदीस से नबी (सल्ल॰) की तमाम नबियों पर फ़ज़ीलत मालूम होती है कि आप (सल्ल॰) ने अपनी ज़ात (खुद पर) और अहले-बैत (घरवालों) पर क़बूल-शुदा दुआ में उम्मत को तरजीह (प्रमुखता) दी और उसकी हलाकत और बरबादी की बद्दुआ नहीं की।

3. इमाम नववी (रह॰) (676 हिजरी) फ़रमाते हैं कि इस हदीस से नबी (सल्ल॰) की अपनी उम्मत पर पूरी-पूरी शफ़क़त और रहमत का इज़हार और उनकी ज़रूरतों और मसलिहतों का लिहाज़ रखना और उनकी अहम ज़रूरत के वक़्त उस ख़ास दुआ को बाद के लिए छोड़े रखने का पता चलता है।

4. एक बात इस हदीस से यह मालूम होती है कि जो ईमानवाला शिर्क से दूर रहा और वफ़ात पा गया तो दोज़ख़ में हमेशा नहीं

रहेगा और आख़िरकार जन्नत में दाख़िल होगा, अगरचे बड़े-बड़े गुनाहों में ग्रस्त रहा हो।

31. प्यारे नबी (सल्ल॰) का बनी-लैस के वफ़्द से अच्छा सुलूक

हज़रत मालिक (रज़ि॰) ने बयान किया कि हम नबी (सल्ल॰) के पास हाज़िर हुए। हम सब एक जोड़ के जवान थे। इसलिए हम नबी (सल्ल॰) के पास बीस दिन और रात ठहरे रहे। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) बहुत रहम-दिल और नर्म स्वभाव थे। फिर जब आप (सल्ल॰) ने महसूस किया कि हम अपने घरवालों से मिलने के ख़ाहिशमन्द हैं या हमें उनसे मिलने की चाहत है, तो आप (सल्ल॰) ने हमसे अपने पीछे रहनेवालों के बारे में पूछा तो हमने आप (सल्ल॰) को उनके बारे में बताया। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : अपने घरवालों के पास लौट जाओ, उनके साथ रहो, उन्हें तालीम (शिक्षा) दो और (नेकियों का) हुक्म दो। नबी (सल्ल॰) ने इस मौक़े पर बहुत-सी बातें बताईं उनमें मुझे कुछ याद हैं और कुछ याद नहीं हैं। कहा, नमाज़ ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुममें से कोई अज़ान दे और तुममें से जो बड़ा है वह इमामत करे यानी नमाज़ पढ़ाए।

व्याख्या

1. इब्ने-सअद की तहक़ीक़ के मुताबिक़ बनू-लैस का यह दल उस वक़्त आया जब नबी (सल्ल॰) तबूक की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे।
2. नमाज़ की इमामत के लिए जब कई ऐसे लोग मौजूद हों, जो इल्म और क़ुरआन पढ़ने में बराबर हैं तो उनमें से जो उम्र में

बड़ा है वह इमामत कराए। लेकिन अगर इल्म या क़ुरआन पढ़ने में फ़र्क़ है तो सिर्फ़ उम्र को न देखा जाएगा बल्कि उस वक़्त इल्म और क़ुरआन पढ़ने में जो ज़्यादा अच्छा हो वह इसका ज़्यादा हक़दार होगा।

3. हदीस में इल्म सीखनेवालों और मुजाहिदों या दावत व प्रचार-प्रसार करनेवालों या दूसरे दीनी कामों में लगे रहनेवालों के घरों में रहनेवाले लोगों के हक़ों का लिहाज़ भी रखा गया है। जैसे फ़रमाया : "जाओ, उनके साथ रहो, उनको तालीम दो और नेकियों का हुक्म दो।" मालूम हुआ कि ईमानवालों को किसी वक़्त भी दावत और तबलीग़ करने, नेकियों का हुक्म देने और दीन सिखाने से ग़फ़लत नहीं बरतनी चाहिए।

4. इस्लाम के शफ़क़त और रहमत भरे समाज में घरवालों से कटने और बिना किसी ख़ास व अहम मक़सद के दूर रहने की इजाज़त नहीं है, इस तरह दावत और दीन फैलाने के लिए दूर-दराज़ इलाक़ों के दौरे करना और अपने घरवालों और पास-पड़ोस और इलाक़ेवालों को छोड़ देना शरीअत की रूह के मुताबिक़ नहीं है।

32. नबी (सल्ल॰) का जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह की तकलीफ़ बाँटना

हज़रत अबू-ज़ुबैर हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ख़ुद इक्कीस लड़ाइयों में शरीक हुए। उनमें से उन्नीस में मैं ख़ुद हाजिर हुआ और दो में ग़ैर-हाज़िर रहा। उस दौरान जबकि मैं उन लड़ाइयों में से किसी लड़ाई (ज़ातुर्रिक़ाअ) में नबी (सल्ल॰) के साथ था, मेरा ऊँट रात के वक़्त थक कर बैठ गया और नबी (सल्ल॰) सब लोगों के और हमारे आख़िर में थे, इसलिए कमज़ोर को चलाते और अपने साथ बिठाते और उसके लिए दुआ

करते, चुनाँचे नबी (सल्ल०) मेरी तरफ़ आए जबकि उस वक़्त मैं कह रहा था कि हाए मेरी माँ! हमेशा हमारा ऊँट बेकार ही होता है, फिर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया : यह कौन है? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान जाएँ, मैं जाबिर हूँ।

नबी (सल्ल०) ने पूछा, क्या मामला है?

मैंने कहा कि मेरा ऊँट थक गया है।

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, तुम्हारे पास लाठी है?

मैंने कहा, जी हाँ। वह लेकर आपने ऊँट को उससे चोट मारी। फिर उसे खड़ा किया, फिर उसे बिठाया और उसके पैर को दबाया और कहा कि सवार हो जाओ। तो मैं सवार हो गया और उसको चलाया, फिर क्या था कि मेरा ऊँट नबी (सल्ल०) से आगे बढ़ रहा था।

नबी (सल्ल०) ने उस रात मेरे लिए पच्चीस मर्तबा मग़फ़िरत माँगी, फिर मुझसे पूछा कि अब्दुल्लाह ने क्या औलाद छोड़ी है यानी मेरे वालिद ने। मैंने कहा सात औरतें (बेटियाँ और बेवा)। फिर पूछा, अपने ऊपर क़र्ज़ छोड़ा है? मैंने कहा, जी हाँ।

नबी (सल्ल०) ने कहा, जब तुम मदीना आओ तो उन क़र्ज़दारों से मामला तय करना।

अगर वे इनकार करें तो जब तुम्हारी खजूरें तोड़ने का वक़्त आए तो मुझे ख़बर करना। नबी (सल्ल०) ने मुझसे पूछा, क्या तुमने शादी की है? मैंने कहा, जी हाँ। नबी (सल्ल०) ने पूछा, किससे की है? तो मैंने कहा, फ़लाँ औरत जो फ़लाँ शख़्स की बेटी है और मदीना में बेवा थी, उससे मैंने शादी की है।

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया : कुँवारी जवान से शादी क्यों नहीं की,

जिससे तुम खेलते और वह तुम से खेलती? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰), मेरे पास फूहड़ (बे-सलीक़ा) औरतें हैं, यानी बहनें इसलिए मैंने इस बात को नापसन्द किया कि उनके पास एक बा-सलीक़ा औरत लेकर आऊँ, और मैंने कहा, कि यह मेरे लिए अच्छा मामला है।

नबी (सल्ल॰) ने कहा, तूने अच्छा किया और बेहतरीन तरीक़ा अपनाया।

फिर नबी (सल्ल॰) ने पूछा, तूने अपना ऊँट कितने में ख़रीदा है? मैंने कहा कि सोने के पाँच औक़ियों में ख़रीदा है।

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, हमने इसको ख़रीद लिया है। फिर जब नबी (सल्ल॰) मदीना आए तो मैं नबी (सल्ल॰) के पास ऊँट लेकर हाज़िर हुआ। नबी (सल्ल॰) ने कहा, ऐ बिलाल (रज़ि॰) इसको सोने के पाँच औक़िया दे दो। इनके ज़रिए अब्दुल्लाह का क़र्ज़ अदा हो सकेगा। और इसको तीन औक़िया और बढ़ा दो और इसका ऊँट भी इसे लौटा दो।

नबी (सल्ल॰) ने पूछा, क्या तूने अब्दुल्लाह के लेनदारों से मामला तय कर लिया है? मैंने कहा कि नहीं ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰)। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : क्या उसने क़र्ज़ देने के लिए कुछ छोड़ा है? मैंने कहा कि कुछ नहीं छोड़ा।

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, तुम्हारे लिए कोई हरज की बात नहीं है। जब तुम्हारी खजूरें काटने का वक्त आए तो मुझे ख़बर कर देना। फिर मैंने नबी (सल्ल॰) को ख़बर दी तो नबी (सल्ल॰) तशरीफ़ लाए और हमारे लिए दुआ की। फिर हर क़र्ज़ देनेवाले को जो वह माँगता था चाहे खजूरें हों, चाहे और क़र्ज़ हो उसे पूरा-पूरा दे दिया और हमारे लिए जितना हम लेते थे उतना बाक़ी रहा बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही

पाया। फिर अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, इसे उठाकर ले जाओ और नाप न करो। चुनाँचे हमने उसे उठा लिया और एक अर्से तक हम उसे खाते रहे। (हदीस : अबू-दाऊद, हाकिम, बैहिक़ी)

33. जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह पर मेहरबानी का दूसरा वाक़िआ

हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) मुझसे मिले तो पूछा, जाबिर क्या बात है कि मैं तुम्हें फ़िक्रमन्द देख रहा हूँ?

मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरे बाप उहुद की लड़ाई के दिन शहीद कर दिए गए और उन्होंने बाल-बच्चे और क़र्ज़ छोड़ा है।

नबी (सल्ल॰) ने कहा कि क्या मैं तुम्हें इस बात की ख़ुशख़बरी न दूँ कि अल्लाह तुम्हारे वालिद (बाप) के साथ किस तरह मिले हैं? मैंने कहा, जी हाँ, ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰)!

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : अल्लाह तआला ने हर एक से पर्दे के पीछे ही बात-चीत की है और तुम्हारे अब्बा को ज़िन्दा किया और आमने-सामने बात की, फिर फ़रमाया, ऐ मेरे बन्दे, तू मेरे सामने कोई ख़ाहिश कर, तो मैं तुझे दूँ। तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे ज़िन्दा कर, फिर मैं तेरी राह में दोबारा क़त्ल किया जाऊँ। इसपर अल्लाह ने फ़रमाया कि मेरी तरफ़ से फ़ैसला हो गया है कि शहीद दुनिया की तरफ़ दोबारा नहीं लौटेंगे। नबी (सल्ल॰) ने कहा कि यह आयत उतारी गई—

"और हरगिज़ मुर्दा गुमान न करो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए गए हैं।" (क़ुरआन, 3:169)

एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने एक दिन मेरी तरफ़ देखा और कहा, जाबिर मैं तुम्हें ग़मगीन देख रहा हूँ। मैंने

अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल०)! मेरे बाप शहीद हो गए हैं और बाल-बच्चे और क़र्ज़ छोड़ गए हैं।

हदीस नं० 32-33 की व्याख्या

इस हदीस से नबी (सल्ल०) की सामाजिक और सामूहिक पाक ज़िन्दगी की बहुत-सी ऐसी बातें मालूम होती हैं जो बारीकियों की सूरत में नीचे लिखी गई हैं —

1. नबी (सल्ल०) अपने छोटे-बड़े साथियों का कितना ख़याल रखते हैं इसकी एक झलक इन दोनों हदीसों में मिलती है। जाबिर (रज़ि०) के ऊँट को खुद हँकाते और बिठाते हैं, उसे सवार करते हैं और उनके लिए पच्चीस बार मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। फिर उनके घर के हालात, उनके खुद के हालात पूछते हैं और उनपर अपनी वज़ाहत पेश करते हैं।

2. नबी (सल्ल०) तमाम नबियों, रसूलों और सारे जहाँ के सरदार होते हुए भी छोटे-छोटे काम करने में कोई आर (झिझक) महसूस नहीं करते जैसा कि जाबिर (रज़ि०) को ऊँट पर सवार करने में किया।

3. अपने साथियों के मामलों का कितना ख़याल रहता था कि जाबिर (रज़ि०) से उनके क़र्ज़, क़र्ज़ लेनेवालों, उसकी अदायगी का वक़्त और अदा करने के ज़रिए (साधन) पर ग़ौर करते हैं।

4. अपने साथियों के मसलों को हल करने की फ़िक्र करना हज़रत जाबिर (रज़ि०) के क़र्ज़ देनेवालों के लिए खजूरों की फ़सल पकने का वक़्त मुक़र्रर किया और क़र्ज़ देनेवालों को अदायगी करा दी।

5. साथियों के माली (आर्थिक) मसलों को हल करने में हक़दार होने के बावुजूद मुफ़्त में कोई चीज़ न देना ताकि उनकी इज़्ज़ते-नफ़्स (आत्मसम्मान) महफ़ूज़ रहे। जैसे हज़रत जाबिर (रज़ि०) के ऊँट

की रक़्म सौदे में दी लेकिन उपहार के तौर पर ऊँट उनको वापस दे दिया।

6. शहीद हो जाना कितना बड़ा दर्जा और मर्तबा है, लेकिन सारे गुनाह माफ़ होने के बावुजूद बन्दों के हक़ माफ़ नहीं होते और नबी (सल्ल॰) ने उनकी अदायगी की। उनके वारिसों को ध्यान दिलाया और अदायगी में मदद की।

7. इस हदीस से शहीदों के दर्जों और जाबिर (रज़ि॰) के बाप अब्दुल्लाह का बुलन्द दर्जा मालूम होता है कि अल्लाह ने उनको कितनी इज़्ज़त दी और आमने-सामने बात-चीत की। हालाँकि इस आमने-सामने की कैफ़ियत अल्लाह ही को मालूम है।

8. इस हदीस से हज़रत जाबिर (रज़ि॰) के कहने के मुताबिक़ लड़ाइयाँ इक्कीस मालूम होती हैं जबकि दूसरी हदीसों से यह तादाद सत्ताइस (27) मालूम होती है।

9. हज़रत जाबिर (रज़ि॰) की जिहाद में दिलचस्पी, शामिल होना और अच्छे बदले में शरीक होना मालूम होता है।

10. इस हदीस में नबी (सल्ल॰) के कई चमत्कार मालूम होते हैं, जैसे ऊँट में ताक़त आ जाना, ऊँट का तेज़ चलना, खजूरों की फ़सल का बढ़ना और उसमें बरकत होना कि एक तरफ़ क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा हो गया तो दूसरी तरफ़ खाने-पीने की ज़रूरतों के लिए इतना बच गया कि एक अर्से तक इस्तेमाल करते रहे।

11. हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) का नबी (सल्ल॰) के माली मामले निपटाना इस हदीस और दूसरी हदीसों से साबित होता है। इस लिए अबू-हुरैरा (रज़ि॰) को नबी (सल्ल॰) का ख़ज़ांची कह सकते हैं।

12. सहाबा (रज़ि॰) के बेहतरीन ज़ौक़ और घरेलू व सामाजिक हालतों को बहुत अच्छे तरीक़े से अंजाम देना भी साबित होता है कि अपनी पसन्द पर अपनी बहनों और ख़ानदान की ज़रूरतों को तरजीह देते थे।

34. नबी (सल्ल॰) का बनी-अक़ील के क़ैदी और हलीफ़ (मददगार) पर शफ़क़त करना

हज़रत इमरान-बिन-हुसैन (रज़ि॰) बयान करते हैं कि सक़ीफ़ (क़बीलेवाले) बनी-अक़ील (क़बीले) के हलीफ़ (दोस्त) थे। सक़ीफ़ ने नबी (सल्ल॰) के साथियों में से दो आदमियों को पकड़कर क़ैद कर लिया और अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) के साथियों ने बनी-अक़ील के एक आदमी को क़ैदी बनाया। उसके साथ एक ऊँटनी (जो हाजियों की रहनुमाई के लिए थी) भी पकड़ ली। यह आदमी बँधा हुआ था कि नबी (सल्ल॰) उसके पास आए। उस क़ैदी ने कहा, ऐ मुहम्मद! इसपर नबी (सल्ल॰) उसके पास आए और आपने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे क्यों पकड़ा है और हाजियों को रास्ता बतानेवाली ऊँटनी को क्यों पकड़ा है? नबी (सल्ल॰) ने उसे क़ैद करने की वजह बताते हुए फ़रमाया, मैंने तुझे तेरे हलीफ़ क़बीले के जुर्म में पकड़ा है। फिर नबी (सल्ल॰) उसके पास से लौटने लगे तो उसने फिर पुकारा, ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! नबी (सल्ल॰) बड़े रहमदिल और नर्मदिल थे, इसलिए उसकी तरफ़ लौट कर फ़रमाया : क्या बात है? उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ।

नबी (सल्ल॰) ने कहा : अगर तुमने यह बात कही है जबकि तुम अपने मामले में खुद आज़ाद और मालिक हो, तो तुमने पूरी तरह कामयाबी पा ली है। फिर नबी (सल्ल॰) लौटे तो उसने फिर पुकारा, ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! तो आप उसकी तरफ़ वापस आए और पूछा,

क्या बात है? उसने कहा, मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे खाना खिलाएँ और प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाएँ।

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "यह तुम्हारी ज़रूरत है।" फिर उस आदमी को दो (मुसलमान क़ैदियों) के बदले में रिहा किया गया।

हदीस बयान करनेवाला कहता है कि अनसार में से एक औरत को क़ैद किया गया और हाजियों की रहनुमाई करनेवाली एक ऊँटनी भी पकड़ी गई थी। वह औरत बंधी हुई थी, लोग अपने जानवर अपने घरों के सामने चरा रहे थे।

एक रात उस औरत ने अपने बंधन खोल लिए और ऊँटों के पास आई, फिर वह जिस ऊँट के पास जाती वह बिलबिलाता तो वह उसे छोड़ देती, इस तरह करती हुई वह अज़बा (हाजियोंवाली ऊँटनी) कें पास पहुँच गई तो वह न बिल-बिलाई। हदीस बयान करनेवाले ने कहा, यह ताबेदार ऊँटनी थी। चुनाँचे उसने उसकी पीठ के पिछले हिस्से पर बैठ कर उसे हँकाया और चली गई। लोगों को उसके जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे ढूँढा लेकिन उसने उन्हें बेबस कर दिया।

हदीस बयान करनेवाले कहते हैं कि उसने अल्लाह के लिए मन्नत मानी कि अल्लाह ने उसे इस पर नजात दे दी तो वह इसे ज़रूर क़ुरबान (ज़िब्ह) कर देगी। फिर जब वह मदीना आई और लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) की ऊँटनी अज़बा है। इस पर औरत ने कहा कि उसने नज़र (मन्नत) मानी है कि अगर उसे अल्लाह ने इसपर नजात दी तो इसे ज़रूर ज़िब्ह कर देगी। लोग नबी (सल्ल॰) के पास आए और नबी (सल्ल॰) से इस बात का ज़िक्र किया। इसपर अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "अल्लाह पाक है! उसने बुरा फ़ैसला किया, उसने अल्लाह

के लिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने इस (ऊँटनी) पर नजात दी तो वह इसे ज़रूर ज़िब्ह कर देगी। गुनाह के काम में नज़र (मन्नत) पूरी करना (जाइज़) नहीं है और न उन चीज़ों में जिसका बन्दा मालिक नहीं है।"

एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने बनी-अक़ील के एक आदमी को पकड़कर बाँध दिया और उसे गर्मी में डाल दिया। फिर जब नबी (सल्ल॰) उसके पास से गुज़रे, हम आपके साथ थे। हदीस बयान करनेवाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उसके पास गधे पर सवार होकर आए और आप (सल्ल॰) के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा (ज़ीन के तौर पर) रखा हुआ था। उसने बुलन्द आवाज़ से पुकारा, ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! तो नबी (सल्ल॰) उसके पास आए और पूछा, तुम्हारा क्या मामला है?

एक हदीस में है कि लोगों ने उस औरत से कहा, ख़ुदा के वास्ते तुम इसे ज़िब्ह न करो, यहाँ तक कि हम अल्लाह के नबी (सल्ल॰) को बाख़बर कर दें। चुनाँचे वे नबी (सल्ल॰) के पास आए और नबी (सल्ल॰) को बताया। (शरहुस्सुन्नह : 11/83)

व्याख्या

1. ऐसी चीज़ या मिलकियत की नज़र (मन्नत) मानना जो उसकी मिलकियत नहीं है, जाइज़ नहीं और न ही उसे पूरा करना जाइज़ है।
2. नबी (सल्ल॰) की ऊँटनी का नाम और नर्म-दिली मालूम होती है।
3. उस औरत की जवाँमर्दी और बहादुरी मालूम होती है।

भाग-5

नबी (सल्ल॰) का जानवरों और परिन्दों पर शफ़क़त करना

35. नबी (सल्ल॰) का ऊँट पर मेहरबान होना

सहल-बिन-हन्ज़लिय्या अन्सारी से रिवायत है : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) अपनी किसी ज़रूरत के लिए निकले और एक ऊँट के पास से गुज़रे, जो सुबह से मस्जिद के दरवाज़े पर बँधा हुआ था। फिर दिन के आख़िरी हिस्से में वहाँ से गुज़रे तो वह उसी हालत में बँधा हुआ था। इसपर नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि इस ऊँट का मालिक कहाँ है? उसे तलाश किया गया तो वह नहीं मिला, इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा कि इन जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इनपर सेहत की (स्वस्थ) हालत में सवार हो और इन्हें मोटा करके खाओ।

एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसकी पीठ पेट से चिपक गई थी। नबी (सल्ल॰) ने कहा, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इनपर अच्छी हालत में सवार हो और इनको अच्छी हालत में खाओ।

(हदीस : अबू-दाऊद–3/2548)

36. नबी (सल्ल॰) का मज़लूम ऊँट की फ़रियाद सुनना

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-जाफ़र (रज़ि॰) ने कहा कि एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने सवारी पर मुझे अपने पीछे बिठाया फिर मुझसे

ऐसी राज़ की बात कही, जो मैं लोगों में से किसी एक को भी नहीं कह सकता। नबी (सल्ल०) को क़ज़ाए-हाजत (पाख़ाना-पेशाब करने) के लिए ऐसी जगह पसन्द थी जो ऊँची हो या खजूरों का झुंड हो, जिससे नबी (सल्ल०) छिप जाएँ। हदीस बयान करनेवाला कहता है कि नबी (सल्ल०) अनसार में से किसी आदमी के बाग़ की चहार-दिवारी में दाख़िल हुए, तो देखते हैं कि उसमें एक ऊँट मौजूद है। जब उसने नबी (सल्ल०) को देखा तो बिलबिलाने लगा और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। नबी (सल्ल०) उसके पास आए और उसकी आँखों पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। इसपर नबी (सल्ल०) ने कहा कि इस ऊँट का मालिक कौन है या यह ऊँट किसका है? चुनाँचे अनसार में से एक नौजवान आया और बोला कि ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल०), यह मेरा है। इसपर नबी (सल्ल०) ने कहा, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिनका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और तकलीफ़ देते हो। (हदीस : अबू-दाऊद-3/49-रक़म-2549)

मुसनद-अहमद की एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) अपने ख़च्चर पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे बिठाया। नबी (सल्ल०) पाख़ाना-पेशाब से फ़ारिग होने के लिए जाते तो आप (सल्ल०) को ऐसी जगह पसन्द होती थी जो आपके लिए परदा बन जाए या छोटी खजूरों का झुंड हो। फिर नबी (सल्ल०) अनसार के एक आदमी की चहार-दीवारी में दाख़िल हुए तो उसमें पानी सींचनेवाला ऊँट बँधा हुआ था, जब उसने नबी (सल्ल०) को देखा तो बिलबिलाया और उसकी आँखों से आँसू जारी हो गए। इसपर नबी (सल्ल०) ने नीचे उतर कर उसकी गुद्दी और पीठ पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। नबी (सल्ल०) ने पूछा, इस ऊँट का मालिक कौन है? इसपर अनसार का एक नौजवान आगे बढ़ा और कहा, मैं हूँ। इसपर नबी (सल्ल०) ने

कहा, तुम इन बेज़बान जानवारों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिनका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है। इसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है और ख़याल यह है कि तुम इसे भूखा रखते और तकलीफ़ देते हो, फिर नबी (सल्ल॰) दीवार के पीछे चले गए और अपनी ज़रूरत पूरी की और वुज़ू किया और वापस आए तो पानी आपकी दाढ़ी से आपके सीने पर टपक रहा था। फिर नबी (सल्ल॰) ने मुझसे कोई राज़ की बात की जो मैं किसी को भी नहीं बता सकता।

(हदीस : मुस्लिम)

37. नबी (सल्ल॰) का एक और ऊँट की फ़रियाद सुनना

यअला बिन-मुर्रा ने कहा कि मैंने अल्लाह को रसूल (सल्ल॰) में तीन बातें ऐसी देखीं है कि जिन्हें मुझसे पहले और मेरे बाद किसी ने नहीं देखा। ......

वे कहते हैं कि मैं नबी (सल्ल॰) के पास एक दिन बैठा हुआ था कि अचानक नबी (सल्ल॰) के पास एक ऊँट दौड़ता हुआ आया फिर वह नबी (सल्ल॰) के सामने घुटने टेककर बैठ गया और उसकी आँखों से आँसू निकलकर बहने लगे। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा कि तुम्हारा भला हो, देखो यह ऊँट किसका है। हदीस बयान करनेवाले कहते हैं कि मैं उसके मालिक को तलाश करने निकला तो मैंने अनसार में से एक आदमी को पाया और मैंने उसको नबी (सल्ल॰) की तरफ़ बुलाया। नबी (सल्ल॰) ने कहा, तुम्हारे इस ऊँट का क्या मामला है? तो उसने कहा, अल्लाह की क़सम! हमें मालूम नहीं कि इसका क्या मामला है? हमने इसपर काम किया और इससे पानी सींचा यहाँ तक कि पानी सींचने से यह बेबस हो गया। तो हमने रात को मश्विरा किया कि इसको ज़िब्ह कर दें और उसका गोश्त तक़सीम कर देंगे।

नबी (सल्ल०) ने कहा कि ऐसा न करो, बल्कि मुझे यह तोहफ़े में दे दो या बेच दो। अनसारी आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), यह आप का है। फिर हदीस बयान करनेवाला कहता है कि नबी (सल्ल०) ने उस पर सदक़े के जानवरों का निशान लगाया और उसे उन जानवरों में भेज दिया। (हदीस : मुसनद अहमद- 4/170)

एक हदीस में यअला-बिन-मुर्रा बयान करते हैं कि हम एक दफ़ा नबी (सल्ल०) के साथ सफ़र कर रहे थे तो हम एक ऊँट के पास से गुज़रे, जिस पर पानी ढोया जाता था। जब ऊँट ने नबी (सल्ल०) को देखा तो बिलबिलाया और अपनी गर्दन नीचे रख दी तो उसके पास नबी (सल्ल०) खड़े हो गए और पूछा कि इस ऊँट का मालिक कहाँ है? इसपर वह आगे आया। नबी (सल्ल०) ने उससे कहा, इसे बेच दो। तो उसने कहा, नहीं बल्कि मैं इसे आप (सल्ल०) को हदिया (उपहार) कर दूँगा। इसपर नबी (सल्ल०) ने कहा, नहीं बल्कि इसे बेच दो। उसने कहा, नहीं बल्कि हम हिबा (दान) करेंगे। और यह ऐसे घरवालों का है, जिसके गुज़र-बसर का इसके अलावा और कोई बन्दोबस्त नहीं है। नबी (सल्ल०) ने कहा कि जब तुमने घर की यह बात बताई है तो इसने ज़्यादा काम लेने और चारा कम देने की शिकायत की है।

(हदीस : मुसनद अहमद-4/173)

यअला-बिन-मुर्रा की एक और हदीस है कि नबी (सल्ल०) ने कहा, तुम्हारे ऊँट का क्या मामला है, जो शिकायत कर रहा है कि तुम इसे पानी ढोने के लिए इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि अब यह बड़ी उम्र को पहुँच गया है तो तुम इसे ज़िब्ह करना चाहते हो। उसने अर्ज़ किया कि नबी (सल्ल०) ने सच फ़रमाया। उस ज़ात की क़सम जिसने

आप (सल्ल॰) को हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैंने ख़ुदा की क़सम अब इरादा किया है कि मैं इस तरह नहीं करूँगा।

(हदीस : मुसनद अहमद-4/173)

यअला-बिन-मुर्रा की एक और हदीस है कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, क्या आप लोग जानते हैं कि यह क्या कह रहा है? इस (ऊँट) का गुमान यह है कि इसने चालीस साल तक अपने मालिकों की सेवा की है, फिर जब बड़ी उम्र का हुआ तो उन्होंने इसका घास-चारा कम कर दिया, इसका काम बढ़ा दिया और जब उनकी ख़ुशी की कोई तक़रीब (समारोह) होने लगी तो उन्होंने छुरी लेकर इसे ज़िब्ह करने का इरादा कर लिया। चुनाँचे नबी (सल्ल॰) ने इसके मालिकों की तरफ़ आदमी भेजा। उसने जाकर सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, ख़ुदा की क़सम इसने सच कहा। नबी (सल्ल॰) ने कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो तो उन्होंने इसे छोड़ दिया।

उसमान-बिन-यअला की हदीस में है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा कि ऐ यअला, इस ऊँट के घरवालों के पास जाओ और इसे उनसे ख़रीद लो और अगर वे इसे तुम्हें न बेचें तो उनसे कहो कि नबी (सल्ल॰) इसके बारे में वसीयत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ख़ुदा की क़सम, हमने इस पर बीस साल तक पानी ढोया है फिर भी हमने सुबह को इसे ज़िब्ह करने का इरादा किया है, अब जबकि नबी (सल्ल॰) ने हमें इसके बारे में वसीयत की है तो हम इसे भलाई ही पहुँचाएँगे।

(हदीस : मुअजमुल-कबीर-23/255)

व्याख्या

इन तीनों हदीसों में विषय एक जैसा ही है हालाँकि क़िस्से (वाक़िआत) अलग-अलग हैं, नबी (सल्ल॰) ने इनमें जानवरों के हक़ बयान किए हैं। उनमें से कुछ ये हैं—

1. इस्लाम ने इनसान से ताल्लुक़ रखने वाली मख़लूक़ का और इनसान का आपसी सम्बन्ध बताते हुए यह वाज़ेह कर दिया है कि दुनिया की तमाम मख़लूक़ें इनसान की ख़िदमत और भलाई के लिए पैदा की गई हैं। अल्लाह का फ़रमान है—

   "उसने ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र (वशीभूत) कर दिया है।" (क़ुरआन, 45:13)

   और दूसरी जगह अल्लाह फ़रमाता है—

   "वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा कीं।" (क़ुरआन, 2:29)

   इसलिए इनसान अपने-आपको कायनात (सृष्टि) की ख़िदमत लेने का हक़दार समझते हुए मुनासिब अन्दाज़ में इन नेमतों से ख़िदमत ले और फ़ायदा हासिल करे।

2. जिन जानवरों से जो ख़िदमत लेना है, उनसे वही ख़िदमत ले जिसके लिए ये पैदा किए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो जानवर सवारी के लिए हैं, उन्हें सवारी में इस्तेमाल करना। पानी सींचने के लिए हैं, उनसे पानी सींचना और ज़मीन जोतना।

3. उनसे उतना ही काम लेना चाहिए जितना उनके बस में और ताक़त में है।

4. उनको अच्छी हालत में रखना, ज़रूरत के मुताबिक़ चारा, पानी और आराम देना उनका हक़ है। ऊपर बयान हुई हदीसों में इसका बयान अलग-अलग ढंग में मिलता है।

5. उनके मुँह पर मारना, मुँह पर दाग़ना और जलाना मना है।

6. जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, उनको भी अच्छी हालत में ज़िब्ह करना एक अच्छा और भला अमल है। बल्कि कुछ वक़्त

के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि ताज़ा दम और मोटे हो जाएँ फिर ज़िब्ह किया जाए।

7. जानवरों को आपस में लड़ाना, बेमक़सद दौड़ाना या उनपर शर्तें बाँधना मना है।
8. इस्लाम ने जानवरों के हक़ की उस वक़्त बात की है, जब दुनिया में अँधेरा था और इनसानों के हक़ों का तज़किरा भी कम था। तो बेचारे जानवर किस क़तार और गिनती में थे।
9. आज यूरोप और पश्चिमी तहज़ीब के चाहनेवाले जानवरों के हक़ों को यूरोप का कमाल समझते हैं, जबकि इस्लाम ने चौदह सौ साल पहले इनकी अहमियत और उनके हक़ों की क़िस्में और तफ़सील बयान की हैं।

38. नबी (सल्ल॰) का चिड़िया पर शफ़क़त करना

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक सफ़र में हम लोग अल्लाह के नबी (सल्ल॰) के साथ थे। उस दौरान एक आदमी घने जंगल में गया और वहाँ से एक लाल रंगवाली चिड़िया का अण्डा निकाल कर लाया। इतने में चिड़िया आई और नबी (सल्ल॰) और सहाबा (रज़ि॰) के सिरों पर फड़फड़ाने लगी। इसपर नबी (सल्ल॰) ने पूछा, तुममें से किसने इसको दुख दिया है? तो लोगों में से एक आदमी ने कहा कि मैंने इसका अण्डा लिया है। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा कि इसे लौटा दे। यह बात नबी (सल्ल॰) ने उसपर रहमत करते हुए फ़रमाई। (हदीस : मनहतुल-माबूद-2/40 रक़म 2068)

अबुल-इस्हाक़ शैबानी की इब्ने-साद से इस सिलसिले की कई हदीसें इस तरह हैं। हम एक सफ़र में नबी (सल्ल॰) के साथ थे। फिर जब आप (सल्ल॰) अपनी ज़रूरत के लिए गए, हमने उस दौरान एक चिड़िया देखी

जिसके साथ दो बच्चे थे। तो हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिए। इतने में वह चिड़िया आई और अपने पंख फैला कर उन पर गिरने लगी। जब नबी (सल्ल॰) वापस आए तो कहा, किस आदमी ने इसको इसके बच्चों की वजह से दुख दिया है? इसके बच्चे लौटा दो। नबी (सल्ल॰) ने चींटियों का एक नगर देखा जिसे हमने जला दिया था, तो नबी (सल्ल॰) ने कहा, इसको किसने जलाया है? हमने अर्ज़ किया कि हमने जलाया है। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, आग का अज़ाब तो सिर्फ़ आग का मालिक (अल्लाह) ही दे सकता है (किसी और को इसका हक़ नहीं है)।

(हदीस : अबू-दाऊद 3/125, रक़म-2675, अल-अदब-5/319)

अबू-ख़ालिद दालानी की इब्ने-साद से एक हदीस है। अनसार में से एक आदमी ने कहा कि मैंने उसके अण्डे या बच्चे लिए हैं तो नबी (सल्ल॰) ने उनके लौटाने का हुक्म दिया।

(हदीस : मुअजमुल-कबीर, 10/218, रक़म-10375)

अबू-दाऊद सजिस्तानी ने आमिर अराम ख़िज्र के भाई से हदीस बयान की है कि वे कहते हैं मैं अपने इलाक़े में था कि अचानक हमारे सामने छोटे-बड़े झंडे बुलन्द हुए। मैंने पूछा, ये क्या हैं? लोगों ने कहा यह अल्लाह के नबी (सल्ल॰) का झंडा है। तो मैं नबी (सल्ल॰) के पास गया। उस वक़्त नबी (सल्ल॰) एक पेड़ के नीचे एक बिछाई गई चादर पर बैठे हुए थे। नबी (सल्ल॰) के पास आपके सहाबा (रज़ि॰) जमा थे। इसलिए मैं भी उनके साथ बैठ गया। फिर नबी (सल्ल॰) ने कुछ बीमारियों के बारे में बताया और कहा—

ईमानवाले को जब बीमारी होती है फिर अल्लाह तआला उन्हें सेहत देता है, तो वह उसके पिछले गुनाहों का क़फ़्फ़ारा बन जाती है और आनेवाले वक़्त में उसके लिए नसीहत बन जाती है। और मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) जब बीमार होता है और फिर उससे तन्दुरुस्त हो जाता

है तो वह उस ऊँट की तरह होता है, जिसे उसके मालिकों ने बाँधा था फिर उसे छोड़ दिया। अलबत्ता उसे मालूम नहीं होता कि उसे क्यों बाँधा है और उसे क्यों छोड़ा है। इसपर नबी (सल्ल॰) के पास बैठे हुए लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰), ये बीमारियाँ कौन-सी हैं? ख़ुदा की क़सम मैं तो आज तक कभी भी बीमार नहीं हुआ। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा कि हमारी मजलिस से उठ जाओ, तुम हममें से नहीं हो।

उस दौरान जबकि हम नबी (सल्ल॰) के साथ थे कि एक आदमी सामने आया, जिसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसपर उसने चादर लपेट रखी थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰), मैंने जब आपको देखा तो आप (सल्ल॰) की तरफ़ चल दिया, फिर मैं पेड़ों के एक झुंड के पास से गुज़रा तो उसमें परिन्दों के बच्चों की आवाज़ें सुनीं तो मैंने उनको पकड़कर अपनी चादर में रख लिया, इतने में उनकी माँ आ गई और मेरे सिर पर चक्कर लगाने लगी तो मैंने उसके सामने इन बच्चों से कपड़ा हटाया तो वह इनपर गिर पड़ी और इनके साथ बैठ गई। फिर मैंने इनको अपनी चादर में लपेट लिया। अब ये रहे मेरे साथ। नबी (सल्ल॰) ने कहा इनको अपने से दूर कर दो; तो मैंने उनको अपने से दूर किया लेकिन उनकी माँ ने उनको नहीं छोड़ा। इसपर नबी (सल्ल॰) ने अपने सहाबा (रज़ि॰) से फ़रमाया—

क्या तुम लोग बच्चों की माँ (चिड़िया) का अपने बच्चों पर रहम खाने पर ताज्जुब कर रहे हो! उन्होंने कहा, जी हाँ ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰)। आप (सल्ल॰) ने कहा कि उस ज़ात (हस्ती) की क़सम जिसने मुझे हक़ (सत्य) के साथ भेजा है। अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बनिस्बत बच्चों की इस माँ से जो वह अपने बच्चों पर शफ़क़त

कर रही है, ज़्यादा रहम करनेवाला है। इनको ले जाओ और वहाँ इनको छोड़ो जहाँ से तुमने इनको लिया है और इनकी माँ को भी साथ रखो। फिर वह आदमी उनको लेकर लौटा और वहाँ पर छोड़ा जहाँ से उनको लिया था।

इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन (हदीस के आलिमों) ने बयान किया है। जैसे-अलमुन्ज़री, अत-तिरमिज़ी, अल-हाकिम, अज़्ज़हबी और अल-बानी ने सही बताया है।

इस हदीस की ताईद और पुष्टि हज़रत जाबिर (रज़ि॰) की एक लम्बी हदीस से होती है, जो उन्होंने अर्रिक़ाअ की लड़ाइयों में बयान की है। वे कहते हैं—

हम वापस लौटते हुए आ रहे थे कि नबी (सल्ल॰) के साथियों में से एक शख़्स परिन्दे का घोंसला ले कर आया, उसमें परिन्दे के बच्चे थे और उनके माँ-बाप उसके पीछे उड़ते आ रहे थे और उस आदमी के हाथ पर गिर रहे थे। फिर तो नबी (सल्ल॰) ने उसकी तरफ़ ध्यान दिया जिसके पास ये थे। फिर कहा, क्या तुम लोग इन परिन्दों के सुलूक पर ताज्जुब कर रहे हो जो वे अपने बच्चों के बारे में अपनाए हुए हैं। उस ज़ात की क़सम जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है! बेशक अल्लाह तआला इन परिन्दों के अपने बच्चों के साथ रवैए से ज़्यादा अपने बन्दों पर रहम करनेवाला है।।

(हदीस : अबू-दाऊद-3/469, रक़म-3089)

व्याख्या

1. जंगली जानवरों के हक़, उनके ज़िन्दा रहने, उनको न सताने, और उनपर शफ़क़त और रहमत करने की इस हदीस से रहनुमाई मिलती है।

2. नबी (सल्ल॰) के सारी दुनिया के लिए रहमतवाला होने की झलक ऊपर बयान हुई हदीसों से सामने आती है।

3. बिना ज़रूरत किसी परिन्दे का पकड़ना, उसके बच्चों को पकड़ना और उसकी माँ से जुदा (अलग) करना जाइज़ नहीं है।

4. आज की दुनिया में परिन्दों की नस्ल बाक़ी रखने और उनके बच्चों के पालन-पोषण को यक़ीनी बनाने के लिए उनके अण्डे-बच्चे देने और उनके बड़े होने के लिए शिकार पर पाबन्दी लगाई जाती है। इस हदीस से भी यही बात सामने आती है।

5. शरीअत के आलिमों ने बिना ज़रूरत शिकार करने, शिकार करके उसका गोश्त बरबाद करने से मना किया है। जितने गोश्त की ज़रूरत है, उतना ही शिकार किया जाए।

भाग-6

नबी (सल्ल॰) की रहमत और शफ़क़त के कुछ और वाक़िआत

इस इज़ाफ़े (बढ़ोत्तरी) में नबी (सल्ल॰) की शफ़क़तों और रहमतों के कुछ ऐसे नमूने दिए जा रहे हैं जिनका ज़िक्र पिछली हदीसों में नहीं हो सका है। ये हदीसें पहले बयान की गई हदीसों पर और ज़्यादा इज़ाफ़ा हैं।

1. नबी (सल्ल॰) की अपनी बेटी ज़ैनब (रज़ि॰) पर रहम-दिली

हज़रत अनस (रज़ि॰) ने कहा कि नबी (सल्ल॰) की बेटी ज़ैनब (रज़ि॰) की वफ़ात हो गई तो हम लोग नबी (सल्ल॰) के साथ उनकी तरफ़ चल दिए। हमने नबी (सल्ल॰) को सख़्त ग़मगीन देखा। चुनाँचे इस बिना पर हम नबी (सल्ल॰) से बात-चीत नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि हम क़ब्र के पास जा पहुँचे, लेकिन उनकी क़ब्र अभी तैयार नहीं हुई थी। इसलिए नबी (सल्ल॰) बैठे तो हम भी नबी (सल्ल॰) के आस-पास बैठ गए। फिर नबी (सल्ल॰) ने एक पल के लिए अपने-आप से कोई बात कही, फिर आसमान की तरफ़ देखने लगे, इतने में क़ब्र मुकम्मल हो गई। फिर नबी (सल्ल॰) उसमें उतरे। मैंने देखा कि आप (सल्ल॰) का ग़म और दुख बढ़ रहा है। फिर जब नबी (सल्ल॰) फ़ारिग़ हुए और क़ब्र से बाहर निकल आए तो मैंने देखा कि नबी (सल्ल॰) का ग़म दूर हो गया है और मुस्कुरा रहे हैं। हमने अर्ज़

किया कि ऐ अल्लाह के नबी! हमने आपको सख़्त दुख में देखा था, जिसकी वजह से हम आप (सल्ल॰) से बातचीत नहीं कर सके, फिर हमने देखा कि आप (सल्ल॰) का ग़म हल्का हो गया है। यह कैसे हुआ? नबी (सल्ल॰) ने बताया, मैं क़ब्र की तंगी, उसका भींचना और ज़ैनब (रज़ि॰) की शारीरिक कमज़ोरी को याद कर रहा था, तो उससे मुझे सख़्त तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि उससे उस मामले में कमी की जाए। चुनाँचे ऐसा ही हुआ।

(हदीस : तबरानी-1/230,22/433)

व्याख्या

1. नबी (सल्ल॰) का अपनी औलाद से जो ताल्लुक़ था, उसकी एक झलक इस हदीस से मालूम होती है।
2. औरत को क़ब्र में उसके महरमों के हाथों उतारना और दफ़्न करना चाहिए।
3. क़ब्र की सख़्ती नबी (सल्ल॰) और आप (सल्ल॰) के नेक उम्मतियों की दुआ से कम हो जाती है।
4. हज़रत ज़ैनब (रज़ि॰) नबी (सल्ल॰) की बेटी हैं, उनकी शादी अबुल-आस से हुई और सन् आठ हिजरी में मदीना शहर में वफ़ात पाई।

2. नबी (सल्ल॰) का औरतों पर शफ़क़त करना

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) एक सफ़र में थे और आप (सल्ल॰) के साथ आप (सल्ल॰) का अंज़शा नाम का ग़ुलाम भी था। यह हुदी (ऊँटों को हंकानेवाली आवाज़) गा रहा था। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा, अंज़शा तेरा भला हो, आबगीनों (नाज़ुक शीशों) का ख़याल रख।

(हदीस : अल-अदब, बाब-5, 116 और मुस्लिम, फ़ज़ाइल बाब-18)

व्याख्या

1. इस हदीस से औरतों की नाज़ुक-मिज़ाजी और नफ़ासत का ख़याल रखना ज़ाहिर होता है।
2. इससे नबी (सल्ल॰) के अदबी ज़ौक और अदबी तश्बीहात का इज़हार होता है। नबी (सल्ल॰) ने औरतों के हुस्न-जमाल को आबगीनों (नाज़ुक शीशों) से तश्बीह दी।

3. एक जवान पर नबी (सल्ल॰) का मेहरबान होना

हज़रत अबू-उसामा (रज़ि॰) कहते हैं कि एक जवान नबी (सल्ल॰) के पास आया, उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल॰)! मुझे ज़िना (व्यभिचार) करने की अनुमति दे दें। इस पर लोगों ने उसकी तरफ़ रुख़ किया, उसे डाँटा-डपटा और कहा कि रुक जा, रुक जा, तो नबी (सल्ल॰) ने उससे कहा, मेरे पास आओ, तो वह नबी (सल्ल॰) के क़रीब आ गया। हदीस बयान करनेवाले कहते हैं कि वह सुकून से बैठ गया। नबी (सल्ल॰) ने कहा, क्या तू इसे (ज़िना को) अपनी माँ के लिए पसन्द करेगा? उसने जवाब दिया, ख़ुदा की क़सम! नहीं, मुझे ख़ुदा आप (सल्ल॰) पर क़ुरबान करे। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, दूसरे लोग भी अपनी माँ के लिए इसे पसन्द नहीं करते। फिर कहा; क्या तू इसे अपनी बेटी के लिए पसन्द करेगा? उसने कहा; ख़ुदा की क़सम नहीं करूँगा, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), ख़ुदा करे मैं आप (सल्ल॰) पर क़ुरबान हो जाऊँ। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : दूसरे लोग भी अपनी बेटियों के लिए यह काम नहीं चाहते। आप (सल्ल॰) ने फिर पूछा, क्या तू इसे अपनी बहन के लिए चाहेगा? उसने कहा, ख़ुदा की क़सम, मैं नहीं चाहूँगा। अल्लाह मुझे आप पर क़ुरबान करे। आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, लोग भी अपनी बहनों के लिए ऐसा पसन्द नहीं करते हैं। नबी (सल्ल॰) ने फिर पूछा : क्या तू इसे अपनी फूफी के

लिए पसन्द करेगा? उसने जवाब दिया, ख़ुदा की क़सम इसे पसन्द नहीं करूँगा, ख़ुदा मुझे आप (सल्ल॰) पर क़ुरबान करे। नबी (सल्ल॰) ने कहा : लोग भी इसे अपनी फूफियों के लिए पसन्द नहीं करते। नबी (सल्ल॰) ने और पूछाः क्या तू अपनी ख़ाला (मौसी) के लिए इसे पसन्द करेगा? उसने जवाब दिया, ख़ुदा की क़सम! नहीं करूँगा। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमायाः लोग भी अपनी मौसियों के लिए इसे पसन्द नहीं करेंगे। इसके बाद नबी (सल्ल॰) ने अपना (प्यार भरा) हाथ उसपर रखा और फ़रमाया : ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर दे, इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह (गुप्तांग) को महफ़ूज़ कर दे। इसके बाद यह जवान किसी (बुरी) बात की तरफ़ ध्यान नहीं करता था। (हदीस : मुसनद अहमद-5/256-257)

व्याख्या

1. यह हदीस दीन की दावत व तब्लीग़ में हिकमत इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन नमूना है।
2. सहाबा (रज़ि॰) की दीनी ग़ैरत और इस्लामी जज़्बा और नबी (सल्ल॰) के मान-सम्मान की यह हदीस अक्कासी करती है।
3. नबी (सल्ल॰) का बड़ा सब्र, बुर्दबारी और बरदाश्त इससे ज़ाहिर होता है।
4. इसमें मन की हालत का एक पहलू भी सामने आता है क्योंकि नबी (सल्ल॰) उसे थोड़ी देर बिठाते हैं, ताकि वह ख़ुद अपने क़ुसूर पर ग़ौर करे और उसकी तबिअत नार्मल (सहज) हो जाए।
5. नबी (सल्ल॰) ज़िना की बुराई ख़ुद उसके जज़्बात और एहसासों से ज़ेहन में बिठाते हैं और उसकी ज़बान से उसकी बुराई और ख़राबी बयान करते हैं। यह दावत (प्रचार) की हिकमत का ख़ास नुक्ता है।

6. उसके लिए माफ़ी, पारसाई और पाकदामनी की दुआ करते हैं, दावत व तब्लीग़ (प्रचार-प्रसार) में दुआ एक बहुत कारगर ज़रिआ और साधन है।

7. हदीस से उस दौर की बुराइयों और ख़राबियों का पता चलता है कि ये बुराइयाँ जैसे— ज़िना, शराब, जुआ, क़त्ल, चोरी और डाकाज़नी आम थी और इनको बायान करने को ऐब नहीं समझते थे।

8. सहाबा (रज़ि॰) का ग़ुस्सा और जोश दीनी ग़ैरत, शर्म और उस नौजवान के मुसलमान होकर ऐसी बात करने की वजह से था। इसलिए नबी (सल्ल॰) ने सहाबा को डाँटा-डपटा नहीं बल्कि कोई ऐसी बात भी नहीं की।

9. हमें अपने समाज के लोगों को भी ऐसे ही समझना चाहिए, जैसे हम अपने घरवालों और रिश्तेदारों और नातेदारों को मुहतरम (आदरणीय) समझते हैं और उनके लिए वही जज़्बात रखने चाहिएँ, जो अपनों के लिए रखते हैं।

10. आज भी हमारे दिलों में बुराइयों का ख़याल आए या इरादा हो तो किसी अल्लाहवाले, नेक और भले इनसान के पास जाकर अपनी ख़राबी बयान करनी चाहिए और इसका जो इलाज वे बुज़ुर्ग अपनी सूझ-बूझ से पेश करें तस्लीम करना चाहिए।

4. नबी (सल्ल॰) का शफ़क़त की वजह से बिल्ली के लिए पानी रखना

हज़रत आइशा (रज़ि॰) बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) बिल्ली को पानी पिलाने के लिए बर्तन को टेढ़ा करते थे, तो वह उससे पी लेती थी, फिर आप (सल्ल॰) उस (झूठे) पानी से वुज़ू करते।

(हदीस : मुसनद अबी-यांला-4/469, कशफुल-अस्तार, 1414, शरह ताहावी-1/19, सुनन दारकुतनी-1/67, मजमउल-बहरैन-1/306)

व्याख्या

1. बिल्ली चूँकि हर वक़्त घर में रहती है। इसलिए हदीस में हर वक़्त घर में घूमने-फिरने और चक्कर लगानेवाली कहा गया है। इस लिए नबी (सल्ल॰) ने उसके झूठे को पाक क़रार दिया है। बिल्ली का झूठा फ़क़ीहों के नज़दीक पाक है।
2. अगर बिल्ली कोई हराम चीज़ ख़ाकर आए और यक़ीनी तौर पर मालूम हो तो उसका झूठा मकरूह है।
3. इस्लाम में बिल्ली नफ़रत के क़ाबिल नहीं है। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बिल्लियों की ख़िदमत करते और उनसे प्यार करते थे। इसलिए उन्हें अबू-हुरैरा (बिल्लियों वाले) कहते हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान-बिन-सख़र था।

5. नबी (सल्ल॰) का एक देहाती पर शफ़क़त करना

हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) के पास जो भी (माँगनेवाला) आता तो नबी (सल्ल॰) उससे वादा करते और अगर आप (सल्ल॰) के पास कुछ होता तो वह उसे दे देते। एक मरतबा नमाज़ के लिए जमाअत खड़ी हो गई कि एक देहाती आया और नबी (सल्ल॰) का कपड़ा पकड़ कर कहा कि मेरी थोड़ी-सी ज़रूरत बाक़ी रह गई है और मुझे डर है कि मैं भूल जाऊँगा। इसपर नबी (सल्ल॰) उसके साथ उठ खड़े हुए और उसकी ज़रूरत पूरी की, फिर नमाज़ की तरफ़ ध्यान दिया और नमाज़ अदा की।

व्याख्या

1. बेशक नमाज़ बड़ी इबादत है। लेकिन किसी की हाजत पूरी करना भी इबादत है। चूँकि वह देहाती जाहिल और नव मुस्लिम था इसलिए नबी (सल्ल॰) ने उसके साथ नर्मी फ़रमाई और पहले उसकी ज़रूरत पूरी की।

2. आज भी हमें नमाज़ और मस्जिद के साथ कोई आम भलाई के काम का सिलसिला रखना चाहिए ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो और वे मुसलमानों को सिर्फ़ संन्यासी और लोगों की ख़िदमत से अलग-थलग रहनेवाला न समझें बल्कि इनसानियत का सेवक और हमदर्द समझें।

6. नबी (सल्ल॰) की अपनी उम्मत के ग़रीबों पर रहमत

हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैं ईदगाह में क़ुरबानी के वक़्त अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) के साथ था, नबी (सल्ल॰) ने जब अपना ख़ुत्बा पूरा किया तो आप (सल्ल॰) के पास एक मेंढा लाया गया। आप (सल्ल॰) ने उसे अपने हाथ से ज़िब्ह किया और कहा : अल्लाह के नाम से, अल्लाह की क़सम यह मेरी तरफ़ से और उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से है, जिन्होंने क़ुरबानी नहीं की।

(हदीस : मुसनद अहमद-3/262)

व्याख्या

1. नबी (सल्ल॰) को उम्मत का कितना ख़याल था और कितना ज़्यादा उन्हें याद रखते थे। फिर उनमें से जो ग़रीब हैं उनका कितना लिहाज़ करते थे कि उनकी तरफ़ से क़ुरबानी की ताकि वे मायूस न हों।

2. नबी (सल्ल॰) के नायबों और आपके मेहराब व मिम्बर के मालिकों को भी इस तरह उम्मत को ख़ुशख़बरी देनी चाहिए।
3. हमें भी चाहिए कि माली कुशादगी के वक़्त नबी (सल्ल॰) की तरफ़ से क़ुरबानी करें। हलैमी कहते हैं कि यह शफ़क़त और नेकी का इन्तिहाई बड़ा दर्जा है।

हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) सहाबी, अनसारी और ख़ज़रज क़बीले से हैं। (वफ़ात सन् 78 हिजरी, मुताबिक़ 697 ई॰ है)

7. नबी (सल्ल॰) की अपनी उम्मत के ग़रीबों पर शफ़क़त का दूसरा वाक़िआ

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) ने कहा कि एक मरतबा हम नबी (सल्ल॰) के पास बैठे थे कि आप (सल्ल॰) के पास एक आदमी आया और उसने कहा, ऐ ख़ुदा के रसूल (सल्ल॰), मैं तो हलाक और बरबाद हो गया। नबी (सल्ल॰) ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि मैंने अपनी बीवी से रोज़े में सम्भोग कर लिया। इसपर नबी (सल्ल॰) ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है, जिसे तुम आज़ाद करो? उसने कहा : नहीं। नबी (सल्ल॰) ने पूछा, क्या तुम दो महीने लगातार रोज़े रख सकते हो? उसने कहा, नहीं। नबी (सल्ल॰) ने फिर पूछा : क्या साठ मिसकीनों को खाना खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं।

हदीस बयान करनेवाले कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) कुछ देर बैठे रहे और हम उसके बारे में सोचते रहे कि नबी (सल्ल॰) के पास एक थैला लाया गया, जिसमें खजूरें थीं। नबी (सल्ल॰) ने पूछा कि मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने अर्ज़ किया, मैं हाज़िर हूँ। नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ये ले जाओ और सदक़ा कर दो। उसने कहा : मुझसे

ज़्यादा हाजतमन्द पर सदक़ा करूँ ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)? ख़ुदा की क़सम, इन दो पहाड़ियों के बीच (उसकी मुराद मदीना शहर की हदबन्दी करनेवाली दो पहाड़ियाँ हैं) मेरे घरवालों से ज़्यादा कोई घराना हाजतमन्द नहीं है। इसपर नबी (सल्ल०) मुसकुराए कि आप (सल्ल०) के डाढ़ों की किचलियाँ ज़ाहिर हो गईं। फिर कहा : इसे ले जाकर अपने घरवालों को खिलाओ।

व्याख्या

1. आप (सल्ल०) के इस फ़रमान "दीन आसान है और ख़ुशख़बरियाँ दो और नफ़रत न दिलाओ! आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ न पैदा करो" की यह हदीस अमली तशरीह और ताबीर है। किस तरह एक आदमी गुनहगार बनकर आता है, और गुनाह माफ़ करवाकर और अपने लिए खाने-पीने का बन्दोबस्त करके ख़ुशी-ख़ुशी वापस जाता है। उसके दिल में नबी (सल्ल०) और इस्लाम के बारे में कितनी मुहब्बत और लगाव के जज़्बात होंगे। इसका कोई अन्दाज़ा नहीं हो सकता।
2. इस्लामी और शरई हीला (बहाना) तो यही है कि आप (सल्ल०) पहले उसको तमाम बुनियादी सूरतें बता कर पूछते हैं और जब कोई सूरत कफ़्फ़ारे (प्रायश्चित) और नजात की नहीं बनती तो फिर आख़िरी चारा के तौर पर यह हीला करके उसे वापस भेजते हैं।
3. उम्मत के आलिमों को चाहिए कि वे भी इस तरह की जाइज़ राहें निकालें और लोगों को बाग़ी और नाफ़रमान और गुनाहों में पक्का न बनाएँ।

8. नबी (सल्ल॰) का अपनी उम्मत पर शफ़क़त करना

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : अगर मैं अपनी उम्मत के लिए या लोगों के लिए तकलीफ़ न समझता तो हर नमाज़ के साथ उनको मिसवाक करने का हुक्म देता। (हदीस : मुस्लिम- 1/220)

व्याख्या

1. इस हदीस से मिसवाक की अहमियत मालूम होती है।
2. अगरचे मिसवाक लाज़िम नहीं है, लेकिन सुन्नते-मुअक्कदा और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।

9. नबी (सल्ल॰) का एक लौंडी पर शफ़क़त करना

हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) (सन् 73 हिजरी) ने बयान किया कि मैंने नबी (सल्ल॰) से सुना जब आप (सल्ल॰) एक कपड़ेवाले के पास आए और उससे चार दिरहमों में एक क़मीस ख़रीदी और वह पहन कर घर से बाहर निकले तो अनसार में से एक आदमी ने अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल॰) मुझे यह क़मीस पहना दीजिए, अल्लाह आप (सल्ल॰) को जन्नत के लिबास में से पहनाएगा। चुनाँचे नबी (सल्ल॰) ने क़मीस उसे पहना दी। फिर नबी (सल्ल॰) दुकानदार (बज़ाज़) की तरफ़ आए और उससे चार दिरहम में दूसरी क़मीस ख़रीदी और आप (सल्ल॰) के पास दो दिरहम बाक़ी बचे। नबी (सल्ल॰) ने रास्ते में एक लौंडी को देखा जो रो रही थी। आप (सल्ल॰) ने उससे पूछा कि तुम्हारे रोने की क्या वजह है? उसने बताया, ऐ खुदा के पैग़म्बर (सल्ल॰) मेरे घरवालों ने मुझे दो दिरहम दिए कि जाकर इनसे आटा ख़रीद लाओ। ये दिरहम मुझसे खो गए हैं। इसपर नबी (सल्ल॰) ने अपने बाक़ी बचे दो दिरहम उसे दे दिए। फिर भी

रोती हुई जा रही थी। तो फिर नबी (सल्ल॰) ने उसे बुलाकर पूछा कि अब तुम्हारे रोने की क्या वजह है, जबकि तुम्हें दो दिरहम मिल गए हैं? उसने कहा : मुझे डर है कि वे मुझे मारेंगे। तो फिर नबी (सल्ल॰) उसके साथ उसके घरवालों के पास गए और सलाम किया तो वे लोग नबी (सल्ल॰) की आवाज़ पहचान गए। फिर दोबारा नबी (सल्ल॰) ने सलाम किया, फिर तीसरी बार सलाम किया और इसके बाद आप (सल्ल॰) ने तीन मरतबा एक साथ सलाम किया। इसपर उन्होंने सलाम का जवाब दिया। नबी (सल्ल॰) ने पूछा कि क्या तुमने पहला सलाम सुना था? उन्होंने कहा, जी हाँ। लेकिन हमने चाहा कि नबी (सल्ल॰) हमें सलाम (की दुआ) से नवाज़ें, हमारे माँ-बाप आप पर क़ुरबान जाएँ, आप (सल्ल॰) ने कैसे तकलीफ़ की? नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया : इस लौंडी के देर से वापस होने की वजह से तुम्हारी तरफ़ से सज़ा का डर है। उसके मालिक ने (फ़ौरन) कहा! अल्लाह की ख़ातिर और आप (सल्ल॰) के चलकर आने की वजह से यह आज़ाद है। इस पर नबी (सल्ल॰) ने उनको ख़ैर और भलाई और जन्नत की ख़ुशख़बरी दी। फिर कहा : अल्लाह ने उन दस दिरहमों में बरकत दी कि पहले नबी को क़मीस पहनाई, अनसार के एक आदमी को क़मीस पहनाई और उनसे एक गर्दन (ग़ुलामी से) आज़ाद कराई। मैं अल्लाह की हम्द (तारीफ़) करता हूँ कि जिसने अपनी क़ुदरत से ये हमें नसीब किए।

(हदीस : मुअजमुल-कबीर-12/331)

व्याख्या

1. चार दिरहम की क़मीस ख़रीदी और इसके बावजूद कि आप ज़रूरतमन्द थे, वह क़मीस माँगनेवाले को दे दी और 'यूसिरुन अला अनफ़ुसिहिम' (अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं) पर अमल करते हुए अपनी ज़ाती ज़रूरत पर अपने साथी की ज़रूरत को तरजीह दी।

2. लौंडी से ख़ुद जाकर और आगे बढ़कर उसकी तकलीफ़ मालूम की। यही इस्लामी एन॰ जी॰ ओ॰ और जन-सेवा का काम करनेवालों में जज़्बा होना चाहिए। न कि ज़रूरतमन्द दरख़ास्तें लेकर आएँ और उनको चक्कर लगवाए जाएँ। इस तरह सही हक़दारों तक हक़ पहुँचाया जा सकता है।
3. एक मिसकीन, ज़रूरतमन्द और मजबूर के साथ चलकर जाना नबी (सल्ल॰) की सुन्नत है। नबी (सल्ल॰) लौंडी के साथ गए तो आप (सल्ल॰) ने उसके साथ चलने को तौहीन, ऐब और अपनी शान के ख़िलाफ़ नहीं समझा।
4. उस लौंडी को आज़ादी जैसी एक बड़ी नेमत दिलाई जो इनसानियत की ख़िदमत का बड़ा कारनामा है।
5. जो रक़म नबी के पास थी, उसके ख़र्च होने से दिली व ज़हनी सुकून महसूस किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और तारीफ़ की। यही एक ईमानवाले का जज़्बा होना चाहिए कि लोगों की ख़िदमत का काम करके, रक़म ख़र्च करके, अपने-आपको तकलीफ़ में डालकर, काम पूरा करके और किसी की ख़िदमत करके ख़ुश हो जाए। अल्लाह की हम्द करे और उसका शुक्र अदा करे। किसी पर एहसान न जताए, उसको लोगों में फैलाए नहीं, फ़ोटो न खिंचवाए और ख़बरें न छपवाए। हाँ, दूसरों को उभारने और हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा करे तो गुंजाइश निकल सकती है।

10. नबी (सल्ल॰) की तबूक की लड़ाई से पीछे रहनेवालों पर मेहरबानी

हज़रत इब्ने-मरदूया ने अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) से हदीस बयान की है, जब नबी (सल्ल॰) ने 'ज़ी अवान' में पड़ाव डाला तो वे आम

मुनाफ़िक़ जो नबी (सल्ल०) से पीछे रह गए थे, वे आप (सल्ल०) से मुलाक़ात करने लगे, उस मौक़े पर नबी (सल्ल०) ने अपने सहाबा (रज़ि०) से कहा, जो आदमी हमसे पीछे रह गया था, जब तक मैं तुम्हें इजाज़त न दूँ, उन से न बात करो और न उनके साथ बैठो। चुनाँचे अल्लाह के रसूल (सल्ल०) मदीना तशरीफ़ लाए तो आप (सल्ल०) के पास वे लोग आए और सलाम करने लगे जो लड़ाई में पीछे रह गए थे। तो नबी (सल्ल०) ने उनसे मुँह मोड़ लिया और ईमानवालों ने भी अपना रुख़ फेर लिया, यहाँ तक कि उनसे उनके भाई, उनके बाप, और चचा ने भी मुँह फेर लिया। तो फिर वे नबी (सल्ल०) के पास आकर अपनी तकलीफ़, कामों और बीमारियों के बहाने बनाने लगे। नबी (सल्ल०) उनपर रहम करते हुए उनसे बैअत (वचन) ले लेते और उनके लिए माफ़ी की दुआ करते। उन लोगों में जो बग़ैर किसी शक-शुब्हा और कपट के पीछे रह गए थे, तीन आदमी थे, जिनका अल्लाह ने सूरा तौबा में तज़किरा किया है। ये कअ्ब-बिन-मालिक सुलमी, हिलाल-बिन-उमैया अल-वाक़िफ़ी और मुरारा-बिन-रबीआ अल-आमिरी थे। (हदीस : दुर्रे-मंसूर-4/310)

व्याख्या

1. चूँकि मुनाफ़िक़ों (कपटाचारियों) से उम्मीद ही ऐसी थी, इसलिए नबी (सल्ल०) ने उनसे दरगुज़र किया।
2. तीन ईमानवालों को जो नफ़्स (मन) के क़ुसूर की वजह से पीछे रह गए, उनको अल्लाह की मर्ज़ी और फ़रमान से सज़ा दी गई, जो सामाजिक बाईकाट और नाराज़गी की सूरत में थी। बाद में उनकी तौबा क़बूल हुई।

11. नबी (सल्ल॰) का अपने घरवालों और ख़ादिम पर मेहरबान होना

(अ) हज़रत आइशा (रज़ि॰) कहती हैं। अल्लाह के नबी (सल्ल॰) ने किसी को भी अपने हाथ से हरगिज़ नहीं मारा, मगर यह कि अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए। और नबी (सल्ल॰) को कोई तकलीफ़ (ज़ेहनी और जिस्मानी) दी गई हो तो नबी (सल्ल॰) ने उससे बदला कभी नहीं लिया। यह और बात है कि अल्लाह की हराम की हुई बातों को तोड़ा गया हो, तो अल्लाह के लिए उससे बदला लेते (यानी सज़ा देते थे)। (हदीस : मुस्लिम4/1814)

(ब) हज़रत अनस (रज़ि॰) ने कहा कि मैंने नबी (सल्ल॰) की दस साल ख़िदमत की लेकिन नबी (सल्ल॰) ने मुझे उफ़ तक नहीं कहा और यह कि यह काम क्यों किया और यह काम क्यों नहीं किया।

(हदीस : बुख़ारी, फ़तहुलबारी-10/455)

अबू-नुऐम ने किताबुद्दलाइल (पेज-141) में इस तरह हदीस बयान की है कि मैंने (अनस रज़ि॰) कई साल नबी (सल्ल॰) की ख़िदमत की तो नबी (सल्ल॰) ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, न ही मुझे मारा, न डाँट-डपट की। अगर घरवालों में से कोई मुझे डाँटता तो नबी (सल्ल॰) फ़रमाते, इसे छोड़ दो कि अगर तक़दीर में होता तो वह हो जाता।

व्याख्या

1. नबी (सल्ल॰) दुनिया में शिक्षक बनकर आए और यह ज़िम्मेदारी जिस तरह आप (सल्ल॰) ने निबाही, उसका अन्दाज़ा इन दोनों हदीसों से कीजिए।
2. नबी (सल्ल॰) ने अपनी ख़ुद की तकलीफ़ का किसी से बदला नहीं लिया। अलबत्ता सामाजिक मामलों में, अल्लाह की हदें

तोड़ने और शरई हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करनेवालों को सज़ा दी है। इस्लाम का माफ़ और दर गुज़र करने का यह फ़लसफ़ा (दर्शन) व्यक्तिगत मामलों और ज़ाती रंजिशों के बारे में है।

3. हज़रत अनस (रज़ि॰) की हदीस शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। दीनी तालीम व तरबियत में इसे अपने सामने रखें।
4. दीन की तालीम देनेवाले हमारे शिक्षक नबी (सल्ल॰) के इस नमूने को अपने सामने क्यों नहीं रखते और छोटी-छोटी बातों पर बच्चों की पिटाई करते रहते हैं। इसी तरह गालियाँ देते हैं, बुरा-भला बोलते हैं और उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं।
5. आख़िरी जुमले में यह फ़रमाना, "उसे छोड़ दो कि तक़दीर में होता तो वह हो जाता।" इसी बात को हर काम करते वक़्त सामने रखना चाहिए। काम तक़दीर में होना नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, इस बात को सामने रखें तो दुख और अफ़सोस नहीं होगा।

12. नबी (सल्ल॰) की अपनी बीवियों पर शफ़क़त

हज़रत अबू-सलमा-बिन-अब्दुर्रहमान ने हदीस बयान की है कि हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने कहा कि नबी (सल्ल॰) उनसे फ़रमाते थे कि तुम्हारा मामला भी उन अहम मामलों में से है, जिसकी मुझे अपने बाद बड़ी फ़िक्र है, और इस पर तो सब्र करनेवाले लोग ही सब्र कर सकते हैं। फिर वे मुझे कहती थीं कि तुम्हारे बाप को अल्लाह जन्नत की नहर से सैराब करे, उनकी मुराद अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि॰ 32 हिजरी, 652 ई॰) थे। उन्होंने अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की पाक बीवियों को माल दिया था, जो चालीस हज़ार में बेचा गया। उन्होंने इसके ज़रिए उनकी सिलारहमी (रिश्तेदारों से नेक सुलूक) की थी।

(हदीस : फ़ज़ाइले-सहाबा इमाम अहमद-2/732, रक़्म-1258)

13. नबी (सल्ल०) की यतीम पर शफ़क़त

जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह ने हदीस बयान की है कि नबी (सल्ल०) ने अबू-लुबाबा से फ़रमाया : (यह फ़रमान उस मौक़े पर है कि जब अबू-लुबाबा और एक यतीम का एक खजूर के पेड़ पर झगड़ा हो गया था। चुनाँचे नबी (सल्ल०) ने अबू-लुबाबा के हक़ में फ़ैसला दिया तो वह यतीम लड़का रोने लगा। इसपर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया!) यह इसे (यतीम को) दे दो और तुम्हारे लिए जन्नत में एक फलदार पेड़ है।

(हदीस : अल-अहाद व अल-मसानी लिइब्ने-अबी आसिम-1900)

अक़ील-बिन-अबी-शहाब की रिवायत है कि एक यतीम ने अबू-लुबाबा पर एक खजूर के पेड़ के बारे में मुक़द्दमा दर्ज किया। नबी (सल्ल०) ने अबू-लुबाबा के हक़ में फ़ैसला दिया तो वह लड़का रोने लगा। इसपर नबी (सल्ल०) ने अबू-लुबाबा से कहा : तुम इन्हें अपना दरख़्त दे दो। इसपर उन्होंने कहा कि नहीं दूँगा। तो फिर नबी (सल्ल०) ने कहा : इसे दे दो। और तुम्हारे लिए जन्नत में एक फलदार दरख़्त है। फिर भी उन्होंने इनकार किया। यह बात अबू-दहदाह ने सुनी तो अबू-लुबाबा से कहा : क्या तुम अपना बाग़ मेरे इस बाग़ से बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर अबू-दहदाह नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में आए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह रसूल (सल्ल०), वह दरख़्त जो आप ने यतीम के लिए माँगा था, अगर वही मैं इसे दे दूँ तो क्या मेरे लिए जन्नत में फलदार पेड़ है? नबी (सल्ल०) ने कहा : हाँ।

व्याख्या

1. नबी (सल्ल०) ने अबू-लुबाबा के हक़ में फ़ैसला दिया, इसलिए कि इनसाफ़ का तक़ाज़ा यही था। यतीम और मालदार या बेवा और

दौलतमन्द का फ़ैसला करना जबकि इनसाफ़ का तक़ाज़ा इसके ख़िलाफ़ हो तो यह कोई नेकी नहीं है। बल्कि जो इनसाफ़ का तक़ाज़ा हो वह पूरा करना चाहिए और यह न देखना चाहिए कि सामने कौन है। नबी (सल्ल॰) का बेहतरीन तरीक़ा यही है। और यही इस्लामी इनसाफ़ और अक़्लमन्दी का तक़ाज़ा है।

2. नबी (सल्ल॰) ने फ़ैसला देने के बाद एहसान और नेकी के तौर पर अबू-लुबाबा को वह पेड़ यतीम के हक़ में छोड़ने के लिए कहा। लेकिन अबू-लुबाबा ने इख़्तियारी और नफ़ली नेकी होने की वजह से नहीं छोड़ा। शरीअत में इसकी गुंजाइश है।

3. हज़रत अबू-दहदाह (रज़ि॰) जो नेकी के मौक़ों की तलाश में रहते थे, इसलिए उन्होंने अबू-लुबाबा (रज़ि॰) से वह बाग़ लेकर उसका झगड़ेवाला पेड़ यतीम को दे दिया।

4. सहाबा (रज़ि॰) का नेकी के मौक़े और जन्नत हासिल करने का जज़्बा देखने के क़ाबिल है, वे कोई नेकी का मौक़ा और जन्नत पाने का मौक़ा छोड़ते नहीं थे।

5. नबी (सल्ल॰) ने वह दरख़्त यतीम को उसपर शफ़क़त और रहम करते हुए दिलाया। क्योंकि वह रो रहा था और बहुत दुखी था।

6. हदीस में इनसाफ़ और एहसान और ख़र्च करने को एक जगह जमा करने की अच्छी मिसाल है। इनसाफ़ भी हो और एहसान और राहे-ख़ुदा में ख़र्च भी हो जाए।

इस भौतिक (माद्दी) दौर में नबी (सल्ल॰) के उम्मतियों को इन हदीसों से रहनुमाई लेनी चाहिए। अल्लाह तआला हमें नबी (सल्ल॰) के इन पाक नमूनों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

● ● ●